सप्तदश माला, खंड 20, अंक 13 **बुधवार, 3 अगस्त, 2022**
12 श्रावण, 1944 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

नौवां सत्र

(सत्रहवीं लोक सभा)

(खंड 20 में अंक 11 से 16 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

<u>सम्पादक मंडल</u>

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव
लोक सभा

ममता केमवाल
संयुक्त सचिव

अमर सिंह
निदेशक

कैलाश बैसोया
संयुक्त निदेशक

सुबोध कुमार
उप निदेशक

© 2022 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण का अनुवाद कृत्रिम मेधा (Artificial Intelligence**) आधारित सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की सहायता से किया गया है और सटीक अनुवाद उपलब्ध कराने के लिए यथोचित प्रयास किए गए हैं। तथापि,** हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलतः: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

विषय-सूची

सप्तदश माला, खंड 20, नौवां सत्र, 2022 / 1944 (शक)
अंक 13, बुधवार, 3 अगस्त, 2022 / 12 श्रावण, 1944 (शक)

विषय	पृष्ठ संख्या
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 241 से 243	13-20
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 244 से 260	21
अतारांकित प्रश्न संख्या 2761 से 2990	

सभा पटल पर रखे गए पत्र 22-31

विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति

15वां प्रतिवेदन 31

वित्त संबंधी स्थायी समिति

47वें से 51वां प्रतिवेदन 32

आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति

अंतिम की-गई-कार्रवाई विवरण 33

ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति

25वें से 28वां प्रतिवेदन 34

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य 35-38

(एक)(क) कोयला मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-22) संबंधी कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 16वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति

(ख) कोयला मंत्रालय से संबंधित " देश भर में कोयला संरक्षण और कोयले की ढुलाई के लिए अवसंरचना का विकास" संबंधी कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 19वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री प्रह्लाद जोशी 35

(दो) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांगों (2022-2023) संबंधी विभाग से संबंधित कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 112वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति

डॉ. जितेंद्र सिंह 36

(तीन)(क) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'कृषि और समुद्री उत्पादों, बागान फसलों, हल्दी और कॅयर का निर्यात' संबंधी विभाग से संबंधित वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 154वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति

(ख) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'कृषि और समुद्री उत्पादों, बागान फसलों, हल्दी और कॅयर का निर्यात' संबंधी विभाग से संबंधित वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 154वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई-कार्रवाई के बारे में समिति के 162वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्रीमती अनुप्रिया पटेल 37-38

समिति के लिए निर्वाचन

केंद्रीय रेशम बोर्ड 39

ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 40-43

नियम 377 के अधीन मामले 44-69

(एक) भारत में पिन कोड प्रणाली के जनक श्रीराम भिकाजी वेलणकर के सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी किए जाने की आवश्यकता

डॉ. जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य स्वामीजी 45

(दो) बिहार के दरभंगा स्थित ऐतिहासिक राष्ट्रीय विद्यालय का पुनरुद्धार किए जाने एवं इसे एक राष्ट्रीय विरासत के रूप में घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री गोपाल जी ठाकुर 46-47

(तीन) झारखंड को सूखा प्रभावित राज्य घोषित किए जाने के बारे में

श्री सुदर्शन भगत 48

(चार) एकता एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 14795/96) की सेवाएं बहाल किए जाने के बारे में

श्री धर्मवीर सिंह 49

(पांच) छत्तीसगढ़ में क्षति पूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं आयोजना प्राधिकरण (कैम्पा) के अंतर्गत किए गए कार्यों की जांच किए जाने के बारे में

श्री अरूण साव 50

(छह) दीपावली, होली और दशहरा पर्वों के अवसर पर छुट्टियों के बारे में

श्री मितेष पटेल (बकाभाई) 51

(सात) प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली के डिजिटलीकरण को पूरा किए जाने के बारे में

श्री विवेक नारायण शेजवलकर 52

(आठ) अहमदनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सूरत-अहमदनगर न्यू ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे परियोजना को पूरा कर चालू किए जाने के बारे में

डॉ. सुजय विखे पाटील 53

(नौ) राजस्थान के राजसमंद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्वीकृत केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना शीघ्र किए जाने के बारे में

सुश्री दिया कुमारी 54

(दस) छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में एक सैनिक स्कूल खोले जाने के बारे में

श्री सुनील कुमार सोनी 55

(ग्यारह) झारखंड के गढ़वा जिले के नगर उंटारी (श्री बंसीधर नगर) रेलवे स्टेशन पर रांची-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता

श्री विष्णु दयाल राम 56

(बारह) राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में विमान संपर्क सेवा की सुविधा प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री निहाल चन्द चौहन 57

(तेरह) उत्तर प्रदेश में सूखे जैसी स्थिति के बारे में

डॉ. संघमित्रा मौर्य 58

(चौदह) मध्य प्रदेश के सीधी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 39 पर बरगवां समपार पर उपरिपुल का निर्माण किए जाने के बारे में

श्रीमती रीती पाठक 59

(पंद्रह) कन्याकुमारी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सड़क एवं रेलवे संबंधी कार्यों को पूरा किए जाने एवं समुद्र से होने वाले अपरदन को रोके जाने के बारे में

श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत 60-61

(सोलह) देशी खाद्य तेलों को बढ़ावा देने वाली योजना के बारे में

श्री के षणमुग सुंदरम 62

(सत्रह) तिरुपति स्थित आईआईटी और आईआईएसईआर को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किए जाने के बारे में

श्री मद्दीला गुरुमूर्ति 63

(अठारह) कुलटली और जयनगर के बीच रेल संपर्क की सुविधा प्रदान किए जाने के बारे में

श्रीमती प्रतिमा मण्डल 64

(उन्नीस) दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव में सड़कों के निर्माण के बारे में

श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर 65

(बीस) बिहार स्थित सहरसा जंक्शन से गाड़ी संख्या 02563/02564 का परिचालन बहाल किए जाने की आवश्यकता

श्री दिनेश चन्द्र यादव 66

(इक्कीस) मध्याह्न भोजन योजना के बारे में

श्री गिरीश चन्द्र 67

(इक्कीस) न्यूनतम मजदूरी प्रदान किए जाने एवं कामगारों को नियमित किए जाने के बारे में

श्री हसनैन मसूदी 68

(तेईस) ओडिशा में प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभार्थियों के बारे में

श्रीमती मंजुलता मंडल 69

केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 70-113

विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव 70

श्री धर्मेन्द्र प्रधान 70-71, 96-103, 110-113

श्रीमती रंजनबेन भट्ट 71-74

श्री कौशलेन्द्र कुमार 74-75

श्रीमती संगीता आज़ाद 75-77

श्री अश्वानी वैष्णव 77-79

श्री चंद्रशेखर साहू 80-82

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे 84-85

श्री एन. रेड्डप्पा 85-87

श्री राम कृपाल यादव 87-90

श्री हसनैन मसूदी 90-91

श्री राम मोहन नायडू किंजरापु 91-93, 94-96

खंड 2 से 6 और 1 113

पारित किए जाने के लिए प्रस्ताव 113

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2021 114-115

नियम 193 के अधीन चर्चा 116-147
भारत में खेल-कूद को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता

डॉ. निशिकांत दुबे 116-123

कुंवर दानिश अली 123-128

डॉ. सत्यपाल सिंह 129-134

श्री विजय कुमार 134-135

श्री जगदम्बिका पाल 135-142

कुमारी गोड्डेति माधवी 142-144

श्री गोपाल शेट्टी 144-147

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री ओम बिरला

सभापति तालिका

श्रीमती रमा देवी

डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी

श्री राजेन्द्र अग्रवाल

श्री कोडिकुन्नील सुरेश

श्री ए. राजा

श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी

श्री भर्तृहरि महताब

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन

डॉ. काकोली घोष दस्तीदार

महासचिव

श्री उत्पल कुमार सिंह

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

बुधवार, 3 अगस्त, 2022 / 12 श्रावण, 1944 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुए*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर[1]

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 241 – श्री गजेन्द्र उमराव सिंह पटेल।

(प्रश्न 241)

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अभी प्रश्न काल है।

… (व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.02 बजे

इस समय श्री गौरव गोगोई और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

माननीय अध्यक्ष : श्री गजेन्द्र उमराव सिंह पटेल।

श्री गजेन्द्र उमराव सिंह पटेल : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे प्रश्नों का जवाब तो दिया है, परन्तु फिर भी मैं दो प्रश्न पूछना चाहता हूं। … (व्यवधान) उन्होंने इंदौर-मनमाड वाया मालेगांव रेल परियोजना का जो अनुमोदन दिया है, वह पिंक बुक में वर्ष 2016 में शामिल हो गई थी। उसका भूमि पूजन भी हो गया था। … (व्यवधान) यह मेरे लोक सभा क्षेत्र से होकर जाता है। यह परियोजना कब तक शुरू हो जाएगी? … (व्यवधान)

---

[1] **प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं।** https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात फिल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से दूसरा प्रश्न है कि जो खंडवा-दाहोद वाया खरगौन-बड़वानी-धार रेल परियोजना का एक प्रस्ताव है, उसका कब तक सर्वे हो जाएगा और वह कब तक पूरी हो जाएगी? … (व्यवधान)

मेरा माननीय मंत्री जी से तीसरा प्रश्न है कि आकांक्षी जिले की परिकल्पना है कि विकास के लिए आकांक्षी जिले चिन्हित किए गए हैं, तो आकांक्षी जिले में किस प्रकार की रेल परियोजनाओं को स्वीकृति दी जाएगी? … (व्यवधान) इसमें बड़वानी-मंडला-धार आदि जिले भी आते हैं। … (व्यवधान) मैं इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं। … (व्यवधान)

श्री दानवे रावसाहेब दादाराव : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न मध्य प्रदेश के बारे में पूछा गया है, लेकिन रेल सेवाएं राज्यवार नहीं, बल्कि क्षेत्रीय रेल होती हैं, क्योंकि रेल का नेटवर्क विभिन्न राज्यों में फैला होता है। ... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने इंदौर के बारे में जो प्रश्न पूछा है, इंदौर में आज की तारीख में 52 जोड़ी ट्रेन सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं, जो दिल्ली, चेन्नई और मुम्बई आदि प्रमुख शहरों को कनेक्टिविटी प्रदान करती हैं। ... (व्यवधान) भारतीय रेल ने इंदौर के लिए 13 जोड़ी नई सेवाओं की शुरुआत की है और 14 जोड़ी सेवाओं का विस्तार किया है तथा 6 जोड़ी ट्रेनों की फ्रिक्वेंसी बढ़ाई गई है। इन रेलगाड़ियों का ब्यौरा मैंने आपको दिया है। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, उन्होंने दूसरा प्रश्न खरगौन-बड़वानी के बारे में पूछा है। ... (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि खंडवा-धार वाया खरगौन-बड़वानी आदिवासी बहुल क्षेत्र है। नई ब्रॉड गेज लाइन के लिए सर्वेक्षण वर्ष 2010-11 में पूरा किया गया था।... (व्यवधान) तत्कालीन योजना आयोग ने परिवर्तन को सैद्धांतिक अनुमोदन नहीं दिया था। इसलिए आर्थिक रूप से अव्यावहारिक होने के कारण इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सका।… (व्यवधान) हालांकि इस नई रेल के लिए फिर से सर्वे की मंजूरी मिली है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सप्लीमेंट्री पूछिये।

श्री गजेन्द्र उमराव सिंह पटेल : अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूरक प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में ट्राइबल बहुल जिले हैं।... (व्यवधान) खंडवा, बड़वानी और धार आकांक्षी जिले में आते हैं। इसलिए इस नई परियोजना की स्वीकृति दी जाए और यह प्रस्ताव में भी है।... (व्यवधान) माननीय प्रधान मंत्री जी ने इंदौर-मनमाड का भूमि पूजन भी किया है, जो पिंक बुक में भी दर्ज है।... (व्यवधान) कृपया उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी जाए।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन नंबर 242 – श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर – उपस्थित नहीं।

श्री सी.एन. अन्नादुरई।

... (व्यवधान)

(प्रश्न संख्या 242)

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : सर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि मानसा शहर के बीच में, जो मेरी कॉन्स्टीट्यूएंसी में रेलवे की साइडिंग है, वह शहर के बिल्कुल बीच में है। वहां पर एफसीआई की लोडिंग-अनलोडिंग होती है, सीमेंट्स के रैक्स आते हैं तथा वहां पर फर्टिलाइजर या सीमेंट जो कुछ आता है, वह सब काम मानसा शहर के बीच की साइडिंग में होता है।

इस कारण से शहर में बहुत से एक्सीडेंट्स होते हैं। ...(व्यवधान) अगर किसी को हॉस्पिटल या स्कूल जाना हो तो उसे ट्रकों के बीच से होकर जाना पड़ता है। ...(व्यवधान) इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि क्या इसको एक फारवर्ड मूवमेंट डिपो, जो नरेन्द्रपुरा में है, वहां शिफ्ट किया जाएगा?... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह प्रश्न महाराष्ट्र से संबंधित है।

... (व्यवधान)

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : ताकि इस शहर को यह सहूलियत मिल जाए और वहां ये एक्सीडेंट्स रुक जाएं। यह उस शहर की एक बड़ी मांग है।...(व्यवधान)

श्री दानवे रावसाहेब दादाराव: अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न महाराष्ट्र एवं तेलंगाना के बारे में है, इसके लिए अलग से प्रश्न पूछना पड़ेगा। ... (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, जो मेरा प्रश्न 253 है, उसे मैं इसके अंदर क्लब करते हुए मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या रेल मंत्रालय के विजिलेंस विभाग ने रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा केआरसीएल नामक कंपनी द्वारा तुलना से अधिक हुए व्यय सहित पूरे प्रकरण की जांच सीवीसी के आदेशानुसार की है? …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप भूल गए शायद कि क्या पूछना है।

श्री हनुमान बेनीवाल : यदि हाँ, तो इसका क्या निष्कर्ष निकला है? …(व्यवधान) आप मेरे प्रश्न का आप जवाब दें। …(व्यवधान) इस मामले में 1600 करोड़ रुपये की राशि की हेराफेरी को देखते हुए क्या सरकार ईडी से जांच करवाने का विचार रखती है? …(व्यवधान) यदि हाँ, तो कब तक होगा? यदि नहीं, तो क्यों? …(व्यवधान)

श्री दानवे रावसाहेब दादाराव: अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है। मूल प्रश्न महाराष्ट्र एवं तेलंगाना के बारे में है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 243 - श्री भागीरथ चौधरी।

(प्रश्न संख्या 243)

श्री भागीरथ चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के बारे में मुझे काफी आश्वस्त किया है और कहा है कि हम इसके ऊपर सकारात्मक रूप से विचार कर रहे हैं। ... (व्यवधान) मेरा निवेदन है कि आरओबी, आरयूबी और एफओबी, जैसे मेरे क्षेत्र में मालियों की ढाणी के अंदर 293 नम्बर नाला निर्माण है, वहां 30 हजार की जनसंख्या उत्तर की दिशा में रहती है और दक्षिण की दिशा में पूरा शहर बसा है। ... (व्यवधान) वहां आने-जाने में बहुत परेशानी हो रही है, इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इसके बारे में आप जरूर कृपा करें, क्योंकि वह एक बहुत बड़ी समस्या है। ... (व्यवधान) ऐसे ही, मेरे क्षेत्र में विजयनगर, अजमेर, सुभाष नगर, नसीराबाद क्रॉसिंग और मसूदा बांधनवाड़ा में भी यह समस्या है।...

(व्यवधान) इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक ज्वलंत समस्या है, इसको दूर करने की कोशिश जरूर करें।... (व्यवधान)

रेल मंत्री; संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री अश्वनी वैष्णव): माननीय अध्यक्ष जी, देश भर में रेलवे की लाइन जहां से भी क्रॉस करती है, विशेषकर शहरों से, जहां पर उसके ऊपर फ्लाईओवर बनाने की जरूरत है, जिसको हम रेलवे की भाषा में रोड ओवर ब्रिज बोलते हैं या रोड अंडर ब्रिज बोलते हैं, जो कि अंडरपास होता है, इसके बारे में देश भर में एक नई पॉलिसी का डिसीजन लिया जा रहा है।...(व्यवधान) यह अभी विचाराधीन है कि जहां पर भी इस तरह की प्राब्लम्स हैं, वहां पर यथासंभव रेलवे ही अपने फण्ड से उस प्रोजेक्ट को अपने हाथ में ले ले, न कि उसमें राज्य सरकारों के ऊपर निर्भरता रखे। ...(व्यवधान)

दूसरी बात यह है कि जो 3 लाख टी.वी.यू. से ज्यादा वाले एल.सी. हैं, उन सबको प्रायरिटी बेसिस पर लिया जा रहा है और सिंगल एंटिटी बेसिस पर काम करने की कम्प्लीट प्लानिंग हो रही है।...(व्यवधान) साथ ही साथ, कई ऐसी जगहें हैं, जहां पर रेलवे ने अपना ढांचा बना लिया है, लेकिन राज्य सरकार को उसमें जो बैलेंस पोर्शन बनाना है, उसे नहीं बना पा रही है, वहां पर भी राज्य सरकारों के साथ बातचीत चल रही है कि कुछ प्रोजेक्ट आप ले लो, कुछ प्रोजेक्ट हम ले लेंगे और ऐसे मिलकर हर प्रोजेक्ट में एक सिंगल एंटिटी बनाकर हम काम करें। ...(व्यवधान)

श्री भागीरथ चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा माननीय मंत्री जी निवेदन है कि तीन वर्षों से उक्त स्थानों पर यह बहुत बड़ी समस्या है। ... (व्यवधान) वहां पर आप रोड ओवर ब्रिज, रोड अंडर ब्रिज और फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कराएं।...(व्यवधान) राज्य सरकार इसमें रोड़ा अटकाने का काम करती है, इसलिए आप विशेष रूप से ध्यान देकर हमारी इस समस्या का निदान करें। ... (व्यवधान)

श्री अश्वनी वैष्णव : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय ने बहुत सही बात कही है। ... (व्यवधान) कुछ राज्य ऐसे भी हैं, जो विकास के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन हम लोग विकास की राजनीति करते हैं।... (व्यवधान) कुछ लोग विकास के नाम पर राजनीति करते हैं। ऐसे जितने भी मसले होंगे, माननीय

सांसद महोदय के साथ बैठकर हम इसका समाधान करेंगे। आप मेरे यहाँ पधारें, हम मिलकर इसका समाधान ढूँढेंगे।... (व्यवधान)

श्री रितेश पाण्डेय : माननीय अध्यक्ष जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। रेलवे फुट ओवर ब्रिज और ओवर ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में मेरे यहाँ कई जगहों पर कुछ अनियमितताएं देखने को मिलती हैं, चाहे वे रेलवे के हों या प्राइवेट कम्पनीज के कांट्रैक्टर्स हों।... (व्यवधान) कटहरी विधान सभा क्षेत्र में, हाल में ही रेलवे के एक फुट ओवर ब्रिज का काम हो रहा था, जिससे एक मजदूर इलैक्ट्रिक तार से होते हुए नीचे गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई।... (व्यवधान) उसके मुआवजे को लेकर अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं है। मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि इसके मुआवजे के लिए आपने क्या किया है? ... (व्यवधान) अगर पूरे देश में ऐसे मुद्दे सामने आ रहे हैं, तो मजदूरों की सुरक्षा के लिए क्या प्रावधान किये जा रहे हैं और उनकी सेफ्टी कैसे सुनिश्चित की जाएगी? ... (व्यवधान)

श्री अश्वनी वैष्णव : माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरह से बड़े पैमाने पर काम चल रहा है, उसमें एक बड़ा परिवर्तन इस तरह से लाया जा रहा है कि जितने भी सेफ्टी प्रैक्टिसेज हैं, पूरे के पूरे सेफ्टी प्रैक्टिसेज को रीवैम्प किया गया है।... (व्यवधान) सिस्टम्स के जो डिजाइन हैं, एक तो आरओबी के स्टैंडर्ड डिजाइन बनाने की बहुत जरूरत थी, क्योंकि कई जगहों पर डिजाइन में वेरिएशन के कारण फील्ड में इम्प्लीमेंटेशन के टाइम में कुछ न कुछ दिक्कतें आ रही थीं, इसलिए स्टैंडर्ड डिजाइन्स बनाए गए हैं। विशेषकर, अंडरपासेज के लिए भी एक स्पेशल डिजाइन बनाया गया है।... (व्यवधान) इस तरह की जो भी जानकारी आएगी, जो विषय आएंगे, उसके ऊपर जरूर यथोचित कार्रवाई होगी।... (व्यवधान)

माननीय रितेश जी की कांस्टिट्यूएंसी के बहुत-से विषय थे, उनके ऊपर अभी हाल ही में बहुत अच्छा ऐक्शन भी लिया गया है।... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथ: धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष महोदय । ... *(व्यवधान)* चूंकि सुरक्षा रेलवे परिचालन के लिए मुख्य विषय है, सरकार मशीनीकरण और रखरखाव, और ओवरब्रिज, अंडरपास और फुट ओवरब्रिज के निरीक्षण के बारे में क्या उपाय कर रही है। ....*(व्यवधान)* मैं जानना चाहती हूं कि क्या सरकार ने सुरक्षा सुनिश्चित करने और मानव रहित क्रॉसिंग पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा संचालित सभी ट्रेनों में कवच – स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली स्थापित की है। ....*(व्यवधान)*

महोदय, रेलवे लाइन के आसपास बस्तियां दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही हैं। ....*(व्यवधान)* अंडरपास के आसपास जलमार्ग बहुत सारी समस्याएं पैदा कर रहे हैं। ....*(व्यवधान)* मैं माननीय मंत्री से इन जलमार्गों को बदलने का अनुरोध करूंगा ताकि कम से कम एम्बुलेंस अंडरपास से गुजर सकें। ....*(व्यवधान)*

श्री अश्विनी वैष्णव: महोदय, माननीय सदस्य ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। ... *(व्यवधान)* वास्तव में चार बिंदु हैं जो उन्होंने उठाए हैं, और मैं उनमें से एक के बारे में बात करुंगा। . . . *व्यवधान)*

महोदय, निश्चित रूप से, अंडरपास के तहत मार्ग और जलमार्ग आसपास की बस्तियों में समस्याएं पैदा कर रहे हैं। .... *(व्यवधान)* हमने प्रत्येक अंडरपास का बहुत विस्तृत सर्वेक्षण कराया है। जहां भी समस्याएं हैं, हम पूरे अंडरपास को फिर से डिजाइन कर रहे हैं। ... *(व्यवधान)*

हम अंडरपास (आर.यू.बी.) के लिए एक नया डिजाइन भी लेकर आए हैं। ....*(व्यवधान)* ऐसी जगहें हैं जहां वस्तुतः इलाके की सतह की बनावट की वजह से पानी अंडरपास के अंदर घुस रहा है।। ....*(व्यवधान)* हालांकि हमने मोटरें लगाई हैं, पर यह भी कोई बहुत टिकाऊ समाधान नहीं है। इसलिए, हम पूरे आर.यू.बी. को फिर से डिजाइन कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री श्याम सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री माननीय गडकरी साहब की बड़ी कृपा है कि उन्होंने अपने विभाग की एक स्कीम के तहत जौनपुर के सात फ्लाई ओवर्स सैंक्शन कर दिए हैं, लेकिन माननीय रेल मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि मार्च में जौनपुर से

इलाहाबाद वाली सड़क पर नयीगंज के निकट उन्होंने एक फ्लाई ओवर के निर्माण के लिए मुझे व्यक्तिगत रूप से स्वीकृति दी थी।... (व्यवधान) अकालतख्त एक्सप्रेस को जौनपुर सिटी में रोकने का भी वायदा किया था। मैं जानना चाहता हूँ कि इसकी क्या प्रगति है और यह काम कब तक होगा? ... (व्यवधान)

श्री अश्वनी वैष्णव : माननीय अध्यक्ष जी, देश में लगभग बारह सौ से अधिक फ्लाई ओवर्स इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स के तहत बन रहे हैं।... (व्यवधान) मैं इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स के बारे में लिस्ट भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं माननीय सांसद महोदय से निवेदन करता हूँ कि वे मेरे कार्यालय में आएं, माननीय सांसदों के लिए कोई अप्वाइंटमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ती है, वे कभी भी मेरे कार्यालय में पधारें और इंडिविजुअल प्रोजेक्ट के बारे में मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानकारी दे दूँगा।... (व्यवधान)

---

[2]*प्रश्नों के लिखित उत्तर

(तारांकित प्रश्न संख्या 244 से 260 तक

अतारांकित प्रश्न संख्या 2761 से 2990)

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

पूर्वाह्न 11.15 बजे

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न बारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

[2]* **प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं।** https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात फिल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न बारह बजे पुन: समवेत हुई।

(श्री राजेन्द्र अग्रवाल पीठासीन हुए)

… (व्यवधान)

अपराह्न 12.0½ बजे

इस समय, श्री बी. मणिक्कम टैगोर और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

… (व्यवधान)

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

माननीय सभापति : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नंबर – 1, श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी।

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते): महोदय, मैं संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक -महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2022 का संख्यांक 7) - राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की गतिविधियों की अनुपालन लेखापरीक्षा।

(2) 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2022 का संख्यांक 8) - भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की अनुपालन लेखापरीक्षा।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 7416/17/22

… (व्यवधान)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): महोदय, मैं विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 52 की उप-धारा (4) के अंतर्गत विधिक मापविज्ञान (डिब्बाबंद वस्तुएं) (दूसरा संशोधन) नियम, 2022 जो 14 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 577(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.7417/17/22]

… (व्यवधान)

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री; कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 204(अ) जो 15 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की दूसरी अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों के अलावा) छूट संशोधन नियम, 2022 जो 15 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 205(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सा.का.नि. 273(अ) जो 5 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक के प्रयोजनार्थ 'श्रेणी क अन्वेषण अभिकरण' के अंतर्गत मैसर्स इंडियन माइन प्लानर्स एण्ड कंसल्टेंट्स को अधिसूचित किया गया है।

(चार) सा.का.नि. 284(अ) जो 5 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक के प्रयोजनार्थ 'श्रेणी क अन्वेषण अभिकरण' के अंतर्गत मैसर्स यूनाइटेड एक्सप्लोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को अधिसूचित किया गया है।

(पांच) सा.का.नि. 285(अ) जो 7 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक के प्रयोजनार्थ 'श्रेणी क अन्वेषण अभिकरण' के अंतर्गत मैसर्स जेमकोकाती एक्सप्लोरेशन प्राइवेट लिमिटेड को अधिसूचित किया गया है।

(छह) सा.का.नि. 286(अ) जो 7 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक के प्रयोजनार्थ 'श्रेणी ख अन्वेषण अभिकरण' के अंतर्गत मैसर्स जियोटेक्निकल माइनिंग सोल्यूशन्स को अधिसूचित किया गया है।

(सात) खनिज संरक्षण और विकास (संशोधन) नियम, 2022 जो 11 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 294(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) का.आ. 2050(अ) जो 2 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक के प्रयोजनार्थ 'श्रेणी क अन्वेषण अभिकरण' के अंतर्गत मैसर्स जियोएक्स्पोर प्राइवेट लिमिटेड और 'श्रेणी ख अन्वेषण अभिकरण' के अंतर्गत मैसर्स वी.एम. सलगावकर एण्ड ब्रदर प्राइवेट लिमिटेड तथा 'श्रेणी क अन्वेषण अभिकरण' के अंतर्गत मैसर्स जियोवाले सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को अधिसूचित किया गया है।

(नौ) का.आ. 2307(अ) जो 18 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक के प्रयोजनार्थ 'श्रेणी ख अन्वेषण अभिकरण' के अंतर्गत मैसर्स एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड को अधिसूचित किया गया है।

(दस) खनिज संरक्षण और विकास (संशोधन) नियम, 2022 जो 3 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 415(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 7418/17/22]

(2) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अंतर्गत भारतीय रेल (खुली लाइनें) सामान्य (दूसरा संशोधन) नियम, 2022 जो 27 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 603(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 7419/17/22]

(3) आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित पिरदान) अधिनियम, 2016 की धारा 4 की उप-धारा (4) के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि. 507(अ) जो 4 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 21 रेल भर्ती बोर्डों के माध्यम से रेल भर्ती नियंत्रण बोर्ड द्वारा आयोजित कंप्यूटर आधारित परीक्षा से पहले या परीक्षा के दौरान परीक्षा दे रहे अभ्यर्थियों की पहचान स्थापित करने के लिए स्वैच्छिक आधार पर आधार सत्यापन सेवाओं को सुकर बनाने हेतु इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से अनुरोध किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 7420/17/22]

… (व्यवधान)

[अनुवाद]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) (एक) भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7421/17/22)]

(3) विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 55 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) विशेष आर्थिक जोन (दूसरा संशोधन) नियम, 2022 जो 6 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.519(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) विशेष आर्थिक जोन (तीसरा संशोधन) नियम, 2022 जो 14 जुलाई, 2022 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.576(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) नियम, 2022 जो 8 अप्रैल, 2022 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 288(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए सं एल.टी. 7422/17/22]

… (*व्यवधान*)

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम प्रकाश): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) जम्मू-कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड, जम्मू के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) जम्मू-कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड, जम्मू के वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7423/17/22)]

… (*व्यवधान*)

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री देवुसिंह चौहान): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 से 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 से 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7424/17/22)]

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): महोदय, अपनी वरिष्ठ सहयोगी श्रीमती निर्मला सी**ता**रमण की ओर से, मैं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धरा 38 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ :-

1. अधिसूचना संख्या 21/2022-सी.ई. जो दिनांक 2 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 30 जून, 2022 की अधिसूचना संख्या 04/2022-केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को कम किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

2. अधिसूचना संख्या 22/2022-सी.ई. जो दिनांक 2 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना संख्या 18/2022-केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि कच्चे तेल के उत्पादन पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में वृद्धि की जा सके और विमानन टर्बाइन ईंधन के निर्यात में छूट दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 7424क/17/22)

… (व्यवधान)

अपराह्न 12.02 बजे

विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति

15वां प्रतिवेदन

श्री पी. पी. चौधरी (पाली): महोदय, मैं 'प्रवासी भारतीयों का कल्याण: नीतियां/योजनाएं' विषय के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति (सत्रहवीं लोक सभा) का 15वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूँ।

… (व्यवधान)

अपराह्न 12.02½ बजे

वित्त संबंधी स्थायी समिति

47वें से 51वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री जयंत सिन्हा (हज़ारीबाग): महोदय, मैं वित्त संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य, व्यय, वित्तीय सेवाएं, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन तथा लोक उद्यम विभागों) की अनुदान की मांगों (वर्ष 2022-23) संबंधी 40वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 47वां प्रतिवेदन।

(2) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अनुदान मांगों (वर्ष 2022-23) संबंधी 41वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई- कार्रवाई संबंधी 48वां प्रतिवेदन।

(3) कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की अनुदान मांगों (वर्ष 2022-23) संबंधी 42वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 49वां प्रतिवेदन।

(4) योजना मंत्रालय की अनुदान की मांगों (2022-23) संबंधी 43वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 50वां प्रतिवेदन।

(5) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदान की मांगों (2022-23) संबंधी 44वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 51वां प्रतिवेदन।

———

… (*व्यवधान*)

अपराह्न 12.03 बजे

आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति

अंतिम की-गई-कार्रवाई विवरण

[हिन्दी]

श्री शंकर लालवानी (इन्दौर): महोदय, मैं आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित तीन अंतिम की-गई-कार्रवाई विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

1. 'महानगरों में वर्षा जल संचयन' संबंधी 24वें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी छठे प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के बारे में अंतिम की-गई-कार्रवाई विवरण।
2. 'खतरनाक अपशिष्ट, चिकित्सा अपशिष्ट और ई-अपशिष्ट सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन' विषय संबंधी 25वें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी सातवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के बारे में अंतिम की-गई-कार्रवाई विवरण।
3. 'आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2021-22)' संबंधी पांचवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी नौवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के बारे में अंतिम की-गई-कार्रवाई विवरण।

… (व्यवधान)

अपराह्न 12.03½ बजे

ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति

25वें से 28वां प्रतिवेदन

श्री प्रतापराव जाधव (बुलढाणा): महोदय, मैं ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

1. ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) से संबंधित 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का समालोचनात्मक मूल्यांकन' संबंधी 20वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 25वां प्रतिवेदन।
2. ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23) संबंधी 22वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा कई-गई-कार्रवाई संबंधी 26वां प्रतिवेदन।
3. भूमि संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23) संबंधी 23वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 27वां प्रतिवेदन।
4. पंचायती राज मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23) संबंधी 24वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा कई-गई-कार्रवाई संबंधी 28वां प्रतिवेदन।

… (व्यवधान)

अपराह्न 12.04 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) (क) कोयला मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-22) संबंधी कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 16वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति [3]*

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): महोदय, मैं कोयला मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांगों (2021-22) संबंधी कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 16वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

(ख) कोयला मंत्रालय से संबंधित "कोयला संरक्षण और देश भर में कोयले की ढुलाई के लिए अवसरंचना का विकास" संबंधी कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 19वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति *

संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): महोदय, मैं कोयला मंत्रालय से संबंधित "कोयला संरक्षण और देश भर में कोयले की ढुलाई के लिए अवसरंचना का विकास" संबंधी कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 19वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

———————

[3]* सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखें संख्या क्रमशः एल.टी. 7411/17/22 और एल.टी. 7412/17/22

<u>अपराह्न 12.04½ बजे</u>

(दो) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांगों (2022-2023) संबंधी विभाग से संबंधित कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 112वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति [4*]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): महोदय, मैं कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांगों (2022-23) संबंधी विभाग से संबंधित कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 112वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

[4*] सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। संख्या एल.टी. 7413/17/22 ।

<u>अपराह्न 12.05 बजे</u>

(तीन) (क) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'कृषि और समुद्री उत्पादों, बागान फसलों, हल्दी और कॅयर के निर्यात' संबंधी विभाग से संबंधित वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 154वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति [5]*

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल): महोदय, मैं वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'कृषि और समुद्री उत्पादों, बागान फसलों, हल्दी और कॅयर के निर्यात' संबंधी विभाग से संबंधित वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 154वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखती हूं।

[5]* सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। संख्या एलटी 7414/17/22 ।

(ख) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'कृषि और समुद्री उत्पादों, बागान फसलों, हल्दी और कॅयर के निर्यात' संबंधी विभाग से संबंधित वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 154वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई-कार्रवाई के बारे में समिति के 162वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति [6]*

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल): महोदय, मैं वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'कृषि और समुद्री उत्पादों, बागान फसलों, हल्दी और कॅयर के निर्यात' संबंधी विभाग से संबंधित वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 154वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई-कार्रवाई के बारे में समिति के 162वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखती हूं।

---

[6]* सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। संख्या और 7415/17/22।

अपराह्न 12.06 बजे

समिति के लिए निर्वाचन

केंद्रीय रेशम बोर्ड

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश): महोदय, मैं श्री पीयूष गोयल जी की ओर से प्रस्ताव करती हूं:

> "कि केंद्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 4 की उप-धारा (3) के खंड (ग) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन केंद्रीय रेशम बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करें।"

[हिन्दी]

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

> "कि केंद्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 4 की उप-धारा (3) के खंड (ग) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन केंद्रीय रेशम बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

... (व्यवधान)

<u>अपराह्न 12.08 बजे</u>

ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 [7*]

[अनुवाद]

विद्युत मंत्री तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (श्री आर. के. सिंह): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

… (*व्यवधान*)

माननीय सभापति: श्री सौगत राय।

प्रो. सौगत राय (दमदम): महोदय, मैं ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2001 के पुर:स्थापन का विरोध करता हूं। … (*व्यवधान*) यह विधेयक ऊर्जा दक्षता ब्यूरो में केवल शीर्ष-भारी संरचना का निर्माण करता है। … (*व्यवधान*)... साथ ही, वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत खोजने के लिए, यह विधेयक निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं है। … (*व्यवधान*) भारत में, हम अभी भी कोयले से चलने वाली ऊर्जा पर निर्भर हैं। … (*व्यवधान*) इस प्रकार, इस विधेयक में हरित हाइड्रोजन, हरित अमोनिया और अन्य गैर-जीवाश्म ईंधन की शुरुआत करने में सहूलियत प्रदान करने के लिए कुछ नहीं है। … (*व्यवधान*) इसीलिए, मैं चाहता हूं कि इस विषय पर एक व्यापक विधेयक आए, और मैं इस विधेयक के पुर:स्थापन का विरोध करता हूं। … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

[7*] भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 03.08.2022 में प्रकाशित।

माननीय सभापति : श्री अधीर रंजन चौधरी जी।

… (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, नेशनल हेराल्ड का जो मुद्दा है।… (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, आपको उन्हें सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। वे नेता हैं।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप सभी माननीय सांसदों को अपनी अपनी सीट्स पर जाने के लिए कहिए। फिर बिल के बारे में जो आपत्ति दर्ज़ करना है, वह दर्ज़ कीजिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : केवल बिल के बारे में बोलिए।

… (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, नेशनल हेराल्ड के मुद्दे को लेकर जो हो रहा है।… (व्यवधान)

माननीय सभापति : नहीं, नहीं।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री बैन्नी बेहनन जी।

… (व्यवधान)

श्री आर. के. सिंह: माननीय सभापति महोदय, यह एक अमेंडमेंट बिल है।… (व्यवधान) इसमें जो प्रोविजन्स हैं, वे तीन-चार प्रोविजन्स हैं, जो कि बहुत ही सरल हैं।… (व्यवधान) पहला प्रोविजन है कि इसमें हम इनेब्लिंग प्रोविजन्स कर रहे हैं कि जो अभी फॉसिल फ्यूएल इस्तेमाल करते हैं, उसके बदले हम लोग नॉन-फॉसिल फ्यूएल का रिप्लेसमेंट करें।… (व्यवधान) यह हमारी आत्मनिर्भरता का सवाल है।… (व्यवधान) यह हमारे देश को और आत्मनिर्भर बनाएगा।… (व्यवधान) अभी हम बड़ी मात्रा में नैचुरल गैस, पेट्रोलियम

प्रोडक्ट्स का इम्पोर्ट करते हैं।... (व्यवधान) हम अपने देश में रिन्यूएबल एनर्जी से बनने वाले जो मैटेरियल्स हैं, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, उससे उसको धीरे-धीरे रिप्लेस करेंगे तो हमारी इम्पोर्ट पर जो निर्भरता है, वह कम होगी।... (व्यवधान)

दूसरा, इससे अब हम कार्बन मार्केट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। कार्बन मार्केट इंट्रोड्यूस करने का अर्थ यह होगा कि अब जो भी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएगा, उससे जो क्रेडिट मिलेगा, उसको दूसरे लोगों द्वारा खरीदने से हमारे रिन्यूएबल एनर्जी का फाइनैन्सिंग आसान होगा।... (व्यवधान) हमारा जो एनर्जी ट्रांजिशन है, वह भी आसान होगा। इससे हमारे पर्यावरण को लाभ होगा। हमारा अभी जो कार्बन डाई ऑक्साइड एमिशन है, वह भी कम होगा।... (व्यवधान)

तीसरा, हम यह भी कर रहे हैं, आज बड़ी-बड़ी रेजिडेन्शियल बिल्डिंग्स में 24 प्रतिशत ऊर्जा की खपत होती है, उसको हम लोग सस्टेनेबल बनाने के लिए इसमें प्रावधान कर रहे हैं। ... (व्यवधान) इसमें एनैब्लिंग प्रोविजन है कि उस बिल्डिंग को ग्रीन बिल्डिंग कैसे बनाया जाए और रिन्यूएबल एनर्जी के उपकरण कैसे लगाए जाएं।... (व्यवधान) उससे भी हमारी बिजली की खपत कम होगी, बिजली का बिल कम होगा और एन्वायरन्मेंट को भी लाभ होगा।... (व्यवधान) इन सभी का इम्प्लीमेंटेशन राज्य सरकारों के माध्यम से ही होगा। ... (व्यवधान) हम अपने ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएन्सी को बड़ा नहीं बना रहे हैं। जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएन्सी है, वही रहेगा। हम उसके बोर्ड को बड़ा बना रहे हैं, ताकि उसके संचालन में और भी विभाग भागीदारी कर सकें।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

माननीय सभापति: माननीय मंत्री जी, विधेयक को पुर:स्थापित करें।

... (<u>व्यवधान</u>)

[अनुवाद]

श्री आर.के. सिंह: महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं। … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय सभापति: अब हम जीरो आवर लेते हैं। हमें बहुत मुश्किल से अवसर मिलता है। इसमें सभी माननीय सदस्य अपनी बात रखने के लिए इच्छुक रहते हैं।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप सब कृपया करके अपनी-अपनी सीट्स पर जाइए, ताकि जीरो आवर के जो सबमिशन्स हैं, वे प्रस्तुत हो सकें। प्लीज़, आप सहयोग कीजिए। अपनी-अपनी सीट्स पर वापस जाइए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: सभा की कार्यवाही आज दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

… (व्यवधान)

अपराह्न 12.13 बजे

तत्पश्चात लोकसभा अपराह्न के दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा अपराह्न दो बजे पुनः समवेत हुई।

(श्री राजेन्द्र अग्रवाल *पीठासीन हुए*)

... (व्यवधान)

अपराह्न 2.01 बजे

नियम 377 के अधीन मामले [8*]

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाएगा। जिन सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों को आज उठाने की अनुमति दी गई है और जो उन्हें सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं, वे बीस मिनट के अंदर मामले का पाठ व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर भेज दें।

... (व्यवधान)

अपराह्न 2.01½ बजे

इस समय श्री बी. मणिक्कम टैगोर, श्री दयानिधि मारन और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

[8*] सभा पटल पर रखे गए माने गए।

(एक) भारत में पिन कोड प्रणाली के जनक श्रीराम भिकाजी वेलणकर के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी करने की आवश्यकता

डॉ. जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य स्वामीजी (शोलापुर): श्रीराम भिकाजी वेलणकर को भारतीय पोस्टल इंडेक्स नंबर कोड सिस्टम का जनक माना जाता है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क है। देशभर में लगभग डेढ़ लाख पोस्टल ऑफिस है। उनकी बनाई इस पिन कोड प्रणाली ने पत्र और पैकेजों को वितरित करने में मदद करके डाक वितरण में क्रांति ला दी। इस पिन कोड प्रणाली ने बड़ी कुशलता से वितरण की सुविधा प्रदान की। इसके तहत भारत को क्षेत्रों में विभाजित किया गया था और प्रत्येक क्षेत्र को विशिष्ट पिन कोड दिया गया। इस कोड का पहला अंक उस राज्य विशेष को इंगित करता है। श्रीराम वेलणकर को संस्कृत और पाली भाषाओं का भी अच्छा ज्ञान था।

साहित्य अकादमी ने उन्हें 20वीं शताब्दी का काव्यगंगा प्रवाहः आमची संस्कृत कविता संकलित करने के लिए नियुक्त किया था।

अतः मैं माननीय दूरसंचार मंत्री जी से नम्र निवेदन करता हूं कि श्रीराम वेलणकर जी का कार्य परिचय देखते हुए उनके नाम पर डाक टिकट जारी किया जाए।

(दो) बिहार के दरभंगा स्थित ऐतिहासिक राष्ट्रीय विद्यालय का पुनरुद्धार किए जाने एवं इसे एक राष्ट्रीय विरासत के रूप में घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री गोपाल जी ठाकुर (दरभंगा): राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रेरणा 1920 ई. में पूरे भारत वर्ष में असहयोग आदोलन के क्रम में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी। देश के प्रथम चरण में स्थापित पांच राष्ट्रीय विद्यालयों में दरभंगा शहर के लालबाग मुहल्ला स्थित विद्यालय भी शामिल था। इसकी स्थापना हुए 100 वर्ष से अधिक का समय हो गया है। उल्लेखनीय है कि इसके संस्थापक स्वर्गीय कमलेश्वरीचरण सिन्हा के कहने पर इसी स्कूल के प्रांगण में 1927 ई. में महात्मा गांधी ने अनाथालय की स्थापना की थी। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में यह विद्यालय एवं अनाथालय स्वतंत्रता सेनानियों का केन्द्र बन गया। महान इतिहासकार काली किंकर दत्त के फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार पुस्तक में इसका उल्लेख विशेष रूप से मिलता है। इसके अलावा कई ऐतिहासिक दस्तावेजों में नेशनल स्कूल, दरभंगा का जिक्र मिलता है। अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लेने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे आंदोलनों में उत्तर बिहार का यह प्रमुख केन्द्र रहा है । 1934 ई. में आए भूकम्प में भी यहां महात्मा गांधी की योजना के अनुसार कैम्प चलाया गया। इस स्कूल में रहने वाले मातृका प्रसाद कोईराला, विशेश्वर प्रसाद, गिरिजा प्रसाद कोईराला नेपाल के प्रधानमंत्री हुए। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर, पंडित कुलानंद वैदिक, गोपाल जी शास्त्री, यदुनंदन शर्मा, राधा नंदन झा, नीलामबर चौधरी, भूप नारायण झा सहित कई प्रमुख लोगों ने इस परिसर में आश्रय पाया एवं अपने शैक्षणिक, राजनीतिक और सामाजिक क्रिया-कलापों को परवान चढाया। अनेक विधायक, विधान पार्षद के साथ- साथ दरभंगा के प्रथम सांसद श्रीनारायण दास भी इस स्कूल से जुड़े थे। स्कूल के संस्थापक कमलेश्वरीचरण सिन्हा के सानिध्य में रह कर पं. रामनंदन मिश्र ने यही युवक संघ की स्थापना की थी। स्वतंत्रता आंदोलन के काल खंड में स्वतंत्रता सेनानियों के खुले एवं गुप्त बैठकों का साक्षी रहा यह स्थल आज नशेड़ियों और समाज विरोधी गतिविधि के लिए उपयोग में आ रहा है। इस परिसर का चारों ओर अवैध कब्जा करके अनैतिक व्यवसायिक इस्तेमाल किया जा रहा है। आज देश की यह राष्ट्रीय धरोहर जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है और निश्चित रूप से खंडहर बने इस परिसर को भूलना अपने इतिहास एवं संघर्ष को भूलने

जैसा है। देश के प्रथम महामहिम राष्ट्रपति के रूप में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जी दो बार इस विद्यालय के प्रांगण में आ चुके हैं। इसके प्रांगण में राष्ट्रपति महोदय के समक्ष शहीद स्मारक का शिलान्यास महामहिम के आदेश पर कमलेश्वरीचरण सिन्हा ने किया था। इसलिए मैं अपनी सरकार से मांग करता हूँ कि इस स्थल के पुनरुद्धार की मांग दशकों से हो रही है। अतः इस ऐतिहासिक स्थल को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाय।

(तीन) झारखंड को सूखा प्रभावित राज्य घोषित किए जाने के बारे में

श्री सुदर्शन भगत (लोहरदगा): मैं सरकार का ध्यान वर्षा के दिनों में झारखंड में हुई बेहद कम वर्षा से उत्पन्न स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। मेरे संसदीय क्षेत्र के जिला मला, लोहरदगा एवं रांची के मॉण्डर में अधिकांश लोग कृषि कार्यों से प्राप्त आय पर आजीविका चलाते हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र में लोगों की प्रमुख आय के साथ-साथ वर्ष भर की खाद्य सामग्री के रूप में धान की फसल बहुत महत्व रखती है। झारखण्ड राज्य में कृषि की स्थिति के आधार पर वहां की अर्थव्यवस्था निर्भर रहती है। झारखण्ड राज्य में इस वर्ष अपेक्षा एवं आवश्यकता के अनुरूप वर्षा न हो पाने के कारण ठीक से धान की रोपाई नहीं हो सकी है। वर्षा आधारित कृषि होने के कारण आज झारखण्ड के किसान धान सहित अन्य जरुरी फसलों की बुवाई नहीं कर पा रहे हैं।

कृषि ही झारखण्ड के लोगों के लिए आय का प्रमुख स्रोत है, साथ ही वर्ष भर घरों में खाद्य सामग्री की व्यवस्था करने का प्रमुख साधन भी है। ग्रामीण अंचल में लोगों को कम वर्षा से उत्पन्न स्थिति के कारण बहुत नुकसान होने जा रहा है। पूरे वर्ष भर उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। राज्य की आर्थिक स्थिति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

मेरा सरकार से निवेदन है, झारखण्ड राज्य में सूखे की स्थिति को ध्यान में रखते हुए व किसानों एवं जनता को होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए झारखण्ड राज्य में सूखा घोषित किया जाये एवं किसानों एवं ग्रामीणों के हितों को ध्यान में रखते विशेष सहायता की घोषणा की जाये जिससे कि झारखण्ड की जनता वर्षा कम होने (सूखा) से उत्पन्न स्थिति का सामना कर सके।

(चार) एकता एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 14795/96) की सेवाएं बहाल किए जाने के बारे में

श्री धर्मवीर सिंह (भिवानी-महेन्द्रगढ़): गाड़ी संख्या 14795/96 "एकता एक्सप्रेस गाड़ी" जो कि भिवानी से चलकर वाया चंडीगढ़-कालका तक पिछले लगभग 30 वर्षो से संचालित हो रही थी, पिछले दो वर्षों से (वैश्विक महामारी कोरोना के कारण) बन्द हैं। उक्त गाड़ी को पुन: चलाया जाए। दैनिक यात्री, कर्मचारी, चंडीगढ़ हाईकोर्ट के केसो को निपटाने के लिए जाने वाले एडवोकेटस, निम्न एवं मध्यम वर्ग के हजारों दैनिक यात्री जो कि अपनी रोजी-रोटी के लिए चंडीगढ़ आते-जाते थे, उक्त गाड़ी के बंद होने के कारण आमजन को काफी आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मेरा रेलवे मंत्रालय से निवेदन है गाड़ी संख्या 14795/96 (एकता एक्सप्रेस गाड़ी) को पुन: शीघ्र शुरू किया जाए।

(पांच) छत्तीसगढ़ में क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं आयोजना प्राधिकरण (कैम्पा) के अन्तर्गत किए गए कार्यों की जांच किए जाने के बारे में

श्री अरूण साव (बिलासपुर): वैसे तो छत्तीसगढ़ राज्य में सभी केंद्रीय योजनाओं के मद का कथित रूप से दुरूपयोग हो रहा है, परंतु वन एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए 2004 से स्थापित "क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (कैम्पा)'' की राशि का भी कथित रूप से दुरूपयोग हो रहा है। नियम एवं निर्देशों के विपरीत जाकर राशि खर्च की जा रही है, जिससे योजना का उद्देश्य विफल हो रहा है। छत्तीसगढ़ में कैम्पा के मद की राशि की कथित रूप से दुरूपयोग की शिकायतें लगातार मिल रही है। राज्य सरकार कैम्पा के मद की राशि का समुचित उपयोग करने में विफल रही है।

अतः मैं भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री जी से आग्रह करता हूं, कि पिछले तीन वर्षों में छत्तीसगढ़ राज्य में कैम्पा के अंतर्गत किए गए कार्यों की व्यापक जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही करें।

(छह) दीपावली, होली और दशहरा पर्वों के अवसर पर छुट्टियों के बारे में

श्री मितेष पटेल (बकाभाई) (आनंद): केंद्रीय विद्यालय समेत केंद्र सरकार द्वारा संचालित अन्य संस्थानों के लिए जब छुट्टियों का कैलेंडर बनाया जाता है तो हिंदुओं के बड़े त्योहारों पर कितने दिनों की छुट्टी हो आज़ादी के बाद से इसपर विचार नहीं किया गया। दीपावली, होली, दशहरे जैसे त्यौहार जो 3 से 10 दिन तक चलते हैं ऐसे त्योहारों के लिए एक दिन की छुट्टी होती है। ऐसे में जो छात्र और नागरिक लोकल या मेट्रो सिटीज में रहकर पढ़ाई करते, काम धंधा करते हैं अपने गाँव, परिवार, रिश्तेदार और दोस्तों के साथ त्योहार की खुशियां नहीं मना पाते हैं।

मेरा सरकार से आग्रह है कि दीपावली, होली और दशहरे के लिए कम से कम 3 से 5 दिन की छुट्टी हेतु विचार किया जाय।

(सात) प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली के डिजिटलीकरण को पूरा किए जाने के बारे में

श्री विवेक नारायण शेजवलकर (ग्वालियर): जिन पत्र हितग्राहियों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था वे सभी डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रासफर) प्रणाली के माध्यम से लाभान्वित हो रहे है। डीबीटी की सफलता के लिए जन धन खाते अति महत्वपूर्ण साबित हुए। इसके साथ ही आधार को बैंक खाते के साथ जोड़ने पर सरकार ने बहुत ध्यान दिया, जिससे डीबीटी प्रणाली को लागू करने में मदद मिली। वर्तमान में 15 से अधिक मंत्रालयों की योजनाएं डीबीटी के अंतर्गत आती हैं । परन्तु आज भी अनेकों हितग्राही अपने अधिकारों से वचित है। देखने में आ रहा है कि मानवीय त्रुटि के चलते सही जानकारी दर्ज न होने से पात्र हितग्राही परेशान व लाभ से वंचित है। वितरण श्रृंखला पूरी तरह डिजिटल नहीं है, श्रृंखला में मानवीय हस्तक्षेप सभी समस्याओं की जड़ है, यह चिन्ता की बात है।

डीबीटी को और अधिक सशक्त एवं सुचारू तरीके से क्रियान्वयन करने के लिये इसका पूरी तरह से डिजिटलाइजेशन होना अति आवश्यक है । साथ एक तंत्र स्थापित किया जाये कि शिकायतों का निराकरण जल्द से जल्द हो जाये।

क्या सरकार पूरी डिलीवरी चेन के एंड टू एंड डिलीवरी सिस्टम को पूरी तरह डिजिलिटीकरण व तत्काल त्रुटि सुधार करने हेतु कोई ठोस योजना बना रही है?

(आठ) अहमदनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सूरत-अहमदनगर न्यू ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना को पूरा कर चालू किए जाने के बारे में

[अनुवाद]

डॉ. सुजय विखे पाटील (अहमदनगर): भारत सरकार ने मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अहमदाबाद में सूरत-अहमदनगर नई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी है। एनएचएआई ने अहमदनगर जिले में भूमि अधिग्रहण कार्यकलाप शुरू कर दिया है , हालांकि, विशेष रूप से राहुरी और नगर तालुका में प्रभावित भूमि स्वामियों ने सीमांकन संबंधी कार्य रोक दिया है और अपनी कृषि भूमि, जो परियोजना के दोनों ओर विभाजित हो रही है, में खेती की सुविधा के लिए परियोजना राजमार्ग के दोनों किनारों पर सर्विस रोड सुविधा की मांग की है। प्रभावित भूमि स्वामी सर्विस रोड के निर्माण के लिए एनएचएआई से लिखित आश्वासन और अनुमोदित नक्शे की मांग कर रहे हैं। एन.एच.ए.आई. परियोजना की 40 प्रतिशत लंबाई के लिए सर्विस रोड प्रदान करने पर सहमत हुआ है और तदनुसार एन.एच.ए.आई. के निर्णय से दिनांक 25.03.2022 को जिला कलेक्टर, अहमदनगर को अवगत करा दिया गया है। किसानों की उचित मांगों को पूरा करने के लिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि अधिगृहीत भूमि में उपरोक्त परियोजना में कम से कम 80 प्रतिशत सर्विस रोड सुविधा प्रदान की जाए और प्रभावित किसानों की कृषि उपज के परिवहन की सुविधा के लिए परियोजना राजमार्ग के दोनों ओर कच्ची सड़क की व्यवस्था की जाए। डी.पी.आर. प्राक्कलन में सर्विस रोड सुविधा दर्शानेवाले ड्राइंग के साथ-साथ सर्विस रोड का आवश्यक प्रावधान किया जाना चाहिए। इस एक्सप्रेसवे के जल्द पूरा होने और परिचालन से आर्थिक विकास चार गुना हो जाएगा और अहमदाबाद के निवासियों को आने-जाने में आसानी होगी।

(नौ) राजस्थान के राजसमंद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्वीकृत केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना शीघ्र किए जाने के बारे में

[हिन्दी]

सुश्री दिया कुमारी (राजसमन्द): मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और माननीय शिक्षा मंत्री का आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने मेरे संसदीय क्षेत्र राजसमन्द की महत्वपूर्ण मांग को पूरा करते हुए मेड़ता, भीम और राजसमंद को एक-एक नया केन्द्रीय विद्यालय दिया। ये प्रस्तावित तीनों केन्द्रीय विद्यालय अभी तक शुरू नहीं हुए हैं। इनको खोलने के लिए सभी औपचारिकताएं पूर्ण हो चुकी हैं। केन्द्रीय विद्यालयों के संचालन हेतु अस्थाई भवन का चयन और विद्युत कनेक्शन और पेयजल आपूर्ति हेतु सारी कार्रवाई कर ली गई है।

मेरी सरकार से मांग है कि इन तीनों केन्द्रीय विद्यालयों को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। इसके अलावा मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत जैतारण विधानसभा से नए केन्द्रीय विद्यालय का प्रस्ताव भी राज्य से भिजवा दिया गया है। इस सम्बंध में सरकार आवश्यक कार्रवाई करे।

(दस) छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में एक सैनिक स्कूल खोले जाने के बारे में

श्री सुनील कुमार सोनी (रायपुर): केन्द्र सरकार द्वारा बच्चों के भविष्य संवारने हेतु केन्द्रीय विद्यालय के अतिरिक्त सैनिक स्कूल भी संपूर्ण देशभर में संचालित है। उक्त सैनिक स्कूल के माध्यम से बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ भारतीय सैन्य सेवा में अपना भविष्य संवारने का एक अच्छा अवसर प्राप्त होता है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में केवल एक सैनिक स्कूल अंबिकापुर, जिला सरगुजा में संचालित है। सैनिक स्कूल में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा के माध्यम से कक्षा छठवी एवं नवमीं में प्रवेश मिलता है। छत्तीसगढ़ राज्य स्थित अंबिकापुर सैनिक विद्यालय में कक्षा नवमी में प्रवेश हेतु एक भी सीट उपलब्ध नहीं है। केन्द्र सरकार द्वारा बजट में निर्णय लिया गया है कि संपूर्ण देश में 100 नये सैनिक विद्यालय प्रारंभ किये जायेंगे।

अतः मेरा माननीय रक्षा मंत्री जी से अनुरोध है कि छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी नया रायपुर में उक्त स्वीकृत 100 सैनिक विद्यालय में से एक विद्यालय स्वीकृत किये जाने की कृपा करेंगे जिससे कि छत्तीसगढ़ राज्य के बच्चों को सैनिक स्कूल में पढ़ने का अधिकाधिक अवसर प्राप्त होगा एवं आगे भविष्य में भारतीय सैन्य सेवा में उचित अवसर पर भी प्राप्त होगा।

(ग्यारह) झारखंड के गढ़वा जिले के नगर उंटारी (श्री बंसीधर नगर) रेलवे स्टेशन पर रांची-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू): मैं सरकार का ध्यान एक अति महत्वपूर्ण बिषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि पलामू संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत गढ़वा जिले के नगर उंटारी (श्री बंशीधर नगर) स्टेशन होकर रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन संख्या -12453/12454 सप्ताह में एक दिन रविवार को रांची से एवं शनिवार को नई दिल्ली से चलती है। उक्त ट्रेन रांची से खुलने पर डालटनगंज, गढ़वा रोड़, रेणुकुट, चोपन, प्रयागराज, कानपुर होते हुए नई दिल्ली पहुंचती है। विदित है कि गढ़वा रोड़ स्टेशन एवं नगर उंटारी स्टेशन के बीच 48 किलोमीटर की दूरी है परंतु उक्त ट्रेन का नगर उंटारी स्टेशन पर ठहराव नहीं होने से यात्रियों को आवागमन में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। नगर उंटारी स्थित श्री बंशीधर मंदिर के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को देखते हुए झारखण्ड सरकार एवं गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मेरे अनुरोध पर उक्त स्थान का नाम जो पहले नगर उंटारी था उसे बदल कर श्री बंशीधर नगर किया गया है। उल्लेखनीय है कि पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर जोन के धनबाद मंडल में पड़ने वाले गढ़वा जिला अंतर्गत गढ़वा रोड़-नगर उंटारी-चोपन रेल खंड पर स्थित श्री बंशीधर नगर को झारखंड राज्य का प्रमुख तीर्थ स्थल श्री बंशीधर धाम कहा जाता है। यहाँ पर श्री राधा-कृष्ण जी की 32 मन की विशुद्ध स्वर्ण प्रतिमा स्थापित है। ऐसी प्रतिमा अन्य स्थानों पर कहीं नही होने के कारण यहाँ पर प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में देश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा रहता है।

अतः मैं माननीय रेल मंत्री जी से मांग करता हूँ कि श्री बंशीधर धाम की ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को देखते हुए नगर उंटारी रेलवे स्टेशन (श्रीबंशीधर नगर) पर रांची-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन संख्या -12453/12454 का ठहराव देने की कृपा करेंगे।

(बारह) राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में विमान संपर्क प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री निहाल चन्द चौहान (गंगानगर): मेरा संसदीय क्षेत्र जिला श्रीगंगानगर एक सीमावर्ती जिला है, जिसको हवाई मार्ग से जोड़ा जाना अत्यंत ही आवश्यक है। देश व प्रदेश की राजधानी से यहाँ की दूरी लगभग 500 किलोमीटर है। श्रीगंगानगर के लालगढ़ में हवाई पट्टी मौजूद है, जहाँ पर पूर्व में हवाई सेवा प्रारम्भ की गई थी, जोकि यात्रियों की मूलभूत सुविधाओं के बिना ही शुरू कर दी की गई थी और साथ ही हवाई पट्टी भी मानक स्तर की नहीं थी। इसलिए यहाँ से हवाई सेवा को बंद कर दिया गया था। सीमावर्ती इस क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि के मद्देनजर भी इस एयरपोर्ट का बहुत अधिक महत्व रहेगा । यहाँ पूर्व निर्मित हवाई पट्टी 1200 मीटर की है, जिसकों 2000 से 2500 मीटर लम्बी व 50 से 60 मीटर चौड़ी बनाये जाने की अति आवश्यकता है, इसके साथ ही अन्य संसाधनों को भी स्थापित करने की जरुरत है। अत: मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि उड़ान योजना के अंतर्गत मेरे संसदीय क्षेत्र श्रीगंगानगर को हवाई मार्ग से जोड़ने, एयरपोर्ट पर तकनीकी सुविधाओं, हवाई पट्टी और मानक मापदंडों समेत एयर ट्रैफिक कंट्रोल प्रणाली को स्थापित करते हुए हवाई सेवा शुरू करने का कष्ट करें।

(तेरह) उत्तर प्रदेश में सूखे जैसी स्थिति के बारे में

डॉ. संघमित्रा मौर्य (बदायूं): जैसा कि हम सब जानते है की हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है । ऐसे मे किसानों की चिंता करना हम सब का कर्तव्य है । विगत दिनों में प्रदेश में मौसम बिल्कुल भी अनुकूल नहीं रहा है जब बारिश की जरूरत नही थी उस समय में अतिवर्षा, ओलावृष्टि और जब बारिश की जरूरत है तब सूखा की स्थिति बनी हुई है , ऐसे में धान, बाजरा की बुआई प्रभावित हो रही है। धान रोपाई का सीजन निकलता जा रहा है। अब तक अधिकतर किसान धान की पौध तक तैयार नहीं कर सके हैं। जिन खेतों में पौध को लगाया गया है, बह बारिश नहीं होने की वहज से सूख रही है। यदि हम मॉनसून की केवल जून और जुलाई की बात करें तो दो महीनों में 112 एमएम बारिश हुई है। वही हम पिछले कुछ सालों पर जून-जुलाई पर यदि नजर डालें तो वर्ष 2019 में 222.25 एमएम, वर्ष 2020 में 239.25 एमएम, वर्ष 2021 में 185.75 एमएम एवं वर्ष 2022 में 112 एमएम ही बारिश हुई है जो 2021 से लगभग 60 एमएम, 2020 से लगभग 127 एमएम और 2019 से लगभग 110 एमएम कम है।

इस बार मौसम विभाग ने अनुमान जताया था कि अच्छी बारिश होगी। समय पर मानसून भी आएगा। इससे किसानों के चेहरे खिल गए थे, लेकिन अपेक्षाकृत बारिश नहीं होने से किसानो के चेहरों पर उदासी दिख रही है। उनको काफी नुकसान हो रहा है। जून में किसानों को बेहतर बारिश की उम्मीद थी, जून में सामान्य वर्षा नहीं हुई तो लोगों को उम्मीद थी कि जुलाई में हो सकता है बारिश हो पर अब तक बारिश न होने से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखने लगी हैं।

यदि मैं अपनी लोकसभा की बात करूं तो पूर्व में अतिवर्षा होने के कारण मेरे लोकसभा क्षेत्र बदायूं जो कि भारत का मेंथा शहर के नाम से भी जाना जाता है वहां मेंथा की फसल का अत्यधिक नुकसान हो चुका है और अब मेरे लोकसभा के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में सूखा की स्थिति बनी हुई है । ऐसे में मैं यह चाहूंगी कि किसानों को हुए नुकसान का केंद्रीय टीम द्वारा परीक्षण कराकर उनको उचित मुआवजा दिया जाए जिससे उनकी भरपाई की जा सकें।

(चौदह) मध्य प्रदेश के सीधी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 39 पर बरगवां रेलवे क्रॉसिंग पर उपरिपुल का निर्माण किए जाने के बारे में

श्रीमती रीती पाठक (सीधी): मै माननीय मंत्री जी को अवगत कराना चाहती हूँ कि मेरा संसदीय क्षेत्र सीधी जहां आवागमन की पर्याप्त सुविधा नही है,माननीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के प्रयास से मेरे बार-बार आग्रह करने पर सीधी- सिंगरौली सड़क का कार्य प्रगति पर है, परन्तु इसी मार्ग में (राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 39) बरगवां मे रेलवे क्रॉसिंग है , जहां सड़क मार्ग से आवागमन करने वाले लोगों को दिन व रात मे कभी-कभी घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। मेरे द्वारा बरगवां रेलवे क्रॉसिंग में ओवर ब्रिज का निर्माण कराने के लिए पूर्व मे भी आग्रह किया गया था। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 39 के बरगवां रेलवे क्रॉसिंग पर ओवर ब्रिज का निर्माण कराया जाए, जिसके फलस्वरूप क्षेत्रवासियों को घंटों के जाम से छुटकारा मिल सके।

(पंद्रह) कन्याकुमारी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सड़क एवं रेलवे संबंधी कार्यों को पूरा किए जाने एवं समुद्री अपरदन को रोके जाने के बारे में

[अनुवाद]

श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत (कन्याकुमारी): मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के लंबे समय से लंबित मुद्दों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

राष्ट्रीय राजमार्ग 66, राष्ट्रीय राजमार्ग 47 और 47 ख की चार लेन परियोजना मिट्टी न मिल पाने के कारण लंबित है। मौजूदा अनुबंध को समय से पहले समाप्त कर दिया गया है। आसपास के जिलों से मिट्टी लाने के लिए अतिरिक्त व्यय को शामिल करते हुए परियोजना हेतु एक बार फिर से निविदा तुरंत निकाली जानी चाहिए। साथ ही, केंद्र सरकार को मिट्टी की आवश्यकता के लिए राज्य सरकार के साथ संपर्क करना चाहिए। इस कार्य को अत्यंत प्राथमिकता के साथ किया जाना चाहिए।

साथ ही, मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग 47 की मरम्मत के लिए धनराशि का आवंटन किया गया है, लेकिन कार्य शुरू किए जाने में कोई प्रगति नहीं हुई है। इस पर कृपया ध्यान दिया जाए।

तटीय गाँव लगातार समुद्री कटाव से प्रभावित होते हैं। हर मौसम में सैकड़ों घर तबाह हो जाते हैं। सरकार को इसे राष्ट्रीय आपदा मानना चाहिए और कन्याकुमारी जिले के तटीय क्षेत्र में जान और माल को बचाने के लिए एक स्थायी समाधान निकालना चाहिए। केंद्र को तट के किनारे 72 किलोमीटर लंबी समुद्री दीवारों के निर्माण के उद्देश्य से विशेष धनराशि का आवंटन भी किया करना चाहिए।

मैं रेल मंत्रालय से लगातार अनुरोध करता रहा हूं कि चल रहे रेल कार्यों विशेष रूप से रेलमार्ग के दोहरीकरण के कार्य को तेजी से पूरा किया जाए और लोगों की आवश्यकता के अनुसार नई रेलगाड़ियां भी आरंभ की जाएं। इस दिशा में बहुत कम काम हुआ है और इसलिए, मैं अनुरोध करता हूं कि इस पर ध्यान दिया जाए।

हम कन्याकुमारी में एक हेलीपोर्ट के लिए भी अनुरोध कर रहे हैं जो प्रतिकूल मौसम के दौरान समुद्र में खो जाने वाले मछुआरों को बचाने में मदद करेगा। इस पर भी सकारात्मक रूप से विचार किए जाने की आवश्यकता है।

मैंने विभिन्न मंत्रालयों में जाकर और माननीय मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान उपरोक्त मुद्दे उठाए गए थे और मैंने इससे पहले संसद में भी इन मुद्दों को उठाया है।

मैं संबंधित मंत्रालयों से युद्ध स्तर पर इन मुद्दों का समाधान करने का आग्रह करता हूं।

(सोलह) देशी खाद्य तेलों को बढ़ावा देने वाली योजना के बारे में

श्री के. षणमुग सुंदरम (पोलाची): जब भी खाद्य तेल की कीमतों में वृद्धि होती है, केंद्र सरकार मूल्य वृद्धि से निपटने के लिए आयात शुल्क को तुरंत कम कर देती है। यह कदम हमारे देश के किसानों और मिल मालिकों के लिए हानिकारक है। भारत अपनी खाद्य तेल आवश्यकताओं का 60 प्रतिशत आयात करता है जिसमें से 60 प्रतिशत पाम ऑयल है, जिसका उपभोग करने के विरुद्ध विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है क्योंकि इसमें धमनियों को अवरुद्ध करने वाले संतृप्त वसा की उच्च मात्रा मौजूद होती है।

हाल के रूस-यूक्रेन संघर्ष ने सूरजमुखी तेल की उपलब्धता को प्रभावित किया है। इंडोनेशिया ने पाम ऑयल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे एक बार फिर कीमतों में वृद्धि हुई है।

इस स्थिति से निपटने और खाद्य तेल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के लिए सरकार को इसके बजाय विभिन्न खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ावा देना चाहिए, जिनका उत्पादन हमारे देश में ही किया जाता है जैसे तिल का तेल, नारियल का तेल, सरसों का तेल आदि।

भारत सरकार को नारियल तेल के उत्पादन और संवर्धन के लिए तत्काल एक योजना की घोषणा करनी चाहिए।

नारियल के लिए विश्व प्रसिद्ध पोलाची निर्वाचन क्षेत्र को इससे काफी लाभ होगा और इससे भारत को खाद्य तेलों का निर्यातक बनने में मदद मिलेगी। इस योजना से कई अन्य राज्यों को भी लाभ होगा।

मैं एक बार फिर केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह देशी खाद्य तेलों के संवर्धन के लिए एक योजना की घोषणा करे।

(सत्रह) तिरूपति स्थित आईआईटी और आईआईएसईआर को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किए जाने के बारे में

श्री मद्दीला गुरूमूर्ति (तिरुपति): आन्ध्र प्रदेश के विभाजन ने राज्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है क्योंकि इससे केंद्र सरकार के कई संस्थान इस राज्य में अब नहीं हैं। एक प्रतिपूरक उपाय के रूप में, केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों के विकास का वादा आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 में किया गया था।

इस बारे में, केंद्र सरकार के संज्ञान में यह बात लायी जाती है कि तिरुपति में दो प्रमुख संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) और भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) अभी भी अस्थायी परिसरों से काम कर रहे हैं। राज्य के विभाजन के आठ वर्ष बाद भी, एक स्थायी परिसर और आधारभूत सुविधाओं की कमी इन संस्थानों के विकास में बाधा बनी हुई है। आईआईएसईआर और आईआईटी के विकास से तिरुपति क्षेत्र को बहुत लाभ होगा क्योंकि इससे दो प्रमुख शैक्षिक संस्थानों के बीच विशिष्ट सहक्रिया का मार्ग प्रशस्त होगा।

उच्च शिक्षा और अनुसंधान में उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में इन संस्थानों के विकास के लिए केंद्र सरकार के निरंतर सहायता और सहयोग की आवश्यकता होगी। मैं माननीय शिक्षा मंत्री से अनुरोध करता हूं कि तिरुपति में आईआईटी और आईआईएसईआर के त्वरित विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक सभी आवश्यक वित्तीय और गैर-वित्तीय सहायता प्रदान करें।

(अठारह) कुलटली और जयनगर के बीच रेल की सुविधा प्रदान किए जाने के बारे में

श्रीमती प्रतिमा मण्डल (जयनगर): कुलटली और जयनगर के बीच 40 किमी की दूरी है तथा ये आपस में जयनगर जामताला रोड नामक राज्य राजमार्ग से जुड़े हुए हैं। कार से कुलटली से जयनगर की यात्रा करने में एक घंटा लगता है। इस क्षेत्र के लोगों के पास परिवहन के साधन के नाम पर साइकिल की सुविधा है जो दैनिक यात्रियों के लिए बेहद कठिन हो जाता है, जिनमें मुख्य रूप से छात्र, मजदूरी करने वाली महिलाएं और बुजुर्ग लोग शामिल हैं। यदि वे अपनी साइकिल के अलावा कुछ भी अन्य साधन का चयन करते हैं तो यह भी महंगा होता है। इसलिए , कुलटली के लोग कुलटली से जयनगर तक रेल संपर्क की मांग कर रहे हैं। वे रेल लाइन बिछाने के लिए भूमि उपलब्ध कराने के लिए इच्छुक हैं। इसलिए इसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। यह रेल संपर्क पांच लाख से ज्यादा लोगों के लिए वरदान साबित होगा। बच्चों को आने-जाने में समय व्यतीत करने के बजाय पढ़ने के लिए अधिक समय मिलेगा। महिलाएं और पुरुष अधिक आय अर्जित कर सकेंगे और उनका स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। उक्त संपर्क का महत्व केवल शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। स्वतंत्रता के 75 साल हो गए हैं और उक्त क्षेत्र के लोग पीढ़ियों से इसकी मांग कर रहे हैं। आज समय की मांग को देखते हुए कुलटली और जयनगर के बीच रेल संपर्क स्थापित करके लोगों की सहायता करना अत्यंत आवश्यक है।

(उन्नीस) दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव में सड़कों के निर्माण के बारे में

[हिन्दी]

श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर (दादरा और नगर हवेली): दादरा नगर हवेली, दमन दीव केंद्र सरकार के अधीन हैं फिर भी यहाँ की जर्जर सड़कों के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लोग कई मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित है। प्रदेश में बरसात अधिक है यह जानकारी प्रशासन के पास होने के बाद भी मानसून से ठीक पहले सड़कों की अंधाधुंध तरीके से खुदाई और डिवाइडर को हटा दिया गया जिसकी अभी जरूरत नहीं थी, जिस वजह से आज सड़कों की स्थिति बद से बदतर हो गई है। शहर एवं गावों की सड़कों में बड़े-बड़े गड्ढों ने वाहन चालकों की परेशानी बढ़ा दी है, जानलेवा दुर्घटनाएं हो रही है। बच्चे भी इस तरह के खतरों के बीच स्कूल जाने को मजबूर हैं। आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि 6-6 वर्ष बीतने के पश्चात् भी प्रदेश की एक भी सड़क ठीक तरीके से नहीं बन पाई है। प्रशासन के विभिन्न अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। अतः मैं सरकार से आग्रह करती हूँ कि जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए संबंधित अधिकारियों को तथा विभाग को प्रदेश की सभी सड़कों को गुणवत्ता के साथ शीघ्र बनाने का आदेश जारी करने की कृपा करें।

(बीस) बिहार स्थित सहरसा जंक्शन से गाड़ी संख्या 02563/02564 का परिचालन बहाल किए जाने की आवश्यकता

श्री दिनेश चन्द्र यादव (मधेपुरा): बिहार राज्य के पूर्व मध्य रेलवे अन्तर्गत समस्तीपुर डिवीजन के सहरसा जंक्शन से प्रतिदिन नई दिल्ली के लिए हमसफर एक्सप्रेस गाड़ी सं0- 02563/02564 चलती थी, जिसे अब बरौनी जंक्शन से हीं चलाया जा रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत सहरसा जंक्शन व्यावसायिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। यह अत्यंत पिछड़े क्षेत्र में अवस्थित है । सहरसा, जिला एवं प्रमंडल मुख्यालय भी है। सहरसा समस्तीपुर डीविजन में महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। कोसी क्षेत्र के तीन जिलों सहरसा, मधेपुरा और सुपौल के साथ-साथ खगड़िया जिले के रेलयात्री भी काफी संख्या में हमसफर से रेल यात्रा करते हैं, ऐसी परिस्थिति में सहरसा जंक्शन से हमसफर जैसी रेलगाड़ी को हटाकर बरौनी जंक्शन से चलाना दुर्भाग्यपूर्ण है, इससे कोसी क्षेत्र की जनता में काफी आक्रोश है। अतः रेल मंत्री जी से आग्रह है कि पूर्व मध्य रेलवे अन्तर्गत समस्तीपुर डिवीजन के सहरसा जंक्शन से पूर्व की तरह चलनेवाली हमसफर एक्सप्रेस गाड़ी सं0- 02563/02564 को पुनः सहरसा जंक्शन से ही चलाया जाय एवं सहरसा जंक्शन पर अवस्थित वॉसिंग पीट का विस्तार करने के साथ-साथ दौरम मधेपुरा में भी वॉसिंग पीट का निर्माण कराया जाए।

(इक्कीस) मध्याह्न भोजन योजना के बारे में

श्री गिरीश चन्द्र (नगीना): मिड डे मील योजना में पूरे देश में माध्यमिक और लघु माध्यमिक विद्यालयों के बच्चों को दोपहर का भोजन दिया जाता है इस योजना में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर 75:25 के अनुपात में व्यवस्था करती है। सरकारी स्कूलों में अधिकांश बच्चे गरीब परिवार से आते हैं, जो सुख सुविधाओं से वंचित होते हैं। पौष्टिक आहार देने से कुपोषण को काफी हद तक रोका जा सकता है। मिड डे मील भोजन को पकाने के लिए रसोईयों की स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए और वह उच्च स्तर पर प्रशिक्षित भी होना चाहिए। यह योजना केवल बच्चों को उनका पेट भरने के मकसद तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। यह एक ऐसा आहार होना चाहिए जिसमें बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास हो। मिड डे मील में सबसे विशेष बात है कि बच्चों को पौष्टिक आहार देना जो आज तक नहीं हो पाया। सरकार से मेरी मांग है कि मिड डे मील योजना के तहत बच्चों को भोजन के साथ-साथ दूध अंडे फल, ड्राई फूट्स आदि को भी शामिल किया जाना चाहिए इससे बच्चों का शारीरिक और मानसिक दोनों विकास होगा।

(बाईस) न्यूनतम मजदूरी प्रदान किए जाने एवं कामगारों को नियमित किए जाने के बारे में

[अनुवाद]

श्री हसनैन मसूदी (अनन्तनाग): स्थायी दिहाड़ी कामगारों,दिहाड़ी कामगारों, नैमित्तिक कामगारों, आवश्यकता आधारित कामगारों, विकास – एचडीएफ, सीडीएफ, एसडीएफ, श्रमिकों आदि जैसे विभिन्न नामों वाले 60 हजार से अधिक कामगारों / कर्मचारियों को नियमित करने का कार्य पिछले दो दशकों से अधिक समय से लंबित है। हालांकि संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने न्यूनतम मजदूरी की घोषणा की लेकिन अधिकांशतः, संबंधित लाभ किसी न किसी बहाने अस्वीकार कर दिया जाता है। होमगार्ड की हालत बहुत खराब है। उन्हें प्रति माह 2700 रुपये की अत्यल्प राशि का भुगतान किया जाता है, जबकि एनसीआर दिल्ली में उन्हें 23,000 रुपये का भुगतान किया जाता है। ग्रामीण विकास विभाग के सीआईसी कामगारों और अन्य कामगारों को भी इसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को ऐसे कामगारों को नियमित करने और उन्हें न्यूनतम मजदूरी प्रदान करने के लिए आवश्यक रूप से कदम उठाने चाहिए।

(तेईस) ओडिशा में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभार्थियों के बारे में

श्रीमती मंजुलता मंडल (भद्रक) : मैं माननीय ग्रामीण विकास मंत्री, भारत सरकार का ध्यान ओडिशा में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) से वंचित लाभार्थियों की लंबे समय से लंबित नई सूची की ओर आकर्षित करना चाहती हूं, जिसके परिणामस्वरूप "2022 तक सभी के लिए आवास" योजना के उद्देश्य को विफल हो रही है। सभी पात्र लाभार्थियों को नई सूची में शामिल करना और उन्हें अविलंब अपेक्षित निधि आवंटित किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

पारदर्शी निष्पादन और इसकी सफलता के लिए पोर्टल को तुरंत खोलना जरूरी है । ओडिशा के माननीय मुख्यमंत्री ने माननीय प्रधान मंत्री से आवास प्लस सूची के साथ राज्य द्वारा विकसित ग्रामीण आवास पोर्टल के माध्यम से चिन्हित किए गए लगभग 6.65 लाख परिवारों और 1.84 लाख चक्रवात फ़ानी प्रभावित परिवारों के डेटा को फिर से खोलने का अनुरोध किया है। इसके अलावा, मेरे संसदीय क्षेत्र भद्रक में लगभग 57,190 लाभार्थियों की पहचान की गई है और वे उक्त योजना के लिए निधि आवंटन की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

अपराह्न 2.01 बजे

केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022

[हिन्दी]

माननीय सभापति: आइटम नंबर 18, केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022.

माननीय मंत्री जी।

… (व्यवधान)

शिक्षा मंत्री तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान): महोदय, मैं प्रस्ताव [9*] करता हूं:

"कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।" …(व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं आपके सामने और आपके माध्यम से सदन के सामने केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 का एक संशोधन प्रस्ताव लेकर आया हूं। …(व्यवधान) देश में जिस प्रकार के इन्फ्रास्ट्रक्चर का काम शुरू हुआ है, जिस प्रकार का मल्टी मोडल, मल्टी सैक्टोरल इन्फ्रास्ट्रक्चर का रूप बनने लगा है, उसके लिए उपयुक्त मानव संबल की भी आवश्यकता है, अप्रोप्रिएट ह्यूमन रिसोर्स की भी आवश्यकता है।…(व्यवधान) उसको ध्यान में रखते हुए सरकार का यह निर्णय हुआ है कि हमें एक वैश्विक स्तर की ग्लोबल स्टैंडर्ड मल्टी मोडल, मल्टी सैक्टोरल एक एकैडमिक इको सिस्टम, नॉलेज इको सिस्टम बनाने की आवश्यकता है।…(व्यवधान) उसी के तहत एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, हमारी सरकार के माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की जो एक दूरदृष्टि है कि एक 'गति शक्ति मिशन' बना है। गति शक्ति परिकल्पना के अंतर्गत सारे विभागों का एक प्रकार से एकीकरण करके, नीति के लिए, नियम के लिए इसका एक नया

[9*] राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

ढांचा बनता दिख रहा है।...(व्यवधान) इसमें ट्रांसपोर्टेशन के सारे विभाग, रेलवे, रोड सैक्टर, वाटरवेज़, एविएशन सैक्टर, कोर सैक्टर तथा आईटी जैसे आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, इन सबको सभी प्रकार के संवाद की, दूरसंचार की, गमनागमन की व्यवस्था को गति शक्ति के प्लेटफॉर्म पर एक करने की आज योजना बन रही है, क्रियान्वित हो रही है।...(व्यवधान) इस प्रकार का ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने में देश आज जुटा है।...(व्यवधान) उचित होगा कि इस प्रकार के इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए मानव संबल भी वैसा ही बने।...(व्यवधान) इसीलिए मैने कहा, मल्टी सैक्टोरल, मल्टी मोरल, मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डिसिप्लिनरी, वैसे स्तर का एक विश्वविद्यालय बने।...(व्यवधान) रेलवे विभाग की अगुवाई में वर्ष 2018 से एक डीम्ड यूनिवर्सिटी चल रही है।...(व्यवधान) आज उसकी आवश्यकता हुई है, उसकी परिधि को सर्वव्यापी करना, सर्वदेशी करना, इसीलिए यह संशोधन प्रस्ताव विश्वविद्यालय, 2009 कानून में हम लेकर आए हैं। इसे आपके विचारार्थ, सदन के विचारार्थ हम स्थापित कर रहे हैं।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्रीमती रंजनबेन भट्ट (वडोदरा): आदरणीय सभापति जी, मैं केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 के समर्थन में खड़ी हुई हूं। मैं सर्वप्रथम आपका धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूं क्योंकि आपने मुझे केन्द्र सरकार द्वारा पारित किए जाने वाले केन्द्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 2022 के समर्थन में बोलने का अवसर प्रदान किया। भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही शिक्षा का अत्यधिक महत्व रहा है। शिक्षा न केवल मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए, बल्कि समाज और देश के विकास के लिए भी अति आवश्यक है। शिक्षा न केवल मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए, बल्कि समाज और देश के विकास के लिए भी अति आवश्यक है । शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रोजगार प्रदान करना और तकनीकी रूप से देश को उच्चता के शिखर पर पहुंचाना है। रेल का परिचालन अपने आप में ही एक जटिल प्रणाली के जरिए होता है

| विभिन्न सिस्टम आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। इसमें अलग-अलग तरह की विशेषताएं एवं तकनीकी स्किल्स की जरूरत होती है | इन सिस्टम और स्किल्स को विकसित करने में वर्षों लग जाते हैं।

आदरणीय सभापति जी, पिछले कुछ वर्षों में रेलवे में नई नई तकनीकें आई हैं, जैसे नई सिग्नलिंग प्रणाली (कवच), नई ट्रेन (वंदे भारत) जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से यात्रा के समय को कम करना, उसे अधिक सुखमय बनाना और शत-प्रतिशत सुरक्षा की गारंटी देना रहा है । इतनी जटिल तकनीकी प्रणाली को चलाने के लिए कर्मियों को एक गहन आरंभिक प्रशिक्षण दिया जाता है, और समय-समय पर रिफ्रेशर कोर्स भी कराए जाते हैं, क्योंकि रेल सेवा में आने से पहले उनके पास वह विशेषज्ञता और तकनीकी स्किल्स नहीं होते जो उस काम के लिए आवश्यक होते हैं । ऐसे में हमें तकनीकी रूप से शिक्षित प्रशिक्षित युवक - युवतियों की आवश्यकता है, जिनकी मूल तकनीकी शिक्षा में ही ऐसे तत्वों का समावेश हो कि वे पाठ्यक्रम पूरा करने के साथ ही ट्रेन संचालन की बारीकियों को पूरी तरह से जान जाएं ताकि उन्हें तुरंत काम पर लगाया जाए।

आदरणीय सभापति जी, दुनिया में हर बड़े रेलवे ने रेलवे प्रणालियों के अध्ययन, शोध और स्किलिंग के लिए विश्वविद्यालय स्थापित किए गये हैं, जैसे - मैसाचुसेट्स सेंटर इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका (1861), रेलटेक यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय, अमेरिका (1867), रेलवे टेक्निकल रिसर्च इंस्टिट्यूट, जापान (1986), मास्को स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ रेलवे इंजीनियरिंग, रूस (1896), बर्मिंघम सेंटर फॉर रेलवे रिसर्च एंड एजुकेशन, इंग्लैंड (1972) और बीजिंग जियाओटोंग यूनिवर्सिटी, चीन (1896)।

आदरणीय सभापति जी, अगले दशक में भारत दुनिया का सबसे युवा जनसंख्या वाला देश होगा और इन युवाओं को उच्चतर गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने पर ही भारत का भविष्य निर्भर करेगा । बिग डाटा, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में हो रहे बहुत से वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के चलते ऐसे कुशल कामगारों की जरूरत और मांग बढ़ेगी। जो उच्च स्तरीय तकनीकी योग्यता रखते हैं। वैश्विक परिस्थिति में तीव्र गति से आ रहे परिवर्तनों की वजह से यह और भी जरूरी हो गया है।

इन सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हए वर्ष 2018 में एक नई शुरुआत केंद्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान (एनआरटीआई) के रूप में की गई। इस संस्थान में पाठ्यक्रमों को इस तरह से गठन किया गया है कि यहां से पास होने वाले छात्र रोजगार एवं स्वरोजगार के काबिल हों।

हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदी जी का भी यही कहना है कि हम भारत में एक ऐसा इको सिस्टम तैयार कर रहे हैं जहां भारत के नौजवान रोजगार तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार सृजन करने वाले बनें। इस उद्देश्य को पूरा करने हेतु आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मेरे संसदीय मत क्षेत्र वडोदरा के नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट (एनआरटीआई) को केंद्रीय विश्वविद्यालय (गति शक्ति) का दर्जा देने के निर्णय को मंजूरी प्रदान करनी है। जिससे इसे गतिशक्ति विश्व विदयालय का दर्जा मिलेगा, जिससे इसकी क्षमता और बढ़ेगी, यहाँ और भी नए पाठ्यक्रम चलेंगे।

इसका लाभ न केवल गुजरात के युवक-युवतियों को मिलेगा, बल्कि देश भर के युवाओं को मिलेगा। गतिशक्ति विश्वविद्यालय के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल रेल परिवहन से जुड़े हुए विषयों के शिक्षण के लिए स्थापित नहीं किया जा रहा है, बल्कि इसमें मेट्रो रेल, सड़क मार्ग, जलमार्ग, वायुमार्ग आदि से जुड़े हुए पाठ्यक्रम का भी समावेश किया गया है। ... (व्यवधान) आदरणीय सभापति जी, इस विश्वविद्यालय में ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक एजुकेशन और कौशल विकास से सम्बंधित पाठ्यक्रमों के साथ ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी के साथ-साथ एप्लाइड रिसर्च को भी महत्वपूर्ण स्थान मिलेगा। इस विश्वविद्यालय का केंद्रीय कैम्पस मेरे संसदीय मतक्षेत्र वडोदरा को मिला है। ... (व्यवधान) मैं आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी का अपनी और वडोदरा की जनता की ओर से बहुत ही आभार प्रकट करती हूं। साथ ही मैं आदरणीय धर्मेन्द्र प्रधान जी, आदरणीय रेल मंत्री अश्विनी जी और रेल राज्य मंत्री दर्शना बहन का अभिनंदन करती हूं और आभार प्रकट करती हूं। देश में अलग-अलग स्थानों पर केंद्रीय विश्वविद्यालय के कैम्पस स्थापित होने वाले हैं, लेकिन उनका मुख्य कैम्पस वडोदरा में होगा। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करती हूं। ... (व्यवधान) आदरणीय सभापति जी, मेरे संसदीय मत क्षेत्र वडोदरा में गतिशक्ति विश्वविद्यालय को मंजूरी देने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदी जी, माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी का और माननीय रेल राज्यमंत्री दर्शनाबेन जरदोश जी का सहृदय धन्यवाद

करती हूँ। उक्त सभी कार्यों के समय से संपन्न होने के कारण निश्चित रूप से देश के विकास को नया आयाम मिलेगा। ये सभी कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयास से संभव हो पा रहे हैं। ... (व्यवधान)

अंत में, मैं इस बिल का तहे दिल से समर्थन करती हूं। धन्यवाद।

माननीय सभापति : प्रोफ़ेसर सौगत राय जी।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री कौशलेन्द्र कुमार जी।

... (व्यवधान)

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): माननीय सभापति जी, आपने मुझे केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, सरकार द्वारा यह बिल मुख्य रूप से गुजरात राज्य के वडोदरा स्थित रेलवे महाविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देकर उसका नाम गतिशक्ति विश्वविद्यालय करने के लिए लाया गया है। यह स्वागतयोग्य है। अब सरकार का विचार 100 लाख करोड़ रुपये रेलवे के आधुनिकीकरण की परियोजनाओं में खर्च करने का है। यह केन्द्रीय विश्वविद्यालय उन सभी आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम होगा, इसकी आने वाले समय में देश को जरूरत भी है। गतिशक्ति केन्द्रीय विश्वविद्यालय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग, नागर विमानन, पोर्ट्स, शिपिंग और जल परिवहन मंत्रालयों के लिए भी सहायक सिद्ध होगा।

मैं बिहार प्रदेश से आता हूँ। विश्व धरोहर के रूप में यहां की धरती पर प्राचीन पठन-पाठन के लिए नालंदा को जाना जाता है। नालंदा अन्तर्राष्ट्रीय महाविद्यालय के लिए काफी सहायता प्रदान की गई है, इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। इसी क्रम में नालंदा में नव नालंदा महाविहार डीम्ड यूनिवर्सिटी है, यहाँ राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय भाषाओं के प्राचीन शास्त्रों एवं विषयों की पढ़ाई और शोध भी किया जाता है। मेरी सरकार से मांग है कि नव नालंदा महाविहार डीम्ड यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान

किया जाए। इससे वहां पढ़ाए जा रहे विषयों के साथ साइंस की उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के साथ पढ़ाई प्रारंभ हो जाएगी।

सभापति जी, बिहार राज्य की पटना यूनिवर्सिटी एक प्राचीन यूनिवर्सिटी है। इसको केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए हमारे माननीय मुख्य मंत्री श्री नीतीश कुमार काफी प्रयासरत हैं। केन्द्र सरकार द्वारा भी आश्वासन मिला है। किन्तु, इस दिशा में अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल जी की भी यह इच्छा थी। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय ने अपनी पिछली बिहार यात्रा के दौरान भी आश्वासन दिया था।। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बिहार की जनता से वादा किया था कि पटना यूनिवर्सिटी को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाएगा। … (व्यवधान)

मैं सरकार से माँग करता हूँ कि पटना यूनिवर्सिटी और नव नालंदा महाविहार डीम्ड यूनिवर्सिटी को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह अपने जवाब में पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने का प्रस्ताव जरूर रखेंगे। … (व्यवधान)

श्रीमती संगीता आजाद (लालगंज): सभापति महोदय, आपने मुझे केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 में संशोधन के लिए मेरा व बहुजन समाज पार्टी का पक्ष रखने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका और आपके साथ-साथ अपनी पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करती हूं। … (व्यवधान) केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022, राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान (एनआरटीआई), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के तहत एक मानित विश्वविद्यलाय को एक स्वायत्त केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित करने का उपबंध करता है, जिसको गति शक्ति विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाएगा। यह एक सराहनीय कदम है। रेलवे की तरह ही मेट्रो, एविएशन, शिपिंग, हाइवे, ट्रांसपोर्ट और इकोनॉमिक्स भी टेक्निकली कॉम्पलेक्स है। इन क्षेत्रों में भी बहुत अधिक तकनीकी विकास हुआ है, जिसके कारण वहां अच्छे और उच्च स्तर की तकनीकी शिक्षा और योग्यता की भारी आवश्यकता है। लेकिन, गति शक्ति विश्वविद्यालय को परिवहन क्षेत्र में अत्याधुनिक और तकनीकी के

निर्माण की सुविधा प्रदान करने में भी सक्षम होना चाहिए। इसके लिए क्षमता और बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के साथ-साथ प्रशिक्षित पेशेवरों की संख्या भी बढ़ाने की आवश्यकता है। अन्यथा, पूरी नीति के विफल होने का खतरा पैदा हो सकता है। ... (व्यवधान)

मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि हमारे लाखों बच्चे डिप्लोमा और इंजीनियरिंग करके भटक रहे हैं। उन लोगों को ध्यान में रखते हुए ऐसे विश्वविद्यालयों में स्पेशल डिप्लोमा या स्पेशल कोर्स कराकर उनको नौकरी देने का काम किया जाए। ... (व्यवधान) इस देश में यह पहला गति शक्ति विश्वविद्यालय है और देश में कुशल श्रमिकों की वर्तमान आवश्यकता को पूरा करने के लिए ऐसे कई और विश्वविद्यालयों की आवश्यकता है। उसे देखते हुए सरकार शिक्षा, कौशल विकास, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि कई क्षेत्रों में गति शक्ति ब्रांड को लागू करने के बारे में विचार कर सकती है।

परिवहन क्षेत्र में व्यापार विस्तार, अनुसंधान और विकास के लिए आउट ऑफ द बॉक्स दृष्टिकोण की आवश्यकता है। मंत्रालय को दुनिया भर में सर्वोत्तम प्रथाओं और नवीन मॉडलों को अध्ययन करने के बारे में भी विचार करना चाहिए, जिन्हें भारत में दोहराया जा सकता है। गति शक्ति ब्रांड का उच्च शिक्षा, प्रौद्योगिकी, सतत् विकास जैसे कई क्षेत्रों में लाभ उठाया जा सकता है। इससे देश में प्रशिक्षित और कुशल श्रमिकों की मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी और उससे भारत को ऊंचाइयों पर ले जाया जा सकता है। ... (व्यवधान)

इसी के साथ-साथ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के प्रोफेसरों की कमी के ऊपर भी आकृष्ट कराना चाहूंगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अभी भी संविधान के अनुरूप आरक्षित कोटे को पूरा नहीं किया गया है। ... (व्यवधान) कई अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित करके रिक्त पदों की जगह होने के बावजूद भी भरा नहीं गया है, जबकि उनकी योग्यता में कोई कमी नहीं है। जैसा कि मुझे ज्ञात है कि एक पद हेतु आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं की जा सकती, लेकिन विश्वविद्यालय यदि एक है तो समस्त नौकरियों को जोड़कर उसकी संख्या के अनुसार आरक्षण दिए जाने के लिए बहुजन समाज पार्टी मांग करती है।

केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति, विशेष रूप से एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लोगों को अनिवार्य रूप से दिए जाने की मैं मांग करती हूं।

इसके अलावा, अभी हाल में लगभग दस दिन पहले हिन्दू अखबार में छपे एक आर्टिकल के अनुसार आईआईटी, दिल्ली के 8 विभागों में एससी, एसटी और ओबीसी के छात्रों द्वारा पीएचडी हेतु कुल 637 पदों के आवेदन प्राप्त हुए हैं।

लेकिन उनमें से एक भी पद की भर्ती नहीं की गई थी, यह बहुत ही दुखद है। इस तरह के आंकड़े देखने के बाद सहज ही समझा जा सकता है कि एससी, एसटी और ओबीसी के साथ शिक्षा में भेदभाव का स्तर कितना बढ़ता जा रहा है।...(व्यवधान) इसके साथ ही साथ इस सदन में संविधान की दुहाई देने वाले ही संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इस प्रकार की घटनाएं तमाम केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में आए दिन देखने को मिलती हैं, लेकिन सरकार कभी भी गंभीर होकर दोषियों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई नहीं करती है। इस तरह से उनका मनोबल बढ़ता है।...(व्यवधान)

महोदय, मेरी सरकार और माननीय मंत्री जी से मांग है कि ऐसे प्रकरणों पर सरकार गंभीर रूप से ध्यान दे और ऐसी चीजें आगे न बढ़ें। इसी के साथ-साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूं।...(व्यवधान)

रेल मंत्री; संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री अश्वनी वैष्णव) : सभापति जी, मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं कि वे न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाए हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत भारत के पूरे शिक्षा स्ट्रक्चर को बदलने के लिए एक नया आयाम दिया है, एक नया प्रयास आरंभ किया है।...(व्यवधान) मेरे वरिष्ठ साथी माननीय श्री धर्मेन्द्र प्रधान जी ने जिस तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी को आगे बढ़ाया है, उसी का एक बहुत अच्छा उदाहरण आज का यह बिल है, जो कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय विधेयक में अमेंडमेंट के लिए है।...(व्यवधान)

माननीय सभापति जी, आप सब जानते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर बहुत ही कॉम्पलेक्स सेक्टर है। स्पेशली अगर हम रेलवे और मेट्रो में देखें, तो ये तो अपने आप में ऐसे सेक्टर्स हैं, जिन सेक्टर्स की

कॉम्प्लेक्सिटी का कोई अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता।...(व्यवधान) मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। रेलवे में कॉम्प्लेक्सिटी में तो यह परिस्थिति होती है कि मान लीजिए कि अगर पांव में चोट लगे, तो दर्द पांव में होता है, लेकिन रेलवे जैसी कॉम्प्लेक्सिटी में यह होता है कि अगर पांव में चोट लगती है, तो दर्द हाथ में होगा।...(व्यवधान) अगर इतनी कॉम्पलेक्स प्रणाली को ठीक से चलाना है, आगे बढ़ाना है, एक अच्छे तरीके से देश की जो एस्पिरेशंस हैं, उन एस्पिरेशंस को आगे ले जाना है, तो टेक्निकल एजुकेशन में एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज की बहुत बड़ी जरूरत है।...(व्यवधान) इसी धारणा और विचार के साथ वर्ष 2018 में नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट की व्यवस्था की गई थी, जो कि एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी थी।...(व्यवधान) उसके अच्छे रिजल्ट्स देखकर, आज एक बड़े पैमाने पर गति शक्ति यूनिवर्सिटी की परिकल्पना सदन के सामने प्रस्तुत है।...(व्यवधान)

सभापति जी, इस गति शक्ति विश्वविद्यालय में मेट्रो, रीज़नल रेल, लॉजिस्टिक्स, हाइवे, ब्रिज, पोर्ट, इन सारे सेक्टर्स से रिलेटेड जितनी टेक्निकल नॉलेज की, जितनी इंजीनियरिंग की, जितनी उसकी इकोनॉमिक्स और जितना उसके फाइनेंस का विषय है, इसमें वे सारे विषय लिए जाएंगे।...(व्यवधान) अगर आप देखेंगे, तो विश्व के करीब-करीब सभी देशों जैसे अमेरिका में इलिनाइज यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी है।...(व्यवधान) जापान में आरटीआरआई है, चाइना में बीजिंग में है, रशिया में है, करीब-करीब हर बड़े देश में, जहां कहीं भी रेलवे का बड़ा नेटवर्क है, उन सभी जगह एक यूनिवर्सिटी की परिकल्पना हुई है। उसी कल्पना के साथ, उसी प्रकल्प और उसी भावना के साथ गति शक्ति यूनिवर्सिटी का डेवलेपमेंट होगा।...(व्यवधान)

सभापति जी, इस यूनिवर्सिटी के पांच बड़े ऑब्जेक्टिव्स होंगे। पहला ऑब्जेक्टिव ट्रांसपोर्ट फोकस्ड कोर्स का होगा। ऐसे कोर्सेज़ जो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड होंगे, हाइवे ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन, मेट्रो से रिलेटेड, पोर्ट से रिलेटेड, इसमें हर तरीके के ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड कोर्सेज़ होंगे।...(व्यवधान) दूसरा स्किल डेवलेपमेंट का होगा, जो कि स्किल इंडिया का फ्रेमवर्क है। उसी फ्रेमवर्क में स्किल डेवलेपमेंट का होगा।...(व्यवधान)

तीसरा इसमें अप्लाईड रिसर्च होगा। ऑपरेशन रिसर्च, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ब्रिज, टनल, मैरीटाइम, पोर्ट कंस्ट्रक्शन, इन सबका स्किल डेवलेपमेंट का अप्लाईड रिसर्च का फ्रेमवर्क रहेगा।...(व्यवधान) चौथा टेक्नोलॉजी डेवलेपमेंट होगा। टेक्नोलॉजी किस तरह से डेवलेप हो, उसकी बहुत जरूरत है। उसका एक फ्रेमवर्क रहेगा।...(व्यवधान) पांचवां ट्रांसपोर्ट, इकोनॉमिक्स और इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस का होगा। इन पांचों ऑब्जेक्टिव्स के साथ इस यूनिवर्सिटी को आगे ले जाया जाएगा।...(व्यवधान)

अभी इस यूनिवर्सिटी का हैडक्वार्टर बड़ौदा में है।... (व्यवधान) जैसा अभी माननीय सांसद संगीता जी ने कहा है तथा और भी वक्ताओं ने कहा है कि देश में कई जगहों पर इसके ऑफ कैम्पस बनेंगे।... (व्यवधान) उन ऑफ कैम्पस में सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस की तरह व्यवस्था होगी। ऐसे बहुत सारे विषय हैं, जिनको बहुत अच्छे से पढ़ाने की जरूरत है, ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके।... (व्यवधान) इन सबको ध्यान में रखकर काम किया जाएगा।... (व्यवधान)

सभापति जी, हमारे देश में बातें होती हैं। हम कई बार हिन्दी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, तेलुगू मीडियम और तमिल मीडियम की बातें करते हैं।... (व्यवधान) माननीय प्रधान मंत्री जी ने डिजिटल इंडिया के तहत एक नया डिजिटल मीडियम प्रारम्भ किया है, जिसमें डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को यूज करके एजुकेशन में, हेल्थ में कई तरह के प्रभावशाली प्रयास हुए हैं।... (व्यवधान) इस यूनिवर्सिटी में डिजिटल मीडियम का भी बहुत बड़ा रोल रहेगा।... (व्यवधान)

सभापति जी, आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के फ्रेमवर्क में 'गति शक्ति विश्वविद्यालय' का सदन के सामने प्रस्तुतिकरण है।... (व्यवधान) मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि यह छात्रों के भविष्य का विषय है। मैं अपोजिशन से विशेष तौर से निवेदन करूंगा कि वे छात्रों के भविष्य के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ न करें।... (व्यवधान) वे अपनी-अपनी सीट्स पर बैठें, अपनी-अपनी जगह पर बैठें और इस बिल का सब एकमत होकर अनुमोदन करें।... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री चंद्र शेखर साहू (बहरामपुर): माननीय सभापति महोदय, मुझे केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 पर बोलने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद। … (*व्यवधान*)

मैं, बीजू जनता दल पार्टी की ओर से और हमारे नेता, श्री नवीन पटनायक *जी* की ओर से, इस विधेयक का समर्थन करता हूं। यदि आप विधेयक की पृष्ठभूमि, सारांश और संशोधनों को देखेंगे, तो पाएंगे कि यह बहुत अच्छा विधेयक है। निश्चित रूप से, यह *स्वरोजगार* प्राप्त करने में मदद करेगा।

[हिन्दी]

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अभी बताया है कि यंग इंडियन्स को स्वरोज़गार और अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी। … (*व्यवधान*)

[अनुवाद]

सरकार इस विश्वविद्यालय का नाम गति शक्ति विश्वविद्यालय करने जा रही है । इसका नाम पूरे देश में इसके अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने के प्रयोजनार्थ सरकार के प्रमुख कार्यक्रम - मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी हेतु गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के नाम पर रखा जाएगा। मैं केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 में इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह विश्वविद्यालय देश के परिवहन क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन लाएगा। … (*व्यवधान*) मेरे विचार में, इन संशोधनों को लाते समय, हमें देश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना के मानदंडों को भी देखना और जांचना चाहिए क्योंकि अब तक, सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र में, नई दिल्ली का नाम केंद्रीय विश्वविद्यालयों के चार्ट में सात, अर्थात सबसे अधिक केंद्रीय विश्वविद्यालयों के साथ सबसे ऊपर है। … (*व्यवधान*) इसके बाद उत्तर प्रदेश में छह केंद्रीय विश्वविद्यालय और बिहार में चार केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। मणिपुर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तीन-तीन केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की कुल संख्या 54 है।

मेरे राज्य ओडिशा में, केवल एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। यह विश्वविद्यालय कोरापुट जिले के आदिवासी क्षेत्र में है। उक्त क्षेत्र में लगभग सत्तर से अस्सी प्रतिशत या नब्बे प्रतिशत लोग आदिवासी हैं। जब मैंने एक बार उस जगह का दौरा किया, तो पाया कि वहाँ अभी भी कोई शैक्षणिक सुविधा नहीं है। प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर के पदों के लिए रिक्तियां नहीं भरी गई हैं। यहां तक कि अनुसंधान कार्यकलाप भी नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा, मुझे वर्तमान कुलपति के बारे में जानकारी नहीं है। मुझे वहां की वर्तमान स्थिति का पता नहीं है। ... (*व्यवधान*) लेकिन कुलपति भुवनेश्वर में रह रहे हैं, कोरापुट में नहीं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि वे इस पर ध्यान दें।

महोदय, गति शक्ति विश्वविद्यालय स्थापित करने का एक उद्देश्य युवा भारतीय प्रतिभाओं की भागीदारी बढ़ाना है जो हमारी जनसंख्या का लगभग 25 प्रतिशत हैं। उन्हें परिवहन क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षण मिलेगा और वे अनुसंधान और विकास कार्य करेंगे जिसकी आज बहुत आवश्यकता है।

महोदय, विश्वविद्यालय का अभिप्राय केवल अनुसंधान कार्यकलाप से है। इसलिए, यह निश्चित रूप से अनुसंधान सुविधाओं और नए नवाचारों में सहायक होगा। यह अभिनव प्रौद्योगिकियों का निर्माण करेगा जो राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाकर स्थानीय विनिर्माण को प्रोत्साहित करेंगे। उपरोक्त सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हमें देश में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना के मानदंड की जांच करनी होगी। केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने में कोई एकरूपता नहीं रही है। हमने देखा है कि कुछ छोटे राज्यों में बड़े राज्यों की तुलना में अधिक केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। यह एक राज्य से दूसरे राज्य में पलायन को बढ़ावा देता रहा है और इस तरह के पलायन को रोकने के लिए राज्यों में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए नीति बनाने की आवश्यकता है।

महोदय, मेरे राज्य ओडिशा में बड़ी संख्या में युवा हैं, किंतु हमारे पास केवल एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय द्वारा पेशकश किए जाने वाले कार्यक्रम में एक ऐसा पाठ्यक्रम पढ़ाया जाना चाहिए जो सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप हो और देश के परिवहन क्षेत्र की आवश्यकताओं और

प्रगति पर आधारित हो, जो कि गतिशक्ति विश्वविद्यालय के तहत शामिल है। तथापि, हमारे राज्य से बहुत कम छात्रों को इस विश्वविद्यालय से लाभ मिलेगा।

अतः महोदय, मैं आपके माध्यम से केंद्रीय मंत्री जी से और अधिक संख्या में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की मांग करता हूं ताकि गतिशक्ति विश्वविद्यालय के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके और ओडिशा के युवा देश के राष्ट्रीय विकास और आर्थिक विकास में समान रूप से योगदान कर सकें।

माननीय मंत्री ने यह भी उल्लेख किया है कि देश में ऐसे और भी विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव है। महोदय, जीएसवी भारतीय रेलवे के मौजूदा केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों को एकीकृत करेगा क्योंकि परिसर वर्तमान क्षमता का उपयोग कर रहा है।

विशेषज्ञता, संसाधनों और बुनियादी ढांचे का न केवल डिग्री कार्यक्रमों की पेशकश के लिए लाभ उठाया जाएगा, बल्कि यह उद्योग-आधारित पाठ्यक्रम भी उपलब्ध कराएगा।

महोदय, मुझे इसमें संदेह है कि ये वर्तमान भारतीय रेलवे संस्थान जीएसवी में आने वाले पांच वर्षों में 5,000 छात्रों के उद्देश्यों और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त होंगे। इसलिए, महोदय, राज्य विश्वविद्यालयों और निजी विश्वविद्यालयों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने और उन्हें गतिशक्ति विश्वविद्यालय से संबद्ध किए जाने की भी आवश्यकता है। इससे सरकार को विधेयक के उद्देश्यों को प्राप्त करने में भी सहायता मिलेगी।

महोदय, निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि परिवहन क्षेत्र के समुचित विकास की दिशा में यह एक प्रशंसनीय पहल है। चर्चा के दायरे में विकासोन्मुख दृष्टिकोण होना चाहिए जिसमें अन्य तरीके भी शामिल हों ताकि सरकार प्रतिभा को आकर्षित कर सके, बनाए रख सके और विकसित कर सके तथा अनुसंधान को बढ़ावा दे सके और अवसंरचना प्रदान कर सके।

इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। धन्यवाद, महोदय।

प्रो. सौगत राय (दम दम): महोदय, मैं केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 का समर्थन करने का मन लेकर आया था। लेकिन यहाँ आने के बाद, ... [10*]

[हिन्दी]

माननीय सभापति : सौगत दा, आप बिल पर बोलिए। प्लीज, बिल पर बोलिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : बिल पर कही गई बातों के अलावा कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।।

… (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : सर, ये किस पर बोल रहे हैं? … (व्यवधान) ये बिल पर नहीं बोल रहे है। आप इनको रोकिए।… (व्यवधान)

माननीय सभापति : बिल के अलावा कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री सौगत राय जी ने बिल के अतिरिक्त जो बोला है, वह रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

[अनुवाद]

प्रो. सौगत राय: इसीलिए, हम सभा भवन से बाहर जा रहे हैं। … (*व्यवधान*)

अपराह्न 2.35 बजे

इस समय, प्रो. सौगत राय और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

[10*] कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया

[हिन्दी]

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल) : सभापति महोदय, मैं केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 पर चर्चा में अपनी पार्टी की तरफ से भाग ले रहा हूं। शिक्षा हमें विभिन्न प्रकार का ज्ञान और कौशल को प्रदान करती है।... (व्यवधान) यह सीखने की निरंतर, धीमी और सुरक्षित प्रक्रिया है, जो हमें ज्ञान प्राप्त करने में मदद करती है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो हमारे जन्म के साथ ही शुरू हो जाती है और हमारे जीवन के साथ ही खत्म होती है।... (व्यवधान) सभी के लिए जीवन में बेहतर शिक्षा और आगे बढ़ने तथा सफलता प्राप्त करने के लिए यह बहुत आवश्यक है। वर्तमान युग में शिक्षा का महत्व बहुत आगे बढ़ गया है और लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब अगर हम अपना भविष्य बेहतर और उज्ज्वल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए शिक्षा प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा के बिना हम अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं।... (व्यवधान)

महोदय, हमारे देश में लगभग हर राज्य में केन्द्रीय विश्वविद्यालय मौजूद हैं। उत्तम और उच्चतर शिक्षा हेतु इन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की आवश्यकता पड़ी। पहले हमारे देश में ऊंचे स्तर की शिक्षा पाने के लिए विद्यार्थी को बहुत परेशानियां उठानी पड़ती थीं। ... (व्यवधान) इस कारण इन केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना करनी पड़ी। हमारे देश में कुल 49 विश्वविद्यालय हैं, जिनमें से 45 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, एक कृषि मंत्रालय, एक विदेश मंत्रालय और एक जहाजरानी मंत्रालय के अंतर्गत आता है।... (व्यवधान) साल 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय कानून पारित किया गया था। इसके तहत देश के विभिन्न राज्यों में विश्वविद्यालयों के गठन और उससे संबंधित फैसले लेने के प्रावधान किए गए हैं। सरकार अब इसी कानून में संशोधन करके गति शक्ति विश्वविद्यालय बनाने का रास्ता साफ कर रही है।... (व्यवधान)

मैं केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 का समर्थन करता हूं। यह विधेयक गुजरात के वडोदरा स्थित एनआरटीआई, जो अभी तक एक डीम्ड-टू-बी यूनिवर्सिटी है, जो कि इस विधेयक से एक गति शक्ति विश्वविद्यालय बनने के बाद स्वायत्त केंद्रीय विश्वविद्यालय बन जाएगा। इस संस्थान का प्रशासनिक नियंत्रण रेल मंत्रालय के पास होगा।... (व्यवधान)

महोदय, इस विधेयक के तहत इस यूनिवर्सिटी के दायरे को भी बढ़ाया जाएगा, जबकि पहले यह रेलवे मामलों तक ही सीमित था, लेकिन अब इसमें पूरे ट्रांसपोर्ट सेक्टर और इस क्षेत्र में हो रहे सभी आधुनिक विकास कार्यों की शिक्षा इस यूनिवर्सिटी में दी जाएगी।... (व्यवधान) छात्रों को इस दिशा में रिसर्च के अवसर भी मिलेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में किये जाने वाले कार्यों के तहत यह एक बहुत अच्छा विधेयक है । मैं इस सरकार द्वारा लाये गए इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एन. रेड्डप्प (चित्तूर): माननीय सभापति महोदय, मुझे केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 पर बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद, जिसे सरकार द्वारा राष्ट्रीय रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय को *गति शक्ति विश्वविद्यालय* नामक एक पूर्ण विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने के लिए लाया गया है।

महोदय, मैं इस पर अपनी बात प्रस्तुत करना चाहूंगा कि प्रस्तावित विश्वविद्यालय परिवहन क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कैसे कार्य कर सकता है।

केंद्र सरकार ने परिवहन क्षेत्र की पहचान आर्थिक विकास के प्रमुख कारकों में से एक के रूप में की है। परिवहन क्षेत्र आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जीडीपी में लगभग 6 प्रतिशत योगदान देता है और 22 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार देता है। केंद्र सरकार गति शक्ति, समर्पित मालभाड़ा गलियारों और भारतमाला परियोजना जैसी पहलों के माध्यम से परिवहन क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति कर रही है। भारतीय रेल में माल ढुलाई वर्ष 2021-22 के दौरान 1418.10 मीट्रिक टन के साथ सबसे अधिक रही है। देश के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में समर्पित मालभाड़ा गलियारा (डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर) भी विकसित किया जा रहा है।

गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना से परिवहन क्षेत्र में कौशल की कमी दूर होगी। परिवहन और संभार (लॉजिस्टिक्स) क्षेत्र में भारत के कार्यबल की संख्या 2.5 करोड़ तक पहुंच गई है और आने वाले दशक में अनुमानित तीन करोड़ अतिरिक्त कार्यबल की आवश्यकता होगी। भारत में संभार (लॉजिस्टिक्स) की लागत दुनिया में सबसे अधिक है जो सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 14 प्रतिशत है। गति शक्ति

विश्वविद्यालय कार्य बल को कुशल बनाकर लॉजिस्टिक्स की लागत को कम करने में सहायक होगा। केंद्रीय विश्वविद्यालयों का प्रबंधन कुशल तरीके से किए जाने की आवश्यकता है और उनमें संकाय पदों का रिक्त रहना चिंता का कारण हैं। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 6500 से अधिक संकाय पद रिक्त हैं। रिक्त संकाय पदों को युद्धस्तर पर भरा जाना चाहिए और अतिथि संकाय या तदर्थ प्रोफेसरों को अल्पकालिक आधार पर लगाया जाना चाहिए।

भारतीय रेल में रिक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाना है। भारतीय रेल में कुल 2,98,428 रिक्तियां हैं। इनमें से लगभग 25,000 पद पूर्वी तट रेलवे और दक्षिण मध्य रेलवे में रिक्त हैं जहां आंध्र प्रदेश से बड़ी संख्या में उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया में भाग लेते हैं।

देरी और भ्रम की स्थिति से बचने के लिए आरआरबी और एनटीपीसी जैसी परीक्षाओं की भर्ती प्रक्रिया को वार्षिक परीक्षा कैलेंडर का पालन करके सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए। चूंकि आंध्र प्रदेश से भारी संख्या में अभ्यर्थी रेलवे भर्ती में भाग लेते हैं, इसलिए मेरा अनुरोध है कि राज्य में एक रेलवे भर्ती जोन स्थापित किया जाना चाहिए। जहां तक दक्षिण तट रेलवे जोन का प्रचालन शुरू करने और आंध्र प्रदेश में लंबित रेलवे परियोजनाओं को पूरा करने में तेजी लाने का प्रश्न हैं, यद्यपि आंध्र प्रदेश के विभाजन को आठ साल बीत चुके हैं, दक्षिण तट रेलवे जोन, जिसका वादा आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 में किया गया था, का प्रचालन अभी भी शुरू नहीं हो पाया है। मैं मंत्री जी से वाल्टेयर डिवीजन को बनाए रखने का अनुरोध करता हूं क्योंकि यह श्रीकाकुलम और विजयनगरम जैसे उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। कडप्पा-बैंगलोर लाइन जैसी आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। मैं केंद्र सरकार से यह भी अनुरोध करता हूं कि वह वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र से होकर गुजरनेवाली भद्राचलम-कोव्वूर रेलवे लाइन के लंबित हिस्से का वित्तपोषण करके आंध्र प्रदेश की सहायता करे क्योंकि राज्य अभी राजस्व घाटे की स्थिति में है। केंद्र सरकार के केंद्रीय विश्वविद्यालय और अन्य प्रमुख संस्थान आंध्र प्रदेश में अस्थायी परिसरों से काम कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद एक प्रतिपूरक उपाय के रूप में यह वादा किया गया था कि केंद्र सरकार के कई शैक्षणिक संस्थान आंध्र प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे, लेकिन राज्य के विभाजन के आठ साल बाद अभी भी अनन्तपुर

और विज़यानगरम में केंद्रीय विश्वविद्यालय तथा तिरुपति स्थित आईआईटी और आईआईएसईआर अस्थायी परिसरों से काम कर रहे हैं। मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराकर इन संस्थानों के विकास में तेजी लाई जाए।

मैं केन्द्र सरकार से आंध्र प्रदेश राज्य के अनन्तपुर केन्द्रीय विश्वविद्यालय को पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराने, सुविधाएं मुहैया कराने और वहां संकाय की नियुक्ति करने का आग्रह करता हूं।

भारत सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिए जाने के कारण परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र का तेजी से विस्तार हो रहा है। …(*व्यवधान*) इस संबंध में गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना एक स्वागत योग्य कदम है। …(*व्यवधान*) यह परिवहन क्षेत्र में कौशल की कमी को दूर करने में मदद करेगा, जिससे देश में आर्थिक विकास और रोजगार का एक अच्छा चक्र शुरू होगा। … (*व्यवधान*) धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पाटलिपुत्र): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ।… (व्यवधान)

मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिनके नेतृत्व में निश्चित तौर पर, पिछले आठ वर्षों में क्रांतिकारी परिवर्तन तो हुए ही हैं, खासतौर पर उच्च शिक्षा में भी एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है और वर्तमान शिक्षा मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान जी ने नयी शिक्षा नीति के तहत इस क्षेत्र में एक नया आयाम देने का काम किया है।... (व्यवधान)

महोदय, भारत सरकार को उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से लाए गए इस बिल का मैं हृदय से समर्थन करता हूँ और माननीय मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ।… (व्यवधान) इस बिल के माध्यम से सरकार गुजरात में बड़ौदा स्थित राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान को गति शक्ति विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करने का प्रस्ताव लायी है।… (व्यवधान) मैं पुन: माननीय मंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और इसका स्वागत करता हूँ।... (व्यवधान)

परिवहन क्षेत्र में तकनीकी के साथ बेहतर अनुसंधान के लिए एक नयी सोच के तहत गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है।... (व्यवधान) दूरदर्शी सोच के अनुरूप और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार नवाचार के लिए बधाई की पात्र है। राष्ट्रीय और सामरिक दृष्टिकोण से भारत में परिवहन को लेकर अपार संभावनाएं हैं।... (व्यवधान) चाहे वह भारत सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट हो या डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के तहत निर्माण का प्रोजेक्ट हो, देश के किसी भी कोने में 24 घंटे के अन्दर सामान की डिलीवरी करने का सरकार का जो लक्ष्य है, ऐसे सभी क्षेत्रों में काफी तेजी से काम हो रहे हैं। आगामी कुछ वर्षों में हम अपने सपनों को सच करने ही वाले हैं।... (व्यवधान)

हमारे देश की जीडीपी का पहिया परिवहन है और इसे तेजी से नचाने के लिए अनेक पॉलिसीज लाई गई हैं, जिनमें इथेनॉल की पॉलिसी, ग्रीन फ्यूल की पॉलिसी, हाइड्रोजन फ्यूल की पॉलिसी है और अब गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना करके सरकार जिस तरह से काम कर रही है, वह बहुत ही असाधारण है।... (व्यवधान) मैं समझता हूँ कि विश्वस्तर पर इस तरह की यूनिवर्सिटी पहले से चलाई जा रही है, उसको देश की धरती पर लाने का जो काम वर्तमान सरकार ने किया है, हम उसके लिए उसे कोटिश: धन्यवाद देते हैं।... (व्यवधान)

मेरा मानना है कि गति शक्ति विश्वविद्यालय जैसी संस्थान से देश में न केवल तकनीकी और नवाचार आएगा, बल्कि दुनिया में यह भारत की कौशल क्षमता को एक अलग आयाम देने का काम करेगी।... (व्यवधान) मैं इस चर्चा के माध्यम से, माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा और उनका ध्यान पटना विश्वविद्यालय की तरफ भी ले जाना चाहूंगा।... (व्यवधान) वे बिहार को अच्छी तरह से जानते हैं। पटना विश्वविद्यालय को सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की मांग न जाने कितने समय से हो रही है।... (व्यवधान)

देश में जब यूनिवर्सिटीज खुली थीं, उन पांच विश्वविद्यालयों में से एक स्थान पटना विश्वविद्यालय का है। ... (व्यवधान) बिहार के लोग काफी दिनों से सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग कर रहे हैं। ... (व्यवधान) हाल में ही माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने वर्ष 2017 में, जब पटना विश्वविद्यालय के गोल्डन जुबली समारोह मनाया जा रहा था, उसमें शिरकत करने का काम किया था। सरकार के पास देश भर में

दस प्राइवेट और दस पब्लिक विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटीज हैं। ... (व्यवधान) पटना यूनिवर्सिटी भी इस योजना से जुड़े, इसके लिए मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा। ... (व्यवधान) वर्तमान में देश विश्वविद्यालयों की कमी से जूझ रहा है। ... (व्यवधान) देश के अन्य प्रतिष्ठित कॉलेजों की तुलना में यहां न तो छात्रों के लिए बेहतर रिसर्च लायक संस्थान हैं और न ही इन्हें सही माहौल मिल रहा है। ... (व्यवधान) मैं वर्तमान सरकार, माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि बिहार में अन्य जगहों पर, जैसे मोतिहारी और गया में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज खोली गई हैं। ... (व्यवधान) बावजूद इसके मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पटना में भी इसकी आवश्यकता है। ... (व्यवधान) आप जानते हैं कि बड़े पैमाने पर अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज न होने की वजह से बिहार के बहुत बच्चे देश के बाहर जाने का काम करते हैं। ... (व्यवधान) देश और दुनिया में आईटी में क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण शहर पटना आधुनिक शिक्षा के लिए अभी तक तरस रहा है। ... (व्यवधान) पटना यूनिवर्सिटी केवल पटना की ही नहीं, बल्कि पूरे बिहार की एक महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी है। ... (व्यवधान) मैं समझता हूं कि यहां सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं होने की वजह से इसके इन्फ्रास्ट्रक्चर में, गुणवत्ता में बहुत कमी है, जिसकी वजह से बच्चों को दिल्ली और अन्य शहरों में बेहतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाना पड़ता है। ... (व्यवधान) यही नहीं, वहां बहुत गरीब बच्चे हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके परिवारों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। ... (व्यवधान) मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बिहार की राजधानी में पवित्र गंगा नदी के किनारे शानदार अतीत वाली पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा अगर भारत सरकार देती है, माननीय मंत्री जी इस पर कृपा करते हैं, तो मैं समझता हूं कि पाटलिपुत्र की इस भूमि पर, जो हमारी ऐतिहासिक भूमि रही है, उसमें से ज्ञान की गंगा देश भर में बहने लगेगी। ... (व्यवधान) दूसरों राज्यों में उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए जिन बच्चों को जाना पड़ता है, खास तौर पर वर्तमान में गरीब कल्याण के लिए जो हमारी समर्पित सरकार है, उसके द्वारा एक नया तरह का अवसर मिलेगा। ... (व्यवधान) मैं इसके लिए सरकार को आभार व्यक्त करूंगा। ... (व्यवधान)

इससे राज्य में उच्चतर शिक्षा के लिए सकारात्मक माहौल बनेगा, योग शिक्षकों के मार्गदर्शन से युवा शक्ति अर्थात बिहार के लोगों और बिहार के बच्चों को तरक्की करने का अवसर प्राप्त होगा। ... (व्यवधान)

इसलिए, मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से, केंद्र सरकार से और माननीय शिक्षा मंत्री जी से विनम्र प्रार्थना करूंगा कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की कृपा प्रदान की जाए। ... (व्यवधान) इससे बिहार की जनता और पाटलिपुत्र की जनता इस सरकार का आभार व्यक्त करेगी। ... (व्यवधान) धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री हसनैन मसूदी (अनन्तनाग): महोदय, मुझे इस चर्चा में भाग लेने की अनुमति देने के लिए मैं आपका आभारी हूं ... (*व्यवधान*) महोदय, मैं केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 का समर्थन करता हूं। इस विधेयक में राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान (एनआरटीआई) को एक मानित (डीम्ड टू बी) विश्वविद्यालय से केंद्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ व्यापक उपलब्धियां यह होंगी कि यह परिवहन क्षेत्र में काफी प्रतिभावान लोगों का एक कैडर तैयार करेगा, उद्योग में करियर विकल्पों को सुविधाजनक बनाएगा, उद्योग की नई मांगों को पूरा करने के लिए परिवहन क्षेत्र में क्षमता विकसित करेगा, विभिन्न विषयों में अनुसंधान और कौशल विकास में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करेगा। (*व्यवधान*) महोदय,गति शक्ति विश्वविद्यालय के नाम से जाने जाने वाले इस विश्वविद्यालय की स्थापना से विभिन्न विषयों में उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण, अनुसंधान और कौशल विकास के माध्यम से नए उद्योग की मांगों को पूरा करने के लिए परिवहन क्षेत्र की क्षमता का विकास होगा।

महोदय, विश्वविद्यालय की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र, निजी उद्योग और शिक्षाविदों के बीच सहयोग को बढ़ावा देगी। ... (*व्यवधान*) यह एक डिजिटल रूप से सक्षम वातावरण तैयार करेगा जो छात्रों के बीच उद्यमिता की भावना को बढ़ावा देगा। विश्वविद्यालय की स्थापना से परिवहन क्षेत्र में गहन अनुसंधान के लिए एक आधार प्रदान करना संभव होगा, जिसकी इस वर्तमान परिदृश्य में आवश्यकता है। ... (*व्यवधान*) एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में, यह सर्वश्रेष्ठ अकादमिक औद्योगिक प्रतिभा को भी आकर्षित करने में सक्षम होगा। एक केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा होने के कारण, इसमें वर्तमान उद्योगों के लिए प्रासंगिक अभिनव कार्यक्रम जोड़ा जा सकता है। ... (*व्यवधान*) महोदय, हमें यह याद रखना चाहिए कि भारतीय प्रौद्योगिकी

संस्थान और भारतीय प्रबंधन संस्थान जैसे प्रमुख संस्थानों के कारण ही हम अपने युवाओं को उत्कृष्टता हासिल करने और उन्हें अपने कार्यबल में शामिल करने का अवसर दे पाए हैं। … (*व्यवधान*) मेरी एकमात्र चिंता यह है कि सब कुछ गुजरात में स्थापित नहीं होना चाहिए। इसे सभी क्षेत्रों में समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए। … (*व्यवधान*) मैं यह भी अनुरोध करता हूं कि अनन्तनाग में पर्यटन और आतिथ्य विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए। महोदय, साथ ही मैं एजेंसियों के दुरुपयोग का विरोध करने वाले लोगों में भी अपने को शामिल करना चाहूँगा। … (*व्यवधान*)

माननीय सभापति: श्री के. राम मोहन नायडू जी।

… (*व्यवधान*)

श्री राम मोहन नायडू किंजरापु (श्रीकाकुलम): माननीय सभापति महोदय, मुझे इस विधेयक पर बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद।… (*व्यवधान*)

सबसे पहले, मैं गुजरात में राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान (एनआरटीआई) का व्यापक दायरे वाले एक गति शक्ति विश्वविद्यालय के रूप में उन्नयन का स्वागत करता हूं। संभारतंत्र (लॉजिस्टिक्स) आर्थिक विकास का एक प्रमुख प्रवर्तक है। … (*व्यवधान*) यदि हम लॉजिस्टिक्स के विकास पर ध्यान दें तो हम 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं, जिसे हासिल करने का हम प्रयास कर रहे हैं। वास्तव में, तब हम अपने लिए और भी ऊँचे लक्ष्य बना सकते हैं। इस दृष्टिकोण को साकार करने के लिए और अधिक परिवहन और लॉजिस्टिक पेशेवर बनाने की आवश्यकता है। और इसके लिए गति शक्ति विश्वविद्यालय सही दिशा में एक कदम है। … (*व्यवधान*)

महोदय, भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण प्रगतियों के केंद्र में रहा है। चाहे वह 'शून्य' की खोज हो, रमन प्रभाव या बोसोन ,जिसे गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है, का अध्ययन , हमारे पूर्वजों ने मानव प्रगति की पराकाष्ठा प्राप्त की थी। इसके अलावा, हमारा देश नालंदा, तक्षशिला और मिथिला जैसे बेहतरीन प्राचीन विश्वविद्यालयों का घर था। … (*व्यवधान*)

हालांकि, दुख की बात है कि कहीं न कहीं हमने विश्व स्तर पर उस बढ़त को खो दी है। इस विकट स्थिति को ध्यान में रखते हुए, मैं उन मुद्दों और संभावित समाधानों पर प्रकाश डालना चाहता हूं जिन पर सरकार ध्यान दे सकती है और जिन्हें अपना सकती है। ... (*व्यवधान*)

महोदय, हम सभी जानते हैं कि भारतीय विश्वविद्यालय अभी भी वैश्विक रैंकिंग चार्ट पर अपनी अच्छी मौजूदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ... (*व्यवधान*) हालांकि यह संख्या हाल ही में आशाजनक रही है, जो कि पिछले वर्ष 41 थी, तथापि, हम अभी भी वैश्विक रैंकिंग में उच्च स्थान प्राप्त नहीं कर पाए हैं। विश्वविद्यालयों के खराब प्रदर्शन का कारण मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों को माना जाता है - विदेशी शिक्षकों और छात्रों के मामले में वैश्विक विविधता की कमी; वैश्विक प्रतिष्ठा का अभाव ; अपर्याप्त छात्र-संकाय अनुपात; और पुरानी और अप्रचलित अनुसंधान सुविधाएं। ... (*व्यवधान*)

इसे ध्यान में रखते हुए, मेरा सुझाव है कि इस नए उन्नत विश्वविद्यालय को स्वदेशी ज्ञान और नवाचार को बढ़ावा देते हुए दुनिया भर में समान संस्थाओं के साथ परस्पर सहयोग के मार्ग पर चलना चाहिए। ... (*व्यवधान*)

जैसा कि मैं समझता हूं, विधेयक में अतिरिक्त विश्वविद्यालय परिसरों और क्षेत्रीय केंद्रों की स्थापना का भी प्रावधान है। ... (*व्यवधान*) वर्तमान में, कोलकाता में इस तरह का एक परिसर और कोल्लम में एक क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

भारतीय प्रायद्वीप को समुद्री गतिविधि का केंद्र मानते हुए, मेरा सुझाव है कि विशेष रूप से दक्षिण भारत के उत्तर आंध्र क्षेत्र में एक अतिरिक्त परिसर स्थापित किया जा सकता है; महोदय, जहां हमारे पास पहले से ही विशाखापत्तनम का प्रमुख बंदरगाह है। यह कदम लुक-ईस्ट पॉलिसी को भी मजबूत करेगा। ... (*व्यवधान*)

महोदय, यह मेरा अंतिम बिंदु है और फिर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। ... (*व्यवधान*) व्यापक राष्ट्रीय मुद्दों पर आगे बढ़ने से पहले, मैं सबसे पहले अपने गृह राज्य की समस्याओं का उल्लेख करना चाहूंगा। ... (*व्यवधान*) 2014 में, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में कई विश्वविद्यालयों और संस्थानों का

वादा किया गया था जिनमें आईआईआईटी, एनआईटी, आईआईएम, आईआईएसईआर, केंद्रीय विश्वविद्यालय, पेट्रोलियम विश्वविद्यालय आदि शामिल हैं। … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही अपराह्न 4 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

… (व्यवधान)

अपराह्न 2.59 बजे

तत्पश्चात लोक सभा अपराह्न चार बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 4.00 बजे

लोक सभा अपराह्न चार बजे पुन: समवेत हुई।

(श्री राजेन्द्र अग्रवाल *पीठासीन हुए*)

… (*व्यवधान*)

अपराह्न 4.0½ बजे

केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 - जारी।

[हिन्दी]

माननीय सभापति : श्री के. राम मोहन नायडू जी, कृपया अपनी स्पीच कॉन्टीन्यू कीजिए।

[अनुवाद]

श्री राम मोहन नायडू किंजरापु (श्रीकाकुलम): धन्यवाद, सभापति महोदय। आपकी अनुमति से, मैं अपना भाषण जारी रखना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2019 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, 23 आईआईटी में 6,043 संकाय सदस्यों में से केवल 149 अनुसूचित जाति और 21 अनुसूचित जनजाति के थे, जो कुल संकाय सदस्यों का तीन प्रतिशत से भी कम है।

अपराह्न 4.01 बजे

इस समय, श्री गौरव गोगोई, श्री बैन्नी बेहनन और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

इसी प्रकार, 13 आई.आई.एम. में 642 संकाय सदस्यों में से केवल चार अनुसूचित जाति वर्ग और एक अनुसूचित जनजाति वर्ग के हैं। … (*व्यवधान*) इसी तरह का तरीका दिल्ली विश्वविद्यालय में भी देखा जा सकता है जहां 264 प्रोफेसरों के कुल स्वीकृत पदों में से, अनुसूचित जाति वर्ग से केवल तीन प्रोफेसर हैं और अनुसूचित जनजाति वर्ग से कोई भी नहीं है। इसके अलावा, हाल के आंकड़ों से पता चलता है कि शिक्षक वर्ग में आरक्षित श्रेणी की सीटों पर काफी रिक्तियां हैं। … (*व्यवधान*) जैसा कि आंकड़े बताते हैं, अनुसूचित जाति वर्ग की 988 सीटें और अन्य पिछड़ा वर्ग की 1761 सीटें खाली हैं। इसलिए, मैं केंद्र

सरकार के संबंधित माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे इस मुद्दे को संज्ञान में लेते हुए रिक्त सीटों को भरने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। … (*व्यवधान*)

महोदय, मैं कुछ और बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहूंगा, और उसके बाद अपनी बात समाप्त करूंगा। … (*व्यवधान*) वैश्विक नवाचार सूचकांक के अनुसार, भारत 46$^{वें}$ स्थान पर है जो ऐसे एक वैसे देश के लिए बहुत नीचे का स्थान है जो महाशक्ति बनने के पथ पर अग्रसर है।

इसके अलावा, कुल बजट आवंटन की तुलना में अनुसंधान से संबंधित विभागों के लिए आवंटित बजट बहुत कम है। … (*व्यवधान*) इसके अलावा, सरकार ने हाल के बजट में भी तीन प्रमुख संस्थानों के निधिपोषण में 576 करोड़ रुपये तक की कटौती की है। महामारी के दौरान, युद्ध स्तर पर टीके लगाने में यूके और यूएसए जैसे देशों ने हमसे बढ़त बना ली थी। … (*व्यवधान*) हम आत्मनिर्भर भारत के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। इसलिए, मेरा विनम्र अनुरोध है कि अनुसंधान और विकास घटक के लिए आवंटित की जानेवाली धनराशि में कटौती न की जाए। यहां तक कि इस गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए, वह है इसके लिए अनुसंधान और विकास बजट। … (*व्यवधान*)

इसके अलावा, मैं आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के बारे में कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहूंगा। कुछ विश्वविद्यालय हैं। … (*व्यवधान*) महोदय, कृपया मुझे एक मिनट का समय दें। यह मेरा आखिरी बिंदु है जो बहुत महत्वपूर्ण है। … (*व्यवधान*) अब मैं तुरंत अपनी बात समाप्त करूंगा। … (*व्यवधान*)

महोदय, टीडीपी.सरकार ने इन संस्थानों के लिए आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भूमि आवंटन सुनिश्चित किया। … (*व्यवधान*) अधिनियम के पारित होने के आठ साल बाद भी, इन विश्वविद्यालयों पर हुई प्रगति बहुत धीमी है। उदाहरण के लिए, आईआईपीई, एनआईडीएम और आईआईएसईआर अभी भी अस्थायी परिसरों में काम कर रहे हैं। … (*व्यवधान*) इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इन परिसरों के निर्माण में तेजी लाएं और कक्षाओं को अपने-अपने संबंधित भवनों में आयोजित करवाएं। … (*व्यवधान*)

साथ ही, मैं जनजातीय विश्वविद्यालय के निर्माण के बारे में एक बिंदु पर प्रकाश डालना चाहूंगा। … (*व्यवधान*) उसके लिए बजट काफी कम है। हमारी मंशा जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए जनजातीय बहुल क्षेत्र में इसे स्थापित करने की है। … (*व्यवधान*) इसके लिए आवश्यक 1500 करोड़ रुपये की तुलना में 56 करोड़ रुपये की राशि आवंटित करना न्यायोचित नहीं है। इसलिए, केंद्र सरकार को इसके लिए और अधिक धन आवंटित करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। … (*व्यवधान*)

धन्यवाद। … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : सभापति महोदय, 21वीं सदी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आज सरकार की ओर से केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 लाया गया है। ... (व्यवधान) यूनिवर्सिटी एक्ट, 2009 में एक नयी धारा का संयोग करते हुए एक नया उपक्रम बनाया जा रहा है, उस पर लगभग 10 माननीय सदस्यों और रेल विभाग, आईटी एवं संचार विभाग के मंत्री श्री अश्विनी जी की इंटर्वेंशन के साथ एक सार्थक चर्चा समाप्त हुई है। ... (व्यवधान)

महोदय, सभी ने इसका स्वागत किया है। इसकी आवश्यकता, समय एवं इसके अंदर पढ़ाए जाने वाले विषयों का उल्लेख किया गया है। ... (व्यवधान) एक प्रकार से सभी ने, चाहे वे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, इस नयी गति शक्ति यूनिवर्सिटी का समर्थन किया है। इसके लिए मैं सभी माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं। ... (व्यवधान)

महोदय, हमारे दूरदृष्टा प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी न केवल वर्तमान के बारे में योजना बनाते हैं, बल्कि भविष्य में जिस औद्योगिक क्रांति 4.0 की तरफ हम जा रहे हैं, आने वाली सदियों में क्या-क्या आवश्यकताएं होंगी, उनमें भारत कैसे स्थान लेगा, इन सभी संभावनाओं को नीति और कार्यक्रम में परिवर्तित करने का विजन रखने वाले भी हमारे प्रधान मंत्री जी हैं। ... (व्यवधान)

गति शक्ति मिशन उनकी सोच का एक प्रतिफलन है।… (व्यवधान) उनकी सोच में एक बार यह आया कि सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को एक अम्ब्रेला के अंदर इम्प्लीमेंटेशन करना है।… (व्यवधान) विभाग तो

अलग-अलग होंगे।... (व्यवधान) रेल का अलग विभाग होगा।... (व्यवधान) रोड सेक्टर अलग विभाग से चलेगा।... (व्यवधान) राज्यों की भूमिका रहेगी।... (व्यवधान) कोर्ट्स की अपनी अलग पॉलिसी है।... (व्यवधान) इनलैंड वाटर इमर्ज कर रहा है।... (व्यवधान) एविएशन इंडस्ट्री की देश में काफी मात्रा में ग्रोथ हुई है।... (व्यवधान) इंटरनेट सर्विस, आज भारत इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के साथ 5जी का न केवल सपना देख रहा है।... (व्यवधान)

महोदय, मैं इस पवित्र गृह में देश के सामने उल्लेख कराना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वर्ष 2022 के अंत तक यह देश टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर होगा।... (व्यवधान) फ्रंटियर टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर होगा।... (व्यवधान) 5जी की टेस्ट ड्राइव हमारे देश की आईआईटीज, दूरसंचार विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से, उनकी अगुवाई से आज हम उस सिद्धा तक पहुँच चुके हैं।... (व्यवधान)

महोदय, न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े-बड़े कारखाने बड़े-बड़े उद्योग, बड़े-बड़े सामाजिक प्रकल्प आने वाले दिनों में खेती कहाँ होगी, सिंचाई कहाँ होगी, स्कूल कहाँ बनेगा, आंगनवाड़ी सेंटर कहाँ होगा, उसके लिए एक मास्टर प्लान की आवश्यकता होती है।... (व्यवधान)

महोदय, आज हमारी सरकार ने बाइसाग, भास्कराचार्य नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर स्पेस एप्लिकेशन एंड जियो इन्फार्मेटिक्स, जैसी संस्थाओं को इंस्टिट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस की मान्यता भी दी है।... (व्यवधान)

यह सारी पृष्ठभूमि मैं इसीलिए बता रहा हूँ, आज देश की आवश्यकता है कि इन सारे औद्योगिक इनिशिएटिव को ढांचागत परिवृद्धि को, इंफ्रास्ट्रक्चर विजन की अगर हम एक नॉलेज रिपॉजिटरी नहीं बनाएंगे, उसमें अनुसंधान नहीं होगा, उसमें विज्ञान का मिलाप नहीं होगा, वैश्विक टेक्नोलॉजी क्या-क्या चल रही हैं, अगर हम उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेज भारत में नहीं लाएंगे तो हम देश की जनता के साथ न्याय नहीं करेंगे।... (व्यवधान)

अपराह्न 4. 07 बजे

इस समय श्री गौरव गोगोई, श्री बैन्नी बेहनन और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान: *इसी पृष्ठभूमि से गति शक्ति विश्वविद्यालय की कल्पना की गई है। वर्ष* 2018 *से रेल विभाग की अगुवाई से बड़ौदा में, उनका जो पुराना रेल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट था, उसको एक डीम्ड विश्वविद्यालय की मान्यता देकर उसको एक विश्वविद्यालय बनाया गया था। बाद में जैसी समय की आवश्यकता हुई, मैंने बिल के इंट्रोडक्शन के समय उसकी पृष्ठभूमि को बताते हुए और सभी माननीय संसद सदस्यों ने उसका एक-एक फीचर कहा। किसी ने कहा कि इसका इंटरनेशनलाइजेशन होना चाहिए। अगर ये वैश्विक स्तर के इंस्टिट्यूशन से टाईअप नहीं करेंगे, आज अगर मैं भारत के रेल विभाग का उदाहरण लूँ, भारत कम से कम, भारत की रेल कंपनियाँ, भारत सरकार की रेल संबंधी नीतियाँ, दुनिया की इमर्जिंग इकोनॉमी में से कम से कम* 20 *देशों में भारत की रेल विभाग की फुटस्टेप है। हमारी कैपेसिटी केवल हमारे देश के लिए नहीं, विश्व के गरीब देशों के लिए भी आवश्यक होती है। इसलिए ग्लोबल स्टैंडर्ड के इंस्टिट्यूशन बनाना हमारे मैन्डेट में है।*

महोदय, आज मैं एक आंकड़ा पार्लियामेंट के सामने रखता हूँ, भारत की नीति के हिसाब से 15 *वर्ष की आयु से, जब किसी व्यक्ति की* 15 *वर्ष की आयु होती है, वह एक इकोनॉमिक यूनिट बन जाता है, वह रोजगार क्षम होता है।* 15 *से* 25 *वर्ष की आयु तक एक नौजवान, एक बालक विद्यार्थी की भूमिका में रहता है। ऐसी आज हमारे देश में* 25.5 *करोड़ की संख्या है। आज विभिन्न प्रकार के एजुकेशन इंस्टिट्यूशंस में, शिक्षा अनुष्ठान में, वह स्कूल हो*, 11*वीं-*12*वीं की कक्षा हो या रिसर्च तक पढ़ाई हो, इसमें सिर्फ* 11 *करोड़ बच्चे आ पाते हैं।*

चौदह करोड़ बच्चे काम पर बिना स्किल इको सिस्टम पर लग जाते हैं और वे पढ़ाई के लिए नहीं आ पाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह मेनडेट है। आज उच्च शिक्षा में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 27 परसेंट है।

उसको वर्ष 2030 तक बढ़ा कर 50 प्रतिशत करना पड़ेगा। लेकिन भारत अभी नया सपना देख रहा है, अभी हमारे जो नौजवान आएंगे, उनके लिए रोजगार होना चाहिए, श्रम होना चाहिए। उनकी एम्प्लॉयबिलिटी होनी चाहिए, न केवल एम्प्लॉयबिलिटी हो, न केवल वे जॉब सीकर बनें, बल्कि वे जॉब क्रिएटर भी बनें। ऐसी शिक्षा की कल्पना इस गति शक्ति के अंदर रखी गई है।

सभापति महोदय, न केवल टेक्नोलॉजी, न केवल साइंस, न केवल इंजीनियरिंग, न केवल मैथमेटिक्स, यह तो एक प्रकार से भारत की पहली स्टेम यूनिवर्सिटी बनेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने यह भी रिकमंड किया कि यह मल्टी डिसिप्लिनरी होनी चाहिए।

सभापति महोदय, ये प्रकल्प लगते हैं, रेल, रोड होने के कारण विस्थापन भी होता है और विस्थापित लोगों की जिंदगी कैसे होती है, यह ह्यूमैनेटीज में पढ़ाया जाता है। इस यूनिवर्सिटी में यह कल्पना की जा रही है कि ऐसी सारी विधाओं को भी पढ़ाया जाएगा, तब यह पूर्ण मात्रा में मल्टी डिसिप्लिनरी होगा, मल्टी डायमेंशनल होगा। सभी ने इसका समर्थन किया है। यह एनईपी की आइलैंड है।

सभापति महोदय, आज मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं कि हम दुनिया के कई देशों में जाते हैं और भारत में भी पायलेट मोड में बुलेट ट्रेन वगैरह की बात आज घर-घर तक पहुंच गई है। वन्दे भारत ट्रेन पटरियों पर दौड़ने लगी है। उड़ान स्कीम आज सामान्य व्यक्ति की ऐस्पिरेशन की प्रतीक बन चुकी है। मैंने अभी अखबार में पढ़ा, हमारे मित्र निशिकांत जी यहां पर बैठे हुए हैं, माननीय प्रधान मंत्री जी जुलाई महीने में ही हमारे देश के पवित्रधाम देवघर जाकर नई हवाई पट्टी बनाकर आए हैं, एयरपोर्ट बना कर आए हैं। मैं खुद को संशोशित करता हूं कि हवाई पट्टी नहीं, बल्कि पूर्णिया में एयरपोर्ट बना है। राजीव प्रताप रूडी जी विमान लेकर गए थे और कुछ मित्र भी साथ में गए थे तो सभी को बधाई। आज देश के गरीबों की, दलितों की एवं पिछड़ों की आकांक्षाएं आकार ले रही हैं। देश के दूर-दराज इलाकों में एविएशन इंडस्ट्री मोदी सरकार में पहुंची है।

सभापति महोदय, यह बात केवल विमान उड़ान की नहीं है, इसमें विज्ञान भी जुड़ा है, इसमें अर्थशास्त्र भी जुड़ा है और इसमें अर्थ नीति का विकेंद्रीकरण भी जुड़ा है। यह सारा विषय गति शक्ति

विश्वविद्यालय में पढ़ाई की आवश्यकता का है। ड्राइवर लैस इंजन की बात कही जाती है। आखिर यह ड्राइवर लैस इंजन ऐसे तो नहीं चल जाएगा । उसके लिए रिसर्च, लोकलाइजेशन, लोक स्किल कैपेसिटी की आवश्यकता है । इसमें ऐसे विश्वविद्यालय की कल्पना की गई है कि इसमें न केवल उच्च शिक्षा की डिग्री दी जाएगी, बल्कि वर्तमान सारे सेक्टर्स में ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक सेक्टर में काम करने सभी कर्मचारियों की कैपेसिटी बिल्डिंग की आवश्यकता है । वर्ष 2025 तक एक आकलन आ रहा है कि दुनिया में जितना काम लोग हाथ से करेंगे, उतना ही काम मशीन से होगा। आखिर मशीन के प्रशिक्षण की भी तो आवश्कयता होगी । भारत में कई काम बंद हो रहे हैं और कई नए काम सृजन हो रहे हैं । इन नये कामों के बारे में जानकारी और उनके प्रशिक्षण, उनके स्किल सर्टिफिकेशन इसी यूनिवर्सिटी में होंगे । ऐसे ही एक फ्यूचरिस्टिक यूनिवर्सिटी है । जैसे मैंने उनको कहा कि यह एनईपी के उपरांत देश की पहली रिसर्च यूनिवर्सिटी, पहली आंत्रप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, पहली स्टेम यूनिवर्सिटी और पहली मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी है । इसमें स्टेम के साथ-साथ ह्यूमैनिटी और कॉमर्स भी है। आज रेलवे में एमबीए दो कोर्स में पढ़ाया जाता है। इसका व्यवसायीकरण कैसे होगा तो इसके बारे में भी चर्चा की जाती है और आने वाले दिनों में खर्चा कम हो, योजना सटीक तरीके से सही लाभार्थी तक पहुंचे, इसमें एक बड़े मास्टर प्लान की परिकल्पना की जा रही है। इसमें बायसैक को यह काम दिया गया है। मैं आज सदन में एक अच्छी सूचना देना चाहता हूं कि भारत के सभी राज्यों ने, अभी तो अच्छा हुआ कि शांति हो गई है। हमारे जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ सदस्य, राममोहन जैसे नौजवान साथी, चन्द्रशेखर बाबू जैसे साथियों ने इसका समर्थन किया है। इनको सच में इसमें रुचि थी और वे लोग बैठ कर इसको सुन रहे हैं।

उनकी उपस्थिति ही बड़ी अच्छी बात है। आज भले ही सदन में थोड़ी नोक-झोक हो, लेकिन बाइसा की गतिशक्ति मिशन में, मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ कि भारत की सभी सरकारों ने आज सहयोग किया है, भारत के सभी विभाग अपना डाटा उसमें लेयरिंग करते जा रहे हैं। अब देखिए, आने वाले दो-चार साल के बाद, भारत में बीच-बीच में आती हैं, भारत में रेल पटरी कितनी जल्दी बन रही है। रोड कितनी जल्दी बन रही है। हमारे सामने इस पार्लियामेंट बिल्डिंग का उदाहरण लें। सभापति महोदय, वर्ष 2020 में कोरोना के बीच में मदर ऑफ डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, लोकतंत्र का मातृस्थान भारत है, उसका नया मंदिर हम लोग

बना रहे हैं और वर्ष 2023 तक यह बन कर रेडी हो जाएगा। यह है गतिशक्ति। इन सब की डॉक्युमेंटेशन, प्लानिंग, इम्पिलिमेंटेशन, इन सब में आधुनिक विधा की आवश्यकता होगी। ये सब एक, दो या पांच साल के लिए नहीं बन रहे हैं। ये आने वाली सदियां-सदियों तक के लिए बन रहे हैं, इसीलिए इसमें रिसर्च, विज्ञान, मानवता, व्यावसायिक पक्ष, इन सारे विषय की पढ़ाई और रिसर्च की आवश्यकता है। एक नयी कार्य संस्कृति भारत में विकसित हो रही है। जो कहा जाएगा, वह किया जाएगा। उसमें विश्वास बनता है। सभी के लिए किया जाएगा। सबको साथ ले कर किया जाएगा। इसी में सभी का विश्वास बढ़ रहा है। सबको इसके लिए प्रयास करना चाहिए। गतिशक्ति उसका एक व्यावहारिक रूप है।

मैं इस बिल को आपके सामने प्रस्तुत करने से पहले एक शब्द में एक बात और कहना चाहूंगा। मैं संसद की इस गरिमामयी परिवेश का थोड़ा फायदा भी लेना चाहता हूँ। कई जगह पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एक्सपेंशन के बारे में कई सदस्यों ने उल्लेख किया है। मैं बड़ी विनम्रता के साथ उनके सामने यह विषय कहना चाहता हूँ कि वह एक अलग विषय है। आज हम 21वीं सदी के नए विश्वविद्यालय की कल्पना कर रहे हैं, जिसमें मैं आपका समर्थन मांग रहा हूँ। लेकिन एक संवैधानिक विषय को भी उठाया गया है। कई माननीय सदस्यों ने यह कहा कि कई केंद्रीय विश्वविद्यालयों में विशेष कर समाज के वंचित वर्गों के पद खाली हैं। एससी, एसटी, ओबीसी तथा एक और वर्ग भी है, मोदी जी ने एक और समाज के तबके को आरक्षण देने की बात कही है, जिसे इकोनॉमिक वीकर सैक्शन कहा जाता है, जो दिया जाएगा, चारों वर्गों को दिया जाएगा। यह बात सही है। जिन माननीय सदस्यों ने विषय को उठाया है, वह सही उठाया है कि कुछ-कुछ सैक्शन में दिया है। एससी, एसटी के पदों की भरपाई हो, यह वर्ष 2014 के उपरांत का विषय नहीं है न, यह तो पहले का विषय है। कारण खोजना पड़ेगा। संविधान सभा में, इस पवित्र गृह में चर्चा हुई थी कि आरक्षण हमारे समाज के कुछ भाई-बहनों को दिया जाएगा। संविधान सभा ने तय किया था। आखिर एक बार इस सदन को डिबेट करनी चाहिए कि किस सरकार के समय कितनी नियुक्तियां की गई हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन है। मित्रों ने प्रश्न उठाया, मैं आज रिकॉर्ड को स्ट्रेट करना चाहता हूँ। देश में पहली बार, वर्ष 2018 में देश के लोकप्रिय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक कानून लाया गया कि यह ऑप्शनल नहीं रहेगा। आपकी इच्छा

पर नहीं रहेगा। समाज के वंचित वर्ग किसी के मोहताज के पात्र नहीं हैं। यह उनका संवैधानिक अधिकार है, उनको देना ही पड़ेगा।

पहली बार पार्लियामेंट में, राज्य सभा में कानून लाया गया। वर्ष 2018 के बाद जो हायर एजुकेशन में पद रोस्टर के मुताबिक एससी, एसटी, ओबीसी और मैं फिर से जोड़ रहा हूँ कि इकोनॉमिक वीकर सैक्शन, इन चारों के लिए जो पद व्यवस्था के तहत हैं, उनको भरना पड़ेगा। मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ कि आज मोदी जी की सरकार मिशन मोड पर, इन सारे पदों पर भर्ती करने का काम कर रही है। यह चूंकि एक ऐसा विषय है, मैं समाज की मानसिकता की बात को क्या कहूं, कुछ लोगों को लगता है कि बुद्धि एक विशेष वर्ग में ही अटक जाती है। मित्रों, ऐसा नहीं है।

बुद्धि समाज के सामान्य घरों में है, नहीं तो ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, देश के राष्ट्रपति नहीं होते, न नरेन्द्र मोदी, देश के प्रधान मंत्री होते और न द्रौपदी मुर्मू जी जैसी महिला आज देश की राष्ट्रपति होती। यह हमारी प्रतिबद्धता है। हमें उस पर विश्वास है, इसलिए तो मोदी जी वर्ष 2018-19 में नया कानून लाये। संसद की यह चिंता वाजिब है। उसको एक-डेढ़ साल के अन्दर, हम जिम्मेदारी के साथ कहते हैं कि सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है, विशेष ड्राइव करके भी भरा जाएगा। सदन आश्वस्त रहे, मोदी जी पर भरोसा करे। हम उसको करके रहेंगे।

सभापति जी, मैंने आपकी अनुमति से इस गति शक्ति विश्वविद्यालय की चर्चा के अवसर पर एक विषयांतर विषय पर कहा क्योंकि यह एक संवैधानिक विषय है।

सभापति जी, मैं ओडिशा से आता हूं। हमारे यहां एक कहावत है। हिन्दी में उसे ऐसे कहा जाता है - 'जो गलती किया, वही ज़ोर से चिल्ला देता है।' अगर मैं उसे ओड़िया में कहूं तो वह थोड़ा अन-पार्लियामेंट्री है।... (व्यवधान) अभी-अभी शायद सभापति जी ने किताब निकाली, मैं क्यों विवाद में जाऊँ? शायद वह अन-पार्लियामेंट्री हो जाएगा और फिर मेरे नाम पर कोई बड़े विद्वान लोग प्रिविलेज लगा देंगे, इसलिए मैं उसे नहीं कहता हूं। लेकिन, जो आज गलती करे, वही ज्यादा चिल्लाता है। पीढ़ी-दर-पीढ़ी जिनके हाथ में शासन रहा, जिन्होंने 'गरीबी हटाओ' का नारा देकर दशकों तक इस सदन में राज किया, वे आज मोदी जी पर प्रश्न

उठाते हैं। इसलिए, वे आज कहाँ हैं? यह अच्छा हुआ कि वे किसी का बहाना लेकर बॉयकॉट करके चले गए।... (व्यवधान) जनता उन्हें लम्बे समय तक बॉयकॉट करवाएगी। उन्हें प्रजातंत्र में विश्वास होना चाहिए।

सभापति जी, सदन के सहयोग की मैं कामना करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति: महताब साहब, क्या आपके कुछ क्लैरिफिकेशन्स हैं?

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदय, मेरे तीन क्लैरिफिकेशन्स हैं।

[अनुवाद]

इतने उत्साही भाषण को सुनने के बाद, मैं इतना तल्लीन हो गया था कि शायद इस सभा में व्यावहारिक रूप से अधिकांश सदस्य विधेयक का ट्रैक ही खो बैठे होंगे। लेकिन हम तथ्यों पर आते हैं, उस विधेयक पर, जो हमारे सामने है। मैंने धारा 3च, उपधारा (3) का उल्लेख किया है, जो ऑरिजिनल बिल के साथ इन्सर्ट हुआ है "गति शक्ति विश्वविद्यालय का केन्द्रीय सरकार द्वारा रेल मंत्रालय में निधिपोषण किया जाएगा ।"

[हिन्दी]

इस हाउस ने आज देखा कि एजुकेशन के माननीय मंत्री जी ने 1 अगस्त को यह बिल मूव किया और आज 3 अगस्त को यह चर्चा में है और थोड़ी देर में, हाउस की सहमति से, संभवत: यह पारित भी हो जाएगा। इस बीच, चर्चा के भीतर, हमारे माननीय रेल मंत्री जी ने भी इन्टरवीन किया।

जो डीम्ड-टू-बी यूनिवर्सिटीज को हम सेन्ट्रल यूनिवर्सिटीज बना रहे हैं, वह भी रेल मंत्रालय की ही है। अगर यह सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, इसलिए एजुकेशन मंत्री और एजुकेशन मंत्रालय इसकी नोडल मिनिस्ट्री है, तो मेरा प्रश्न सिम्पल है। रेल मंत्रालय की तरफ से इस यूनिवर्सिटी को चलाया जाएगा, खर्च किया जाएगा। मैं रेल मंत्री जी के वक्तव्य को सुन रहा था। क्या रेल बजट में इसके बारे में प्रोविजन है या आगे आपको सप्लीमेंटरी बजट में यह करना है, यह स्पष्ट हो जाना चाहिए। यह अब तक नहीं हुआ है।... (व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रस्तावों में कोई वित्तीय निहितार्थ नहीं हैं - यही लिखा है। इससे भी एक प्रश्न उठता है। क्या केंद्र ने गति शक्ति विश्वविद्यालय को प्रदान की जाने वाली धनराशि को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्रालय को आवंटित बजट को बढ़ाने की योजना बनाई है? यह मेरा पहला प्रश्न है।

धारा 4 उप खंड (1) का परंतुक, जिसमें विश्वविद्यालय के टेन्योर के कर्मचारी, अधिकारी, प्रोफेसर, ये सारे रहेंगे, उनके बारे में है।

इसमें कहा गया है : "... उसी पदावधि के लिए और उसी पारिश्रमिक पर तथा उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर ...." यह तो ठीक है। यह बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। आम तौर पर, जब विश्वविद्यालय का नामकरण बदलता है, तो अधिकांश अंगीकार करनेवाली एजेंसी या संस्था, उसको स्वीकार नहीं करती, परंतु आपने यहाँ विधेयक में इसको रखा है। लेकिन यहां प्रश्न यह है। जैसा कि मैंने कहा, यह एक बहुत अच्छा प्रावधान है, जो कर्मचारियों के अधिक से अधिक हित को ध्यान में रखता है। हालांकि, गैर-स्थायी कर्मचारियों को मुआवजा प्रदान करने के संबंध में, उन गैर-स्थायी कर्मचारियों पर विचार किया जाना चाहिए जिन्होंने लंबे समय तक काम किया है और ऐसे कर्मचारियों के लिए तीन महीने का मुआवजा प्रदान किया जाना चाहिए। यह मेरा सुझाव है।

तीसरी बात यह है कि ... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय सभापति : मैं समझता हूँ कि इस पर डिबेट हो चुकी है।

श्री भर्तृहरि महताब : मैं डिबेट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि प्रश्न पूछ रहा हूँ। थर्ड रीडिंग में प्रश्न ही पूछा जाता है, यह आपको भी मालूम है।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति जी, हमारे कई सदस्य एक्स्प्लैन्टॉरी नोट पूछना चाहते हैं।

माननीय सभापति: ठीक है।

श्री भर्तृहरि महताब : यह प्रोविज़ो काफी लंबा है, पाँच लाइन का है।

[अनुवाद]

"परंतु यह और कि धारा 3च के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित गति शक्ति विश्वविद्यालय, जिसके अंतर्गत भारत और विदेश में केन्द्र स्थापित करना है, जैसा कि उक्त विश्वविद्यालय की राय में अपेक्षित हों, परिवहन, प्रौद्योगिकी और प्रबंधन से संबंधित विभिन्न विषयों में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा, अनुसंधान और कौशल विकास का उपबंध करने के लिए अतिरिक्त उपाय करेगा ।" प्रश्न यह है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि गति शक्ति द्वारा किए जाने वाले कार्यकलाप सराहनीय हैं, लेकिन इनमें से प्रत्येक कार्यकलाप पर किस तरह से धन खर्च किया जाएगा, इसके बारे में कोई विवरण नहीं है। क्या विश्वविद्यालय के व्यय की लेखापरीक्षा के लिए कोई तंत्र है?

[हिन्दी]

प्रारंभ में, जब 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय विधेयक पारित किया गया था,इसके बारे में हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी बोल रहे थे। उस समय प्रश्न यह था कि रिवर्स ब्रेन ड्रेन होने की आवश्यकता है। 12-14 साल हो गए, कितने रिवर्स ब्रेन ड्रेन हुई हैं? यह एक प्रश्न है, जिसके ऊपर माननीय शिक्षा मंत्री विचार करें। क्योंकि, असली चीज वही थी कि हमारे यहाँ से लोग बाहर जा रहे हैं, वहाँ नौकरी कर रहे हैं। हमारे यहाँ एस्टैब्लिशमेन्ट्स बनें और वहाँ से वापस आएं, इसके बारे में भी थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है।

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी से मेरा एकमात्र सवाल है। यह जो सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी बनायी गई है, इसका सबने समर्थन किया है और हम लोग भी कर रहे हैं। माननीय मिनिस्टर साहब ने इस बात को बड़े ही विस्तार से बताया कि एससी, एसटी, वीकर सेक्शन और वंचित वर्ग के लिए जो आरक्षण दिया गया है, उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। लेकिन, आज की जो परिस्थितियाँ हैं, जितने भी विश्वविद्यालय हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे नहीं हैं। उसके साथ-साथ टीचर्स की बेहद कमी देखने को मिलती है। इस बिल के अंदर क्लॉज-5 में जो प्रोविजन दिया गया है, क्या उसमें एक और चीज

ऐड करना उचित नहीं होगा, जिसमें 10 परसेंट से अधिक रिक्तियाँ कभी नहीं रहे? उसका प्रोविजन भी किया जाए। इसमें मैं माननीय मंत्री जी सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसा किया जाएगा?

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): धन्यवाद, सभापति महोदय। अभी माननीय मंत्री जी जो बिल लाये हैं, यह प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट दिखाता है कि वह किसी भी तरह से हमारे विद्यार्थियों को सारे स्किल्स और विद्याएं देना चाहते हैं तथा देश को आग बढ़ाना चाहते हैं।

सर, पुराने जमाने में तीन विश्वविद्यालय थे, जो बड़े विश्वविद्यालय थे- तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय। सौभाग्य से विक्रमशिला मेरा गाँव है। … (व्यवधान) मैं अभी झारखंड से सांसद हूँ, लेकिन यह बिहार में है।

सभापति महोदय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय एक समय में नालंदा विश्वविद्यालय के कोर्स को कंट्रोल करता था।

यह मैं नहीं कह रहा हूं, एएसआई ने जो बोर्ड मेरे गांव में लगाया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि जब नालंदा विश्वविद्यालय डूबने की कगार पर था, तब विक्रमशिला विश्वविद्यालय ही उसका मास्टर विश्वविद्यालय था। वर्ष 2015 में माननीय प्रधान मंत्री जी ने, जैसा मैंने कहा कि माननीय प्रधान मंत्री जी पिछड़े क्षेत्र के बारे में सोचते हैं, आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, तो वर्ष 2015 में उन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की घोषणा की और उसके लिए 400 करोड़ रुपये दे दिए। सात साल हो गए, माननीय प्रधान मंत्री जी की घोषणा हुई कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनेगा, लेकिन सात साल में वह विश्वविद्यालय नहीं बना है। क्या वह विश्वविद्यालय अपना चेहरा देख पाएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बन पाएगा और बनेगा तो कब तक बनेगा? मेरा आपसे यह प्रश्न है।

माननीय सभापति : विधेयक के बारे में पूछना उचित रहेगा। बाकी बातें आप बाद में पूछिए। कोई भी क्वैरी हो तो प्लीज, अपने को विधेयक तक ही सीमित रखिए।

श्री हसनैन मसूदी (अनन्तनाग): सर, मैं माफी चाहता हूं कि मेरा जो कहना है, उसका डायरेक्टली कनेक्शन नहीं है। मैं मिनिस्टर साहब से जानना चाहता हूं कि क्या एक सेंट्रल मिनिस्ट्री, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी यूनिवर्सिटी को जम्मू-कश्मीर के अनन्तनाग में कंसीडर किया जाएगा?

माननीय सभापति : हसनैन साहब, वह अलग विषय है।

श्री हसनैन मसूदी : सर, मैंने पहले ही माफी चाही है। क्या आप इसे कंसीडर करेंगे?

माननीय सभापति : इस पर बाद में बात कर लीजिएगा। केवल बिल के बारे में बोलिए। अगर आपकी कोई क्वैरी हो तो उसे पूछिए।

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): धन्यवाद सभापति महोदय। जब मेरा नंबर आया तो खाली बिल के बारे में, बाकी सब इतने लंबे-लंबे भाषण हो गए। मैं तो केन्द्रीय विश्वविद्यालय के बारे में ही बात कर रहा हूं। माननीय मंत्री जी यहां उपस्थित हैं और केन्द्रीय विश्वविद्यालय का यह अमेंडमेंट बिल है। पिछले दिनों मंत्री जी ने अवार्ड दिए, जिनकी रैंकिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आई, उनको एजुकेशन मिनिस्ट्री के माध्यम से अवार्ड दिए गए। उसमें जामिया मिलिया इस्लामिया को भी अवार्ड दिया, जो कि तीसरे स्थान पर आई। माननीय मंत्री जी, क्या वजह है कि पिछले वर्ष 2020-21 में वहां का एलोकेशन ऑफ फंड 479 करोड़ रुपये था, जबकि इस बार 411 करोड़ रुपये है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसका 1,520 करोड़ था, उसका 214 करोड़ रुपये हो गया। इसकी क्या वजह है? ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : दानिश जी, कुछ रिकार्ड में नहीं जा रहा है।

... (व्यवधान) [11*]

श्री रतन लाल कटारिया (अम्बाला): सभापति महोदय, मैं आदरणीय मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं।

माननीय सभापति : आप सीधे सवाल पर आइए, जो आपकी क्वैरी है।

[11*] कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री रतन लाल कटारिया : गति शक्ति केन्द्रीय विश्वविद्यालय बिल को लेकर जो आज प्रस्ताव पास होने जा रहा है, इससे देश के करोड़ों युवाओं की किस्मत बदलने वाली है। आज मुझे इस बात की भी बड़ी खुशी है कि आदरणीय मंत्री जी ने इस महान सदन में उन लोगों के सभी भ्रम दूर कर दिए हैं।...(व्यवधान) मैं कोई डिबेट नहीं कर रहा हूं।... (व्यवधान) मैं बात कर रहा हूं।...(व्यवधान) मैं यह पूछना चाहता हूं ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपको सब क्लियर है। आपको क्लेरिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है।

... (व्यवधान)

श्री रतन लाल कटारिया : सर, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार उन्होंने आईआईएम को लेकर, आईआईटी को लेकर आरक्षण के मामले में प्रिअंबल ऑफ दी कांस्टीट्यूशन के बारे में मोदी जी के विजन को जिस तरह से यहां पर दोहराया है, क्या इसी प्रकार से गति शक्ति केन्द्रीय विश्वविद्यालय जो बनेगा, उसमें जो हमारे बच्चे हैं, उनको पूरा-पूरा लाभ मिलेगा? ... (व्यवधान)

श्री एस. एस. अहलुवालिया (बर्धमान-दुर्गापुर): सभापति महोदय, 'गति शक्ति' द्वारा गति शक्ति विश्वविद्यालय बनाना अपने आप में फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर बहुत बड़ी शुरुआत है और सराहनीय है। यह हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री की दूरदर्शिता को दर्शाती है।

हम जिस ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, वह एयर पर है, सरफेस पर है, ट्रैक पर है, रिवर पर है और ओसिएन पर है। इसके लिए आज तक जिस दो फ्यूल का यूज होता था, एक स्टीम इंजन और दूसरा फ्यूल पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज करते थे। हम आने वाले दिनों में देखेंगे कि हाइड्रो इंजन से चलने वाली गाड़ियां आएंगी। हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों के साथ-साथ सोलर एनर्जी के द्वारा चलने वाली गाड़ियां आएंगी। हम इनवायरमेंट को भी बचाएं और आने वाले भविष्य को भी बचाएं।

मेरा मंत्री जी से सिर्फ इतना ही प्रश्न है, क्या इस टेक्नोलॉजी पर भी रिसर्च और एजुकेशन और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी हमारे छात्रों को दी जाएगी? अगर दी जाएगी तो यह सराहनीय योगदान है। बड़ौदा के साथ-साथ इसकी फैकल्टी, इसके डिफरेंट डिविजन, डिफरेंट कैम्पस देश के विभिन्न जोनों में भी खोलने की जरूरत है।

[अनुवाद]

श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू (नरसाराओपेट): महोदय, कई माननीय सदस्यों ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों में रिक्तियों के बारे में बात की है। इनमें 6000 से अधिक रिक्तियां हैं। हमने एक नया गति शक्ति विश्वविद्यालय शुरू किया है जो एक बहुत ही विशिष्ट और सीमित क्षेत्र से संबंधित है। क्या कोई ऐसा अध्ययन किया जा रहा है जिससे यह पता लगाया जा सके कि इस विशिष्ट क्षेत्र में पर्याप्त पीएचडी विद्वान और पर्याप्त शिक्षक कहां उपलब्ध हैं या हम इसे किसी अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालय की तरह शुरू करने जा रहे हैं और आने वाले वर्षों में शिक्षकों की तलाश करेंगे या शिक्षक के पद खाली छोड़ देंगे?

[हिन्दी]

श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर): सभापति महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि बिल रेलवे और परिवहन दोनों के संदर्भ में है और आज सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं एक्सिडेंट से होती हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि परिवहन के ऊपर खासतौर पर ड्राइविंग सिस्टम के ऊपर भी रिसर्च का कोई कार्य विश्वविद्यालय के अंदर होगा? मैं यही जानना चाहता हूं।

श्री अश्वनी वैष्णव: सभापति महोदय, जिस तरह से प्रश्न आए हैं, वह बहुत ही एनकरेजिंग है और सभी ने इस प्रस्ताव का बहुत ही खुले दिल से स्वागत किया है। आज वाकई में देश में इसकी जरूरत है कि किस तरह से अति महत्पूर्ण लॉजिस्टिक ट्रांसपोटेशन सेक्टर के लिए एक यूनिवर्सिटी बनें। मैं दो प्रश्नों का जवाब दूंगा और शेष प्रश्नों का जवाब माननीय मंत्री जी देंगे। फाइनेंस पर माननीय महताब साहब ने प्रश्न उठाया, इस बिल में अगर आप देखें तो बहुत ही क्लियरली दिया हुआ है।

[अनुवाद]

"राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान, वडोदरा के प्रति किसी संविदा या अन्य प्रपत्र में निर्देश को, इस अधिनियम के अधीन स्थापित गति शक्ति विश्वविद्यालय के प्रति संदर्भ समझा जाएगा।

[हिन्दी]

उसके आगे बहुत स्पष्ट रूप से सारी चीजें लिखी हुई हैं, एक तरीके से पॉलिसी में कन्टीन्यूटी है। एनआरटीआई 2018 में बनाया गया था और उसको अपग्रेड किया जा रहा है। एनआरटीआई का जितना भी बजट है, उसके जितने भी काम हैं, वे सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट होते हैं। इस वित्तीय वर्ष में एनआरटीआई का कितना बजट है? वर्ष 2022-23 में 166 करोड़ रुपये का बजट है। महताब साहब, मुझे आशा है कि मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया है।

माननीय महताब साहब ने रिवर्स ब्रेन ड्रेन के बारे में कहा। यह मेरे सेक्टर से जुड़ा हुआ प्रश्न है। आज अगर हम टेलीकॉम सेक्टर देखें, स्टार्ट-अप सेक्टर देखें, इलेक्ट्रॉनिक्स देखें और आईटी देखें। हर एक सेक्टर में दुनिया भर में भारत से निकल कर जो छात्र गए थे, उन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश किया । उन्होंने हिन्दुस्तान में आकर अपने प्रतिभा और अपने अनुभव का प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के स्टार्ट-अप इंडिया विजन के साथ जुड़ कर इतना बढ़िया इको-सिस्टम तैयार किया है कि आज भारत में 105 यूनिकॉर्न्स बन चुके हैं, 74 हजार स्टार्ट अप हैं। दुनिया में भारत का नाम स्टार्ट-अप इको-सिस्टम के हिसाब से जाना जाता है। धन्यवाद।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान: माननीय सभापति जी, मेरे मित्र अश्विनी जी ने आदरणीय महताब जी द्वारा, फाइनेंशियल एलोकेशन रेलवे के बजट में है या नहीं, स्पेसिफिक प्रश्न के बारे में क्लेरिफिकेशन दी है। मैं इसे थोड़ा आगे ले जाना चाहता हूं। यह बात सही है कि इसके एनविज़न के बारे में वर्ष 2016 में पहली बार माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा था। वर्ष 2018 में उस समय के रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने बहुत बारीकी से सब लोगों से चर्चा की थी, तब आपकी अध्यक्षता में रेलवे कमेटी चलती थी, मुझे इतनी जानकारी है कि आपने उसमें कंट्रीब्यूट किया था। यह रेलवे से शुरू हुआ। महोदय, मैं एक उदाहरण जोड़ना चाहता हूं, इन दिनों माननीय मोदी जी ने भारत की स्पेस पॉलिसी रिफार्म की है। स्पेस पहले एक सरकारी चीज थी, अब भारत के नौजवानों को, भारत के पढ़े-लिखे रिसचर्स को, नई पीढ़ी के लोगों को स्पेस सेंट्रिक एन्टरप्रिनयोर बनाने के लिए स्पेस पॉलिसी को अनबंडल किया है, व्यापक किया है। स्पेस रिलेटिड एडवांटेजेस क्या होंगी?

क्या नया एन्टरप्रिनयोरशिप आएगा? इन सबको ध्यान में रखते हुए इसके दायरे को बड़ा किया गया। अभी इसमें भी व्यवस्था की गई है। वर्तमान रेलवे एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री के दो हिस्से हैं। पॉलिसी का पार्ट भारत सरकार की सैंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत चलेगा। इसके वाइस चांसलर, प्रोफेसर्स और एकेडेमिक करिकुलम यूनिवर्सिटी की तरह पॉलिसी के तहत होंगे। अगर हम सैक्टर स्पेसिफिक नहीं करेंगे, हम आवश्यकता के अनुसार विद्या को नहीं ढालेंगे।... (व्यवधान)

महोदय, अभी यह होता था कि आईआईटी हो, अन्य कोई इंजीनियरिंग कॉलेज हो या ग्रेजुएशन हो, पढ़ने के बाद एक या डेढ़ साल मैनेजमेंट ट्रेनिंग करनी पड़ती थी। उसे दोबारा काम सीखना पड़ता था। डेढ़ या दो साल उसके लिए हुनर, इनोवेटिव और क्रिएटिव पीरियड होता है, उसमें विद्यार्थी रहते हुए वह कौन से काम में जाएगा, अगर उसकी पढ़ाई अभी से शुरू हो जाए और वह सीधा जाकर डिलीवरी कर सके, इसीलिए यह इंस्ट्रुमेंट बनाया गया है। इसके फाइनेंशियल कंस्ट्रेन्ट्स कभी नहीं रहने वाले हैं।

महोदय, माननीय सदस्य ने अच्छा प्रश्न उठाया और बीच में एक अन्य क्वेरी थी कि कांट्रेक्चुअल टाइप के लोगों की सिक्योरिटी का क्या होगा? मैं आदरणीय महताब जी, बहुत वरिष्ठ और अनुभवी पब्लिक पॉलिसी के एक्सपर्ट के सामने अपनी सरकार की एप्रोच के लिए निवेदन करना चाहता हूं, देखिए, दुनिया में संविदात्मक मॉडल अब कोई चिंता का विषय नहीं है। यह एक अपॉरच्युनिटी है। एक व्यक्ति कहीं फैक्ट्री में काम करेगा, सीईओ के रूप में काम करेगा, इधर आकर दो क्लास लेकर पढ़ाएगा, उनके लिए मिनिमम रिम्युनरेशन व्यवस्था रहेगी। हमारे देश में इस प्रकार के इनोवेटिव इंस्ट्रुमेंट धीरे-धीरे आईआईटीज़ में भी इमर्ज कर जाएंगे, आईआईएम में भी इमर्ज कर जाएंगे। हम इस प्रकार का एनविज़न करते हैं और इसलिए हमने फ्लेक्सिबिलिटी प्रोविजन रखा है। हमें इसे बॉटम हेवी नहीं करना है। कभी-कभी लगता है कि यूनिवर्सिटी स्टुडेंट के लिए या यूनिवर्सिटी में काम करने वाले लोगों के लिए है। यह प्रश्न आ जाता है। इसी से बचने के लिए यह प्रोविजन रखा गया है।

अंत में एक बात है, इसके बारे में अश्विनी जी ने उत्तर दिया है। मैं इसका उत्तर दो उदाहरणों के साथ सदन में रखूंगा तो समझने के लिए अच्छा होगा। सैंट्रल यूनिवर्सिटी हो या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, केवल

सरकारी फंडिंग से चले, हमें इस कल्पना को छोड़ना ही होगा। समाज समृद्ध होने लगा है। एनईपी ने कहा कि हमें पब्लिक डोनेशन से भी चलना पड़ेगा। महताब जी को उदाहरण अच्छा लगेगा, वह जिस प्रांत से आते हैं, संयोग से मैं भी वहीं से आता हूं। वहां के महानुभाव सुब्रतो बागची माइंडट्री के फाउंडर ने अपनी जिंदगी की अच्छी-खासी कमाई का लगभग 300 करोड़ रुपये से ज्यादा दान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलूरू को दिया है। अभी रितेश जी या अन्य मित्र राम मोहन जी कह रहे थे कि एडवांस रिसर्च क्यों नहीं हो रही है? भारत बायोटेक ने अकेले क्यों एक वैक्सीन निकाली, हम और वैक्सीन क्यों नहीं निकाल पाए? आईआईएससी में पहली बार 20 जून को माननीय प्रधान मंत्री जी के हाथ से पत्थर रखा गया, सुब्रतो बागची और उनके पार्टनर ने पैसा दिया।

300 करोड़ रुपये से ज्यादा पब्लिक फंडिंग हुई। उनके द्वारा पैसा देने से वहां यूनिवर्सिटी बनी। हमें कानपुर में भी एक सौभाग्य मिला। इंडिगो के प्रमुख स्टेक होल्डर राकेश गंगवाल और सिंघानिया जैसे चार-पांच आईआईटीयन कानपुर के पुराने प्रोडक्ट हैं। हमारे अश्विनी जी की वह पुरानी कैंपस है। मैं वहां गया था। वहां लगभग 300 करोड़ रुपये पब्लिक फंडिंग से आए। हमारे आईआईटीयन, आईआईएम और हमारे एलुमनी इसके लिए ताकत रखते हैं। वे समाज को लौटाना चाहते हैं। इसलिए, आप उसके लिए चिंतित न रहें। सरकार तो है ही। आज समाज भी संपन्न होने लगा है। उसकी फंडिंग से भी इंस्टिट्यूशन इमर्ज कर रहे हैं।

हमारे कई मित्रों ने कुछ अन्य विषय के बारे में कहा है। आपने उनको और हमें संरक्षण दिया है। लेकिन, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि रिजर्वेशन वगैरह की लिगेसी प्रॉब्लम हमारे कार्यकाल की देन नहीं है। पीएचडी करने में पांच साल लगते हैं। कुल मिलाकर 75 साल की जर्नी में माननीय मोदी जी की 8 साल की जिम्मेवारी है। कुछ लिगेसी इश्यु के लिए हमारी नैतिकता है। सही को सही और गलत को गलत कहने के लिए हमारे पास मोरल पावर है। बाकी विषयों, जिसको दानिश जी और अन्य लोगों ने उठाया है, हम उनसे मिलकर सभी विषयों के बारे में बता देंगे। मेरे पास बकायदा तथ्य आधारित रिपोर्ट है। यह इस विषय से संबंधित नहीं है। इसलिए, उसका उत्तर मैं नहीं देता हूं।

आपने मुझे पुन: एक्सप्लेनेशन देने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। "

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

माननीय सभापति : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

माननीय सदस्यगण, कुछ माननीय सदस्यों ने संशोधन दिए हैं, परन्तु वे उपस्थित नहीं हैं। इसीलिए, मैं सारे खंडों को एक साथ सभा के निर्णय के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं।

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 6 विधेयक का अंग बने।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

<u>खंड 2 से 6 विधेयक में जोड़ दिये गये ।</u>

<u>खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।</u>

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

———

अपराह्न 4.48 बजे

[12]*वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2021

[अनुवाद]

रेल मंत्री, संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री अश्विनी वैष्णव): महोदय, आपकी अनुमति से, मैं प्रस्ताव करता हूं कि व्यष्टिकों के वैयक्तिक डाटा से संबंधित उनकी निजता के संरक्षण, वैयक्तिक डाटा के प्रवाह और उपयोग को विनिर्दिष्ट करने, व्यक्तियों और वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण में लगी इकाइयों के बीच विश्वास के संबंध का सृजन करने, ऐसे व्यष्टिकों के अधिकारों जिनके वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण किया गया है, का संरक्षण करने, डाटा का प्रक्रमण करने में संगठनात्मक और तकनीकी उपायों के लिए ढांचा सृजित करने, सोशल मीडिया मध्यवर्ती, अंतरसीमा अंतरण के लिए सन्नियम अधिकथित करने, वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण करने वाली इकाईयों की जवाबदेही, अप्राधिकृत और हानिकारक प्रक्रमण के लिए उपाय करने तथा उक्त प्रयोजनों के लिए भारतीय डाटा संरक्षण प्राधिकरण स्थापित करने और उससे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के वाले विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित, को वापस लेने की अनुमति दी जाए।

[हिन्दी]

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

> "कि व्यष्टिकों के वैयक्तिक डाटा से संबंधित उनकी निजता के संरक्षण, वैयक्तिक डाटा के प्रवाह और उपयोग को विनिर्दिष्ट करने, व्यक्तियों और डाटा के प्रक्रमण में लगी इकाइयों के बीच विश्वास के संबंध का सृजन करने, ऐसे व्यष्टिकों के अधिकारों जिनके डाटा का प्रक्रमण

---

[12]* यह विधेयक 11 दिसंबर, 2019 को पुर:स्थापित किया गया था। विधेयक जांच और प्रतिवेदन के लिए सभाओं की संयुक्त समिति को प्रेषित किया गया था तथा संयुक्त समिति का प्रतिवेदन 16.12.2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था। विधेयक को वापस लिए जाने के कारण दर्शाने वाला एक विवरण सदस्यों को आज (3.8.2022) परिचालित किया गया है।

किया गया है, का संरक्षण करने, डाटा का प्रक्रमण करने में संगठनात्मक और तकनीकी उपायों के लिए ढांचा सृजित करने, सोशल मीडिया मध्यवर्ती, अंतरसीमा अंतरण के लिए सन्नियम अधिकथित करने, व्यक्तिक डाटा का प्रक्रमण करने वाली इकाईयों की जवाबदेही, अप्राधिकृत और हानिकारक प्रक्रमण के लिए उपाय करने तथा उक्त प्रयोजनों के लिए भारतीय डाटा संरक्षण प्राधिकरण स्थापित करने और उससे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित, को वापस लेने हेतु की अनुमति प्रदान की जाए। ”

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

[अनुवाद]

श्री अश्विनी वैष्णव: महोदय, मैं विधेयक को वापस लेता हूं।

अपराह्न 4.49 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

भारत में खेल-कूद को बढ़ावा देने की आवश्यकता [13]* - जारी।

[हिन्दी]

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, नियम 193 के अधीन एक चर्चा अभी शेष है। उस पर अभी चर्चा होनी है।

डॉ. निशिकांत दुबे जी।

… (व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): अभी चर्चा होना शेष है। चर्चा अभी पूरी नहीं हुई है। चर्चा अभी बाकी है। … (व्यवधान)

माननीय सभापति: चर्चा अभी बाकी है। वह पिछले सत्र से चल रही है।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: दानिश जी, अगर आपको बोलना है तो आप नाम दे सकते हैं।

डॉ. निशिकांत दुबे : सभापति महोदय, हम सभी लोग माननीय लोक सभा अध्यक्ष जी के शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में ये बातें कही थीं कि लोगों को खेल की चर्चा में आना है। एक दिन कई एक प्रश्न थे, तो उन्होंने एक व्यवस्था दी थी कि हम नियम 193 में इस पर चर्चा करेंगे। अच्छी बात यह है कि लोक सभा अब स्पोर्ट्स के बारे में भी इतनी चिंतित है। कई एक सांसद बोल चुके हैं, कई एक सांसद बोलने वाले

---

[13]* श्री गौरव गोगोई द्वारा 31 मार्च, 2022 को उठाए गए मुद्दे 'भारत में खेल-कूद को बढ़ावा देने की आवश्यकता और सरकार द्वारा इस सबंध में उठाए गए कदम' विषय पर आगे चर्चा - जारी।

हैं।…(व्यवधान) मैं पहली बार बोल रहा हूं। इसमें एक नियम है कि यदि आप एक बार बोल लेते हैं, तो आपको दोबारा मौका नहीं मिलता है। इसीलिए मुझे चेयर और मेरी पार्टी ने बोलने की अनुमति दी है।

महोदय, पहले एक कहावत थी, जिसको सुनते हुए हम सभी लोग बड़े हुए हैं। हमसे जो छोटा जेनरेशन है, वह इन चीजों को सुनते हुए नहीं बड़ा हुआ, लेकिन हम लोग हुए हैं कि 'पढ़ोगे- लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे-कूदोगे होगे खराब'। आज पूरी दुनिया बदल गई है। देश का जो माइंडसेट है, आज़ादी के बाद का जो हमारा युवा है, वह कितना बदला होगा और इस सरकार की सोच कितनी बदली होगी, वह यह दिखाता है। यदि आपको ध्यान हो तो उस दिन राज्यवर्धन राठौर जी बोल रहे थे, वे खेल मंत्री भी रहे, आई एंड बी मिनिस्टर भी रहे, एक बड़े खिलाड़ी रहे, जो कि मेडल जीतकर लाए थे। उन्होंने खुलेआम इस पार्लियामेंट में एक सांसद के प्रश्न के जवाब में बोलते हुए कहा कि मैं वर्ष 2002 में इस देश के लिए मेडल जीतकर लाया था। उस जमाने में यह बड़ी बात थी, लेकिन आप वर्ष 2002 से लेकर वर्ष 2014 तक मेरा एक भी फोटोग्राफ इस देश के प्रधानमंत्री जी के साथ दिखा दीजिए। वह इस सदन में बोल रहे थे, लेकिन आज क्या सिचुएशन है।

कौन-सा खिलाड़ी जा रहा है, जाते हुए उनसे प्रधानमंत्री जी मिलते हैं और बात करते हैं। यदि खिलाड़ी मेडल लाता या जीतता है, देश का नाम रोशन करता है, यदि नहीं भी जीतता है, तो भी उसको प्रोत्साहित करते हैं। यदि उनको कोई रोता हुआ दिखाई देता है, यदि लगता है कि किसी कारणवश छोटी सी चूक हो गई, तो एक गार्जियन की तरह, देश का मुखिया होने के नाते और एक अभिभावक होने के नाते, वे उस खिलाड़ी को बधाई भी देते हैं और उस खिलाड़ी को सांत्वना भी देते हैं। जब वे लौटकर आते हैं, केवल ये नहीं है कि जो ओलंपिक में जा रहे हैं, जो कॉमनवेल्थ में जा रहे हैं, वर्ल्ड में जा रहे हैं, यहां तक कि जो हमारे दिव्यांगबंधु हैं, यदि वे पैरालंपिक में जा रहे हैं, तो उनको भी वही सुविधा है। वे एक-एक चीज का ख्याल रखते हैं। ये हमारी सरकार का कमिटमेंट दिखाता है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट दिखाता है, ये दिखाता है कि देश स्पोर्ट्स के बारे में किस तरह से चेंज हुआ है, किस तरह से पूरे देश की सोच बदली है। जो सिचुएशन है, स्पोर्ट्स के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी या देश क्यों सोचता है?

महोदय, मेरे भी बच्चे छोटे हैं, अभी वे पढ़ ही रहे हैं। दुनिया का जो वातावरण है, उस वातावरण में आपको स्वस्थ मानसिकता के बच्चे चाहिए। वह मानसिकता तब होती है, केवल माल- न्यूट्रिशन या इन चीजों से कि आपने उनको अच्छा खाना-पीना खिला दिया, उससे नहीं होता है। आज का जो समय है, दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, भारत फिर भी काफी हद तक बचा हुआ है। कुछ बच्चे ड्रग्स के शिकार हो जाते हैं, कुछ बच्चे एल्कोहल के शिकार हो जाते हैं, कुछ बच्चों में विकार आ जाता है कि वे लड़ाई-झगड़ा, मारपीट, गुंडागर्दी पर उतारू हो जाते हैं, उनको बचाने के लिए स्पोर्ट्स सबसे बढ़िया तरीका है।

सभापति महोदय, जब माननीय जगजीवन राम जी उप-प्रधानमंत्री होने के नाते हमारे भागलपुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में गए थे, तब उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, उन्होंने कहा था कि 12 वर्ष की आयु से लेकर 18-19 वर्ष का जो समय है, ये शुद्ध युवा का समय है, यूथ का समय है। जितने बच्चे हैं, उनको मेढ़ तोड़कर चलना है, जो मेढ़ तोड़कर नहीं चलते हैं, तो उनके बारे में सोचने की आवश्यकता है कि ये बच्चे युवा हैं कि नहीं हैं। वे दुनिया से अलग हटकर काम करना चाहते हैं। जब तक आप उनको एक पॉजिटिव-वे में देश के प्रति नहीं जोड़ेंगे, अपने समाज के प्रति नहीं जोड़ेंगे, उनको अपने समाज के प्रति क्या करना है, यदि उनकी आवश्यकताओं को उस तरह से नहीं मोड़ेंगे, तो इस देश में केऑस हो जाएगा।

इसीलिए स्पोर्ट्स की आवश्यकता पड़ती है। उस समय उन बच्चों की एनर्जी इतनी हाई होती है कि अगर आप उस समय किसी बच्चे को फुटबॉल खेलने में, किसी को खो-खो खेलने में, किसी को कबड्डी खेलने में, किसी को बैडमिन्टन खेलने में या किसी को टेनिस खेलने में लगा देते हैं तो बच्चे प्रतिस्पर्धा करते हैं। उनको एक-दूसरे से हार और जीत का सुकून होता है। वे हारने पर दुखी होते हैं तो जीतने पर खुश होते हैं, लेकिन हार और जीत एक-दूसरे से दुश्मनी करने में नहीं बदलती है। जब इस तरह से हारने और जीतने का मानसिक प्रभाव बच्चों के शरीर पर पड़ता है, उनके दिमाग पर पड़ता है तो वे स्वस्थ बच्चे भविष्य में देश की ताकत बनते हैं।

चूँकि ऐसा नहीं है कि वे मैडल ही जीतें, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि वे देश के लिए खेलें, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि वे यूनिवर्सिटी के लिए खेलें, लेकिन जब वे अपनी एनर्जी को फील्ड में एग्जॉस्ट करते हैं तो उनकी जो ताकत होती है, वह देश की ताकत बनती है और हम जो 5 ट्रिलियन या 10 ट्रिलियन इकोनॉमी की बातें करते हैं, उसमें उस ताकत की आवश्यकता होती है।

इस कारण से ही आज यहां पर डिस्कशन हो रहा है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, लेकिन मैं आज कुछ समस्याएं देख पा रहा हूँ। मैं अखबारों के माध्यम से पढ़ता हूँ, सांसद होने के नाते जो प्रश्न होते हैं या लोगों से जो जानकारियां मिलती हैं, उसके हिसाब से हमारे देश में जो सबसे बड़ा सवाल है, वह यह है कि फेडरेशन का जो खेल है, वह सरकार की सीमा से बाहर है। फेडरेशन पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। उस फेडरेशन में कौन मैम्बर बनेगा, कौन अध्यक्ष होगा, कौन उपाध्यक्ष होगा और वह फेडरेशन किस आधार पर खिलाड़ियों का सलेक्शन करता है, यह भी सरकार की सीमा के बाहर है। उनका फाइनेंस कहां से आता है तथा उनका मैनेजमेंट कैसे होता है? यहां पर मंत्री जी बैठे हुए हैं। मंत्री जी जवाब देते हुए मुझे इसके बारे में ज्ञान देंगे।

इस सिचुएशन के लिए कई बार प्रयास हुए हैं। चूँकि हम छोटी जगह से आते हैं, ऐसी जगह से आते हैं, जहां बच्चों के लिए ज्यादा सुविधाएं नहीं हैं। वे अमीर बाप के बच्चे नहीं हैं। चाहे क्रिकेट का सवाल हो, हम चाहे महेन्द्र सिंह धोनी से लेकर सचिन तेंदुलकर तक की बात कर लें तो मैं कहना चाहता हूँ कि छोटे-छोटे परिवारों से लोग निकले और उन्होंने देश के लिए काम किया।

सभापति जी, मैं जहां से आता हूँ, वहां आप समझिए कि हॉकी में झारखण्ड के जो बच्चे हैं, वे लगातार अच्छा प्रदर्शन करते रहे हैं। आर्चरी में लगातार बच्चे आगे बढ़ते रहे हैं, लेकिन कई बार खबर आती है, चूँकि आज फिर ये बातें होंगी कि एक फेडरेशन का सब्जेक्ट है और एक स्टेट का सब्जेक्ट है। इस पार्लियामेंट में हमेशा दो बाते होती हैं कि आप जो कह रहे हैं, वह फेडरेशन का सवाल है या आप जिस स्पोर्ट के लिए कह रहे हैं, वह स्टेट का सब्जेक्ट है। यह हम और आप कानून बनाने वाले समझ सकते हैं, लेकिन जो बच्चे खेल रहे हैं, उनके मन में तो एक आशा है, आकांक्षा है, उत्साह है कि वे इस देश के लिए खेलें।

उन बच्चों के पास न तो अच्छा हॉकी स्टिक है, न अच्छे जूते हैं। झारखण्ड से खबरें आती रहती हैं। हरियाणा जैसा स्टेट तो बहुत काम करता है। गुजरात जैसा स्टेट बहुत काम करता है, क्योंकि उसके पास पैसे हैं, वह पैसे दे रहा है, लेकिन हमारा जैसा राज्य यदि बच्चों के लिए पैसे नहीं दे रहा तो वह जो टैलेंट है, उस टैलेंट का क्या होगा? इवन, हमारे यहां पर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कई ऑर्गेनाइजेशन्स हैं। हजारीबाग में है और एकाध जगहों पर इन्होंने हॉकी के इंस्टिटयूट्स बना रखे हैं। उसके अलावा टैलेंट को कैसे अपने साथ रखे, उनको हम कैसे सुविधा दें, यह झारखण्ड जैसे राज्य में नहीं है। यदि यह सब सरकार नहीं करेगी, फेडरेशन नहीं करेगा तो हम यहां से क्या करने वाले हैं? यदि इसका जवाब मिलेगा तो मुझे लगता है कि यह उन बच्चों के लिए बहुत लाभदायक होगा।

दूसरा सवाल यह है कि भारत सरकार के पास कितना बजट है? हमने बजट को बढ़ाया है। वर्ष 2014 तक तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का मतलब 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़ होता था। इसके बाद स्पोर्ट्स और यूथ मिनिस्ट्री का कोई मतलब ही नहीं होता था।

<u>अपराह्न 5.00 बजे</u>

यहां तक कि जो यूथ हॉस्टल जैसे आर्गनाइजेशन थे, जो चाणक्या पुरी में है, उस पर भी केवल लिखा रहता है कि यह भारत सरकार की मदद से बना हुआ है, लेकिन उस यूथ हॉस्टल की जो पोजिशनिंग है, रखरखाव या मैनेजमेंट है, उसमें भी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ का कोई लेना-देना नहीं है। यदि आप दोनों को जोड़ेंगे तो केन्द्र सरकार जो सपोर्ट बेस क्रिएट करती है फेडरेशन के लिए, केन्द्र सरकार सपोर्ट बेस क्रिएट करती है कि ओलम्पिक में तैयारी करने के लिए हम किस तरह के इक्विपमेंट्स दें, किस तरह की सुविधा दें, जिससे बच्चे आगे बढ़ें, कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए जो बच्चे जाएंगे, उनको कैसे सुविधा दें। हमको लगता है कि प्रत्येक चार साल पर खेल होता है, लेकिन सबका जो कैलेण्डर है, मुझे लगता है कि साल-दो साल में कोई न कोई अच्छा खेल आता है, एशियन गेम्स आ जाता है, कॉमनवेल्थ गेम्स आते हैं, ओलम्पिक और वर्ल्ड कप आ जाता है। इनके बाद नेशनल गेम्स हैं, जिनमें स्टेट्स पार्टिसिपेट करती हैं, उससे नीचे यूनिवर्सिटी के गेम्स होते हैं। यह जो कैलेण्डर है, इसमें हम साल भर किस तरह स्टेट के कोच को अपने

साथ रखते हैं, प्राइवेट कोच को अपने साथ रखते हैं, केन्द्र के कोच को अपने साथ रखते हैं, केन्द्र के इंस्टीट्यूट का क्या रोल होता है, फेडरेशन के इंस्टीट्यूट का क्या रोल होता है और स्टेट के कोच या फेडरेशन का क्या रोल होता है, इनके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। यदि यह क्लैरिटी नहीं होगी तो हम पैसा कुछ भी खर्च करते रहें, उस दिन हम प्रश्न में बहुत चर्चा करते हुए कह रहे थे कि इतना दिन हो गया, हमने ये 10 पदक लिये, 13 पदक लिये, हमने 14 पदक लिये। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों के कारण हमने ओलम्पिक में भी बहुत अच्छी संख्या में पदक लिये और हम पैराओलम्पिक में भी बहुत अच्छा करके आए। अभी जो कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहा है, उसमें लगातार हमारे बच्चे-बच्चियां गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज मेडल्स जीत रहे हैं, भारत का नाम बहुत आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन यह जो क्लैरिटी नहीं है, उसकी वजह से जब मेडल्स की टैली आती है, उसमें 130 करोड़ लोगों का यह देश पीछे रह जाता है। ठीक है, लिगेसी प्राब्लम है, 70 साल से हमने जिस तरह का भ्रष्टाचार देखा है और सारी चीजों में भ्रष्टाचार देखा है, वह अभी नेहरू स्टेडियम बनते हुए नजर आया था। मैं अनुराग सिंह ठाकुर जी का धर्मशाला का स्टेडियम देखने के लिए गया, वहां 50 करोड़ रुपये में उन्होंने खूबसूरत स्टेडियम बनवाया है। यदि किसी को देखना हो, मुझे वहां खेलने का भी मौका मिला है और संसद की टीम का मैनेजर होने के नाते, एक प्लेयर होने के नाते मैं वहां खेलता रहा हूं। 50 करोड़ रुपये में एक खूबसूरत स्टेडियम धर्मशाला में बना है। अगर आप देखेंगे तो 1100 करोड़ रुपये या 1200 करोड़ रुपये खर्च करके हमने कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए यहां नेहरू स्टेडियम बनाया है। इतना बड़ा करप्शन होता रहा है।

पीएसी का मेंबर होने के नाते मैंने सीडब्ल्यूजी की पूरी फाइलें खंगाली हैं कि किस तरह से एक मंत्री ने कह दिया कि हमें कॉमनवेल्थ गेम्स करना ही नहीं है और अन्त में जब दो साल बचे, तब यह कहा गया कि हमें वारफूटिंग पर काम करना है, हमें यह गेम करना ही है, इस तरह से सारी जगहों पर करप्शन करके, हम कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते थे, जो एशियन गेम्स का बेस हो सकता था, जो ओलम्पिक्स का बेस हो सकता था, उन चीजों से हम महरूम हो गए। मेरा यह कहना है कि अंतिम समय में हम जो काम करते हैं, क्या हम एक ऐसा कैलेण्डर बना सकते हैं, जिसमें फेडरेशन को क्या काम करना है, स्टेट को क्या काम करना है, सेंटर को क्या काम करना है। मैं फिर माननीय प्रधानमंत्री जी,

माननीय मंत्री जी और आप सभी को बधाई देना चाहता हूं कि आप यहां वर्ल्ड चेस ओलम्पिक कराने में सक्सेसफुल हुए, जिसका उद्घाटन करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी गए। इस तरह की जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, फुटबॉल में भी एक नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, तो उसमें हम कहां-कहां इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें। यह केवल दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बैंगलूरू में है, क्योंकि आपके खिलाड़ी शहरी क्षेत्र से ज्यादा हैं। मैं एक चीज को हमेशा मानता हूं कि यदि पेट में भूख नहीं हो और मन में आग नहीं हो तो कोई आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। मैं यह नहीं कह रहा हूं बड़े परिवारों के बच्चे आगे नहीं बढ़ते हैं, बढ़ते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग, पूरी दुनिया में ऐसे उदाहरण हैं कि चाहे बिल गेट्स बढ़ते हुए नजर आएं, चाहे यहां धीरूभाई अम्बानी बढ़ते हुए नजर आएं, चाहे डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति बनते हुए नजर आएं या माननीय प्रधानमंत्री जी चाय बेचते हुए यहां देश के प्रधानमंत्री बनते हुए नजर आएं, जिस आदमी के पेट में भूख होगी, वह आगे बढ़ता है। विद्यार्थी के लिए यह हमेशा कहा भी गया है, चाहे कोई भी खिलाड़ी हो या हम जो लोग यहां आते हैं, विद्यार्थियों के लिए एक बहुत अच्छा श्लोक है। सभापति महोदय, आपको भी ध्यान होगा :

"काक चेष्टा, बको ध्यानम्, श्वान निद्रा तथैव च।

अल्पाहारी, गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम्॥"

किसी में ये पांच लक्षण हों, जिसमें कौवे की तरह चेष्टा हो, जिसमें बगुले की तरह ध्यान हो, जिसमें कुत्ते की तरह निद्रा हो, जो अल्पाहारी हो, जो ग्रहत्यागी हो, वही विद्यार्थी होता है और वही विद्यार्थी सक्सेसफुल होता है, जीवन में वही लोग आगे बढ़ते हैं। इसलिए पेट की भूख का मतलब गरीबी से नहीं है, पेट की भूख का मतलब है कि उसमें बढ़ने की क्षमता है, उसमें देश के लिए कुछ कर गुजरने का सामर्थ्य है।

इसी कारण से आज हमने जो तिरंगा यात्रा की, उसमें भी यही था कि उन लोगों ने देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, जिनको किसी चीज की इच्छा और आकांक्षा नहीं थी। उनमें केवल यह था कि अंग्रेजों को भारत से निकालना है और इस देश को स्वतंत्र और आजाद करना है।

सभापति महोदय, मेरा यह कहना है कि छोटी-छोटी जगहों से जो बच्चे आते हैं, जिनमें टैलेंट है, उस टैलेंट पूल के लिए क्या हम कोई ऐसी पॉलिसी बना सकते हैं, जैसे हम झारखण्ड से आते हैं तो वहां हॉकी में पुरुष और महिला के लिए काम कर सकते हैं।

हमारा आर्चरी विषय होता है या हरियाणा में पहलवान होते हैं, मुक्केबाजी में नार्थ-ईस्ट के लोग होते हैं। जैसे आज रेलवे के लिए स्पेसिफिक गति शक्ति विश्वविद्यालय बना, उसी तरह से मणिपुर में स्पोर्ट्स युनिवर्सिटी बनाई गई है।

यह ठीक है कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने बहुत कुछ किया है, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, जिससे हम देश-दुनिया में अपने आपको कैसे अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, रूस इन सभी से मुकाबला कर पाएं, खासकर चीन से, क्योंकि सबसे ज्यादा थ्रेट सभी खेलों में चीन से ही नजर आता है। हमें 130-135 करोड़ के देश में अच्छे खिलाड़ी पैदा करने हैं, वर्ल्ड क्लास के खिलाड़ी पैदा करने हैं और एक ऐसी सिचुएशन लानी है, जिसमें भारत नंबर वन हो।

महोदय, जिस तरह से हम इकोनॉमी में आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं और यदि ऐसा समय आया तो पांच, दस, पन्द्रह साल के बाद हम दुनिया के विश्व गुरू बनेंगे। इकोनॉमी में माननीय निर्मला सीतारमण जी ने माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में जो किया है, वे निश्चित तौर पर बधाई के पात्र हैं। क्या स्पोर्ट्स में कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेकर आ सकते हैं और कैसे प्राइवेट फण्डिंग के साथ सरकार की फण्डिंग आगे बढ़ा सकते हैं? यदि इस सोच के बारे में हम आगे बढ़ें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आपने मुझे बोलने के लिए वक्त दिया, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिन्द, जय भारत।

कुंवर दानिश अली (अमरोहा) : सभापति महोदय, धन्यवाद, क्योंकि आपने मुझे नियम 193 पर खेल और युवा मंत्रालय के मामले पर हो रही चर्चा में भाग लेने का मौका दिया। अभी मुझसे पहले वरिष्ठ साथी निशिकांत दुबे जी ने बहुत अच्छी बातें की हैं कि किस तरीके से हमें खेलों को आगे बढ़ाना चाहिए।

महोदय, यह सच्चाई है कि इस देश में जो फेडरेशन का रोल है और सरकार का रोल है, उसमें कई जगह कंट्राडिक्शन्स हैं। मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि नेपोटिज्म कई सारी फेडरेशन्स में है। यह

रिकॉर्ड पर है। सुप्रीम कोर्ट तक में ये मामले गए, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला है। एक तरीके से फेडरेशन्स के ऊपर जो लोग बैठे हैं, हम काफी समय से रिफॉर्म्स की बात सुनते आ रहे हैं, लेकिन कितना हुआ, कितना हो पाएगा, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन यह बात हकीकत है कि देहात, गांव, ग्रामीण आंचलों से जो लोग आते हैं, उनके अंदर प्रतिभा कहीं ज्यादा होती है। मैं यह रिकॉर्ड पर कह रहा हूं कि फेडरेशन्स के अंदर जो नेपोटिज्म है, अगर उसको न्यूट्रलाइज करके जितनी सुविधाएं एक सेक्शन को दी जाती हैं, उनके बच्चों को दी जाती हैं, अगर उसकी एक चौथाई सुविधाएं उन गांव, देहात के नौजवानों को दे दी जाएं तो मैं समझता हूं कि भारत का ओलम्पिक्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में जो रिकॉर्ड होगा, वह कई गुना बढ़ जाएगा।

उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि आज सरकार की तरफ से आयोजन किया गया, आजादी के इस अमृत महोत्सव के उपलक्ष में तिरंगा यात्रा निकाली गई। मुझे इस बात की खुशी है कि जिन्होंने आजादी की स्वर्ण जयंती पर, जो गोल्डन जुबली सेलेब्रेट हो रही थी, उस वक्त अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया था, कम से कम आजादी के अमृत महोत्सव पर, …[14*]... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आरएसएस की बात कार्यवाही में नहीं जाएगी।

... (<u>व्यवधान)</u>

माननीय सभापति : आप विषय पर बोलिए।

... (<u>व्यवधान)</u>

कुंवर दानिश अली : महोदय, आजादी के अमृत महोत्सव पर कम से कम तिरंगा फहराया जाएगा।... (व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे : सभापति महोदय, यह गलत बोल रहे हैं।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी कुछ कह रहे हैं।

[14*] कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, माननीय सदस्य को चर्चा करते समय, कोई ऐसे संगठन का नाम नहीं लेना चाहिए, जिसका यहां कोई रिलेशन नहीं है। ये लगातार ऐसे संगठन का नाम ले रहे हैं, जो राष्ट्र भक्त संगठन है, जो देश भक्त संगठन है।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : नहीं, नहीं, उसको कार्यवाही से निकाल दीजिएगा।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप ऐसा नहीं कीजिए।

... (व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : खेल पर चर्चा हो रही है, तो ये ऐसा नाम क्यों ले रहे हैं?... (व्यवधान) यह इरेवेलेंट टॉक है। इसको कार्यवाही से निकालिए।…(व्यवधान)

कुंवर दानिश अली : सभापति महोदय, मैं अपनी बात कर रहा हूं।... (व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : सभापति महोदय, इरेवेलेंट टॉक को रिकॉर्ड से हटाइए।…(व्यवधान)

कुंवर दानिश अली : महोदय, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। मैंने क्या गलत कहा है?... (व्यवधान) उस संगठन से प्रधान मंत्री जी जुड़ कर आए हैं। उस संगठन से मेजॉरिटी इस सदन के अंदर बैठी **है।** मैंने क्या गलत कह दिया है।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : मैं दूसरे वक्ता का नाम ले लूंगा।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : दानिश अली जी, मैं अगला नाम पुकारूंगा।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : नो।

... (व्यवधान)

कुंवर दानिश अली : सभापति महोदय, तिरंगा यात्रा की बात इन्होंने शुरू की है।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : सत्यपाल सिंह जी।

... (व्यवधान)

कुंवर दानिश अली : सभापति महोदय, मैंने अभी अपनी बात शुरू की है।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : नो, नो।

... (व्यवधान)

कुंवर दानिश अली : सभापति महोदय, ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपकी कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है।

... (व्यवधान)... [15*]

माननीय सभापति : कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

… (*व्यवधान*)... *

माननीय सभापति : आप बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

[پر **193** رول مجھے نے آپ کیونکہ صاحب، چیرمین محترم **:(**امروہہ**)** علی دانش کنور ابھی دیا**۔** موقع کا لینے بھاگ میں بحث رہی ہو پر معاملے کے منترالئے یوا اور کھیل کہیں باتیں اچھی بہت نے جی دوبے کانت نشی ساتھی، سینئر ہمارے پہلے سے مجھ چاہئیے**۔** بڑھانا آگے کو کھیلوں ہمیں سے طرح کس کہ

[15*] कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

رول کا سرکار اور ہے، رول کا فیڈریشن جو میں ملک اس کہ ہے سچائی یہ جناب، کہ ہے نہیں گُریز کوئی میں کہنے یہ مجھے ہیں۔ کنٹراڈِکشنس جگہ کئی میں اس ہے، یہ میں تک کورٹ سپریم ہے۔ پر ریکارڈ یہ ہے۔ میں فیڈریشنس ساری کئی نیپوٹِزم کے فیڈریشنس سے طریقے ایک ہے۔ نکلا نہیں حل کوئی کا اس لیکن گئے، معاملے لیکن ہیں، رہے اَ سُنتے بات کی ریفارمس سے وقت کافی ہم ہیں، بیٹھے لوگ جو اوپر دیہات، کہ ہے حقیقت بات یہ لیکن ہے۔ معلوم نہیں مجھے گا، پائے ہو کتنا ہوا، کتنا ہے۔ ہوتا زیادہ کئی ٹیلینٹ اندر کے ان ہیں، آتے لوگ جو سے آنچلوں گرامین گاؤں، کو اس اگر ہے، نیپوٹِزم جو اندر کے فیڈریشنس کہ ہوں رہا کہہ پر ریکارڈ یہ میں دی کو بچوں کے ان ہیں، جاتی دی کو سیکشن ایک سہولیات جتنی کرکے نیوٹرلائز کو نوجوانوں کے دیہات گاؤں، کے ان سہولیات چوتھائی ایک کی اس اگر ہیں، جاتی جو میں گیمس ویلتھ کامن اور اولمپکس کا بھارت کہ ہوں سمجھتا میں تو جائیں دی دے گا۔ جائے بڑھ گُنا کئی وہ ہوگا، ریکارڈ

آزادی گیا، کیا آیوجن سے طرف کی سرکار آج کہ ہے کہی بات اچھی بہت نے انہوں خوشی کی بات اس مجھے گئی۔ نکالی یاترا ترنگا میں اُپلکش کے مہوتسو امرت اس کے وقت اس تھی ہورہی سیلیبریٹ گولڈن جو پر جینتی سورن کی آزادی نے جنہوں کہ ہے پر مہوتسو امرت کے آزادی کم سے کم تھا، پھیرایا نہیں ترنگا پر کوارٹر ہیڈ کے ان ترنگا کم سے کم پر مہوتسو امرت کے آزادی جناب، ۔ (گیا کیا نہیں شامل میں کاروائی) گا۔ جائے پھیرایا

کہنے بات اپنی مجھے جناب، (مداخلت) ہوں۔ رہا کر بات اپنی میں صاحب، چیرمین آئے کر جُڑ اعظم وزیرِ سے سنگٹھن اس (مداخلت) ہے؟ کہا غلط کیا نے میں دیجیئے۔ دیا۔ کہہ غلط کیا نے میں ہے۔ بیٹھی میں ایوان اس میجوریٹی سے سنگٹھن اس ہیں۔ (مداخلت)

چیرمین صاحب، ترنگا یاترا کی بات انہوں نے شروع کی ہے۔ (مداخلت) جناب، میں نے اپنی بات شروع ہی کی ہے-- (ختم شد)]

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत): सभापति महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं कि नियम 193 के तहत युवा और खेल के बारे में यहां जो चर्चा हो रही है, इस पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया है।

कुंवर दानिश अली : सभापति महोदय,... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपकी कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है।

... (व्यवधान)... [16*]

माननीय सभापति : कृपया आप बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : केवल माननीय सत्यपाल सिंह जी की ही बात रिकॉर्ड में जाएगी।

... (व्यवधान)

कुंवर दानिश अली : सभापति महोदय, क्या इस सदन में कोई रूल है या नहीं है?... (व्यवधान)

डॉ. सत्यपाल सिंह : सभापति महोदय, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस सदन में हम सभी लोग सरकार के स्तर पर सभी प्रकार की योजना बनाते हैं और जीवन का जो लक्ष्य है।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : इनका कुछ रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है। केवल सत्यपाल सिंह जी की ही बात रिकॉर्ड में जा रही है।

... (व्यवधान)... *

[16*] कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

माननीय सभापति : आप बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

डॉ. सत्यपाल सिंह : सभापति महोदय, हरेक व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य, शिक्षा का लक्ष्य होता है कि उनको जीवन में सुख-शांति और समृद्धि मिले। यह हर मानव का लक्ष्य होता है।...(व्यवधान) जब हम युवाओं के बारे में बात करते हैं, तो यह लिखा हुआ है कि इस देश का युवा किस प्रकार का बने, उनको सुख-शांति और समृद्धि मिले, उनको जीवन में खुशी मिले और आजादी के इस अमृत महोत्सव के समय में, 75 वर्ष होने के बाद, इस देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी ने देश के लिए कहा है कि इस देश को विश्व गुरु बनाना है। देश के लिए जो अगले 25 वर्ष हैं, वह अमृतकाल है। अगर इस देश में अमृतकाल है, तो हम किस प्रकार का संदेश अपने युवाओं को देना चाहते हैं, इस देश में हम किस प्रकार के नागरिक तैयार करना चाहते हैं, यह हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं खेलों से पहले युवाओं से संबंधित अपने कुछ विचार रखना चाहता हूं। अगर हमें किसी चीज की लंबाई नापनी है, तो इस लंबाई के लिए इंच, मीटर और किलोमीटर है, हमें वजन करना है, तो हम वजन किलोग्राम, मन, क्विंटल और टन में करते हैं, लेकिन अगर हमें अपने जीवन की खुशी नापनी हो, जिसका कोई पैमाना है या नहीं, कई बार यह प्रश्न पैदा होता है। कौन आदमी कितना खुश है, यह समाज कितना खुश है या देश कितना खुश है, इस बात का हमारे पास क्या पैमाना है? अलग-अलग फील्ड के जो शास्त्रज्ञ हैं, उनसे पूछें, जो मैनेजमेंट के गुरू हैं, जो इस विषय पर भाषण देते हैं कि आदमी के आनंद-खुशी का पैमाना क्या है?

इस बात का जवाब उनके पास नहीं है कि आदमी की खुशी का जवाब क्या हो, लेकिन जब हम लोग अपने देश की संस्कृति, जो लाखों-करोड़ों वर्ष पुरानी है, लाखों-करोड़ों वर्ष पहले हमारे शास्त्रकारों ने इस बात का जवाब दिया कि देश के जो युवा हैं, समाज के जो युवा हैं, वे कैसा बनें, तो उन्होंने कहा- 'युवस्य साधु:, युवा अध्यापके।' वह आशिष्ट हो, दर्दिष्ट हो, बलिष्ट हो। 'तस्यम् पृथ्वी:, सर्वाभितस्य पूर्णासात्, स: एको: मानुस्य: आनन्द:।' आनन्द की इकाई क्या है, उसे नापने का तरीका क्या है, तो उन्होंने कहा कि समाज का, देश का जो युवा होगा, वह चरित्र का धनी होना चाहिए। वह अच्छे कैरेक्टर का होना चाहिए, वह

बहुत अच्छा पढ़ने वाला होना चाहिए, बहुत विद्वान और ज्ञानी होना चाहिए। इसके साथ ही, उन्होंने कहा- 'आशिष्ट हो, दर्दिष्ट हो, बलिष्ट हो।' वह दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए। जीवन में जिसको कुछ करना है, उसको प्रगति करना है, तरक्की करना है और वह हर प्रकार से बलिष्ट होना चाहिए। वह शरीर से बलिष्ट हो, मानसिक रूप से बलिष्ट हो, आत्मिक रूप से बलिष्ट हो। वे कहते हैं कि अगर इस प्रकार का युवा ये देश, समाज तैयार करेगा, तो निश्चित रूप से न केवल भारतवर्ष में, बल्कि पूरी दुनिया में, सापितस्य पूर्णासात्, जिसे कहते हैं कि पृथ्वी पर कितना आनन्द है, स: एको: मानुस्य: आनन्द:, वह आनन्द की एक इकाई है। इस देश के अन्दर और दुनिया के अन्दर हम सब प्रकार की योजनाएं बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, लेकिन क्या हमारे पास मानव-निर्माण की योजना है या नहीं, इसके बारे में हम लोग बहुत कम विचार करते हैं। हमारी शिक्षा कैसी हो, हमारे खेल कैसे हों, क्या हम अपने देश में इस प्रकार के युवा, इस प्रकार के मानव का निर्माण कर सकते हैं? मुझे लगता है कि खेल और युवा मामले के माननीय मंत्री जी को भी इस विषय में ध्यान देने की जरूरत है। हमें किस प्रकार के युवा चाहिए, उनके लिए किस प्रकार की शिक्षा चाहिए, उनके लिए किस प्रकार का माहौल चाहिए? मैं कई बार कहता हूँ कि अगर पढ़े-लिखे लोग बार-बार बीमार होते हैं, तो मुझे डाउट होता है कि वे कितने पढ़े-लिखे हैं। अगर हम अपने आपको स्वस्थ नहीं रख सकते हैं, क्या हमारे बच्चों को आज सिखाया जाता है कि हम स्वस्थ कैसे रहें? स्वस्थ रहने के लिए केवल खेल जरूरी नहीं है, मात्र एक्सरसाइज जरूरी नहीं है। केवल इनसे ही कोई स्वस्थ नहीं रह सकता है। खेल भी जरूरी है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए और बहुत-सी बातें जरूरी हैं। हमें इस बात के लिए ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, हजारों-लाखों वर्षों से जो रिसर्च होते आए हैं, हमारे देश के ऋषि-मुनि जो रिसर्च करते आए हैं, उन्होंने जो लिखा है, हमारे ऋषि-मुनियों की एक-एक बात, जिसे कहते हैं- उपदेशो शब्द:। उनकी एक-एक शब्द सत्य था क्योंकि वे मजाक में भी कभी झूठ नहीं बोलते थे। उन्होंने जो कुछ लिखा, वह न केवल भारतवर्ष के लिए लिखा, बल्कि सारी मानवता के लिए लिखा। उन्होंने लिखा कि अगर स्वस्थ रहना है, तो उसके लिए तीन बातें बहुत जरूरी हैं। हम लोग किस प्रकार का खाना खाएंगे, किस प्रकार से सोएंगे और जागेंगे और हम लोग किस प्रकार का व्यायाम करेंगे। इसलिए हम लोग जब खेलों के बारे में बात करते हैं, तो मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का भी धन्यवाद करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि जब

से वे प्रधानमंत्री बने हैं, इस देश में खेल के लिए एक नये प्रकार का वातावरण, एक नये प्रकार की परिस्थिति तैयार हुई है। हम लोग 'खेलो इंडिया' के माध्यम से गांव-गांव और प्रदेश-प्रदेश जा रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले प्रत्येक सांसद ने अपने संसदीय क्षेत्र में सांसद खेल प्रतियोगिता का अयोजन किया।

माननीय सभापति महोदय, जो सांसद निधि होती है, मैंने कहा है कि इस बार मेरी पूरी सांसद निधि मेरे लोक सभा क्षेत्र बागपत में केवल खेलों के ऊपर खर्च की जाए।

मैं कह रहा था कि खेलों के बारे में हम लोग करें तो क्या करें। जैसा कि हमारे श्री निशिकांत दुबे जी कह रहे थे कि इस प्रकार की एक नीति बनाने की जरूरत है, हमारे बहुत-से ऐसे बच्चे हैं, जो शहरों में नहीं आ पाते, वे गांवों में ही रहते हैं, हमारी जो योजनाएं हैं, वे उन तक पहुंच नहीं पाती हैं, उनको इसके बारे में मालूम नहीं चल पाता है। लेकिन टैलेंट का जो स्काउटिंक करना है, उसको पता है कि यह कैसे किया जाए। इसलिए गांवों में यह पता करने के लिए हरेक गांव में, जिस क्षेत्र में जो भी खेल लोकप्रिय है, उसके अन्दर प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज की जाए, तो निश्चित रूप से जब वहाँ के बच्चे उसमें भाग लेंगे, तो वे निखरकर आएंगे, जिससे आगे चलकर वे निश्चित रूप से उसमें आगे बढ़ेंगे।

मैं यह कहता हूं कि खेल एक ऐसी चीज है, जो स्वास्थ्य भी देती है, सम्मान भी देती है और आजकल के जमाने में वह रोजगार भी देती है, स्टेटस भी देती है। इसलिए आजकल के बच्चों में इस बात के प्रति भावना उत्पन्न करना आवश्यक है, ताकि वे अच्छे खिलाड़ी बन सकें। इसके लिए हम लोग एक विशेष नीति तैयार करें, जिससे विशेष रूप से जो इंटीरियर एरियाज हैं, जो ग्रामीण एरियाज हैं, जो तथाकथित आदिवासी और वनवासी एरियाज हैं, हम वहां के बच्चों को किस प्रकार खेलों की ओर लेकर आएं, इस बात के बारे में विचार करने की हमें बहुत जरूरत है।

मुझे याद आता है, कई वर्ष पहले मैंने पढ़ा था कि जर्मनी में साल भर में एक ऐसा दिन आता है, जब पूरी जर्मनी के लोग, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, हर कोई उस दिन दौड़ लगाता है। पूरा का पूरा देश दौड़ लगाता है, इससे जर्मनी के अंदर खेलों के बारे में सब लोगों में बहुत अच्छी भावना पैदा हुई। हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है, लेकिन आजकल के जमाने में क्रिकेट और दूसरे खेलों का बहुत महत्व बढ़ गया है। हर एक खेल

का महत्व है, लेकिन हमारा जो राष्ट्रीय खेल है, जिसे हम हॉकी कहते हैं या तो हम उस राष्ट्रीय खेल का नाम बदलें और दूसरे किसी खेल का नाम रखें। अगर हम हॉकी को अपना राष्ट्रीय खेल मानते हैं, तो हॉकी को भी गांव-गांव तक पहुंचाने की जरूरत है। उसके बारे में हमें निश्चित रूप से एक योजना बनाने की जरूरत है।

सभापति महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं। मेरा लोक सभा क्षेत्र बागपत है। खेलों के बारे में, विशेष रूप से शूटिंग के क्षेत्र में पूरे देश को लगभग 50 प्रतिशत बच्चे अकेला बागपत देता है। माननीय मंत्री जी को भी शायद इस बात का आलोक होगा कि शूटिंग के खेल में मेरे क्षेत्र से इतने बच्चे आते हैं। मैं भी 25-30 वर्षों से शूटिंग के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं। बागपत छोटा सा जिला है, वहां कुश्ती में छ: अर्जुन अवॉर्डीज हैं। हमारे यहां बॉलीबॉल, बॉस्केटबॉल और आर्चरी है। पूरे देश के अंदर आर्चरी के, जिसमें धनुष-बाण सिखाते हैं, शायद उसके दो सेंटर्स होंगे, जिनमें से एक सेंटर हमारे यहां बागपत में है। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपके यहां शूटिंग में दादी भी हैं।

… (<u>व्यवधान</u>)

डॉ. सत्यपाल सिंह : हां सर, शूटिंग में दादी भी हैं, आप बिलकुल ठीक कह रहे हैं। बच्चों से लेकर बूढ़ों की उम्र तक, दादी की उम्र तक, सब लोग शूटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, प्रतिभागी बनते हैं। वहां इसका माहौल है और जगह-जगह स्कूल-कॉलेजों के अंदर इस प्रकार के शूटिंग रेंज बने हुए हैं। इन खेलों के देश भर में एथलीट्स हैं, लेकिन हमारे बच्चों के पास कोई सुविधा नहीं है। इसलिए, बागपत के बच्चे ज्यादातर हरियाणा जाते हैं, पंजाब जाते हैं और वहां जाकर प्रशिक्षण/ट्रेनिंग लेते हैं।

पिछले कई वर्षों से, जब से मेरे क्षेत्र के लोगों ने अपना आर्शीवाद देकर मुझे यहां, संसद में भेजा है, मैं इस बात की मांग करता रहा हूं कि बागपत के अंदर एक राष्ट्रीय खेल संस्थान बनाया जाए, वहां राष्ट्रीय खेल संस्थान बनाए जाने की जरूरत है। यह केवल बागपत के लिए ही काम नहीं आएगा, आसपास का हरियाणा का जो क्षेत्र है, उसके भी काम आएगा। आसपास के जो जिले हैं, उनके लिए भी काम आएगा। आपने मुझे बोलने का जो मौका दिया है, उसमें मैं अपने प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ

जी और देश के माननीय प्रधान मंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे प्रदेश की सबसे पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, सभापति जी, आपके यहां मेरठ में बन रही है। इसके लिए मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं, उसमें आपका भी प्रयत्न रहा है। मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री जी का भी अभिनंदन करता हूं कि मेरठ में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। मैं ऐसे ही खेल संस्थान की बागपत के लिए भी मांग करता हूं कि वहां भी एक ऐसा संस्थान बनाया जाए। आपने सुना होगा, डॉ. निशिकांत दुबे जी कह रहे थे कि 130 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में हम लोगों को जो मेडल्स मिलते हैं, जो पदक मिलते हैं, क्या उनसे हम सैटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं? कोई भी उनसे संतुष्ट नहीं हो सकता। छोटे-छोटे देश, जिनकी जनसंख्या एक-दो करोड़ है, वे हमसे ज्यादा पदक लेते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? मैंने इसके बारे में जानने की कोशिश की है। इसका कारण है कि वहां बच्चों को पांच-छ: साल की उम्र से ही खेलों में डाला जाता है, उनका कैरियर बनाया जाता है, सरकार उस पर खर्च करती है, समाज उस पर खर्च करता है और परिवार उन बच्चों पर ध्यान देता है। इसलिए मुझे लगता है कि हम लोगों को भी इस विषय पर ध्यान देने की जरूरत है। सभापति महोदय, मैं पुन: आपको धन्यवाद देता हूं। मैं एक बात कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूं। मैं चूंकि पुलिस में रहा हूं, इसलिए मैं कई बार इस बात को क्वोट करता हूं कि दिल्ली-मुंबई जैसे बड़े-बड़े शहरों के अंदर या मेरठ जैसे छोटे शहरों के अंदर जितने मर्डर्स, जितनी हत्याएं होती हैं, उनसे लगभग छ: गुना आत्महत्याएं होती हैं।

सभापति जी, इसका मतलब यह है कि हम लोग इसमें असफल हो गए हैं कि हम अपने बच्चों को यह सिखा नहीं पाए कि इस मानव जीवन की क्या कीमत है। ऐसा भी नहीं है कि केवल अनपढ़ लोग ही आत्महत्या करते हैं, पढ़े-लिखे लोग डाक्टर्स, इंजीनियर्स आदि पढ़े-लिखे लोग भी आत्महत्या करते हैं। आज युवा एवं खेल मंत्रालय को इस बात पर सोचने की आवश्यकता है कि हमारे युवा क्यों आत्महत्या करते हैं। यदि उन्हें जरा-सी टेंशन हो जाए, तो वे आत्महत्या कर लेते हैं।

इन आत्महत्याओं और अपराध से लोग बचें, इसके लिए कुछ करने की जरूरत है। जैसा मैंने कहा था कि हमारे पास हर प्रकार की योजनाएं हैं। हमारे पास स्कूल, रोड, अस्पताल, अच्छी बिल्डिंग्स बनाने की योजनाएं हैं लेकिन मानव निर्माण करने की योजना हमारे पास नहीं है। हम मानव निर्माण की योजना

बनाएं और एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा युवा कैसे तैयार कर सकें, इस विषय पर हमें बहुत गंभीर विचार करने की जरूरत है।

सभापति जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका विशेष आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री विजय कुमार (गया): सभापति जी, नियम 193 के तहत भारत में 'खेलो इंडिया' के अंतर्गत खेलों के संवर्द्धन के लिए उठाए गए कदमों पर हो रही चर्चा में भाग लेने के लिए मैं अपनी पार्टी की तरफ से समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, आज खेल के बारे में कई साथी बोल रहे थे। इस विषय के संबंध में मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। भारत सरकार, माननीय प्रधान मंत्री जी ओलम्पिक खेलों के दौरान सभी खिलाड़ियों के निरंतर सम्पर्क में रहे और इसका परिणाम हुआ कि भारत ने खेलों में मैडल जीते। बिहार में माननीय नीतीश जी ने भी खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर ब्लॉक में स्टेडियम बनाने का संकल्प लिया और बना भी रहे हैं। आज खिलाड़ियों के सम्मान के संबंध में माननीय प्रधान मंत्री जी ने जो कदम उठाए हैं, वे काफी सराहनीय हैं और उसका परिणाम यह रहा कि वे अच्छी तरह खेले तथा उनका मान-सम्मान भी बढ़ा। खिलाड़ियों ने काफी उत्साह से ओलम्पिक खेलों में भाग लिया और काफी मैडल जीतकर आए। हाल ही में जो खेल हुए हैं, उनका भी अच्छा रिजल्ट रहा है। कई खिलाड़ी अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन उनके साथ भी माननीय प्रधान मंत्री जी संपर्क बनाए रहे कि वे फिर से बिना किसी दबाव के खेलें और बेहतर प्रदर्शन करें। इसका परिणाम हुआ कि प्रधान मंत्री जी के आशीर्वाद से खिलाड़ी मैडल जीतकर आए। महोदय, कई साथी लोकल खेलों के बारे में बता रहे थे। बिहार में भी कई ऐसे खेल हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी खेले जाते हैं और उन खेलों में बहुत अच्छा प्रदर्शन खिलाड़ियों का रहता था। ऐसे खेलों में किसी प्रकार की प्रतिद्वंदिता नहीं होती है, चाहे उनमें कैसे भी संबंध हों। लेकिन जब खेल की बात आती है तो सभी एकजुटता के साथ खेलते हैं। जब हम छोटे-छोटे थे तब कबड्डी, गुल्ली डंडा आदि खेल बहुत प्रचलित थे। हमने हाल ही में अपने संसदीय क्षेत्र गया में फुटबाल टूर्नामेंट कराया था और बहुत अच्छा रहा। हम बहुत गरीब परिवार 'माझी' से आते हैं। हमारा बहुत पिछड़ा समाज है। उन्होंने भी बहुत अच्छा खेला और उसका परिणाम भी अच्छा रहा। हम चाहते हैं कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी जैसे

खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते रहते हैं, उसी तरह से 'खेलो इंडिया' को केंद्र ही नहीं, बल्कि सभी राज्यों को इसमें शामिल करते हुए जो ग्रामीण क्षेत्र में खिलाड़ी हैं, जो अच्छा खेलते हैं, उन्हें मान-सम्मान देने की आवश्यकता है, उन्हें प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है।

जो ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ी हैं, उनको शहर में जाने के बाद प्रशिक्षण लेना पड़ता है और काफी खर्च होता है तथा उसको कम संसाधन मिलते हैं। अत: मैं चाहता हूं कि हर जिले में संसाधन मुहैया कराए जाएं, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ी खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु प्रोत्साहित हों और हम तथा भारत उसका लाभ उठाए। चूंकि भारत एक ऐसा देश है, जिसकी संस्कृति और विचाराधारा खेल के प्रति अच्छी है और मैं समझता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री जी की जो सोच है, उससे काफी फायदा हुआ है और हमारा देश काफी आगे बढ़ा है। आज जो चर्चा होती है कि भारत खेल में काफी पीछे है, अगर आज से 50-60 साल पहले खेल को बढ़ावा मिलता, पूरी दुनिया में भारत एक नंबर पर रहता और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज भी भारत आगे बढ़ रहा है और निश्चित तौर पर और भी आगे बढ़ता रहेगा। चाहे खेल हो, चाहे विकास हो, चाहे रोड का मामला हो, आधारभूत संरचना हो, भारत आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ता रहेगा। इन शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि नियम-193 के अंतर्गत भारत में खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए, खिलाड़ियों के संवर्द्धन के लिए तथा किस तरह से दुनिया की पदक तालिका में हम भारत को सर्वोच्च स्थान दिला सकें, इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने हेतु आपने अवसर दिया। महोदय, आज इस सदन में स्पोर्ट्स पर चर्चा हो रही है और स्पोर्ट्स की चर्चा में भाग लेते हुए हमारा आज नैतिक दायित्व और कर्तव्य बनता है कि हम केवल देश के खिलाड़ियों के बारे में, खेल के प्रोत्साहन के बारे में बात करें, लेकिन उससे इतर बातें हुईं। मैं भी स्पोर्ट्समैन रहा हूं और मुझे भी इस बात का दुख है। मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स या किसी भी टूर्नामेंट में कब टीम जाती थी, कब लौट आती थी, शायद देश को इस बात का अहसास भी नहीं होता था, लेकिन अगर आज हम भारत के सर्वोच्च सदन में खेलों के प्रोत्साहन पर चर्चा कर रहे हैं, तो यकीनन यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जहां हम और खेलों को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, वहीं अभी कॉमनवेल्थ गेम्स

में भारत के खिलाड़ियों ने अब तक 13 मेडल हासिल किए हैं। मैं इस सदन के माध्यम से उन खिलाड़ियों को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं। भारत को 5 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर मेडल और 3 ब्रॉंज मेडल कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में अभी तक प्राप्त हुए हैं। महोदय, यह ऐसे नहीं होता है। सदन में कही गयी यह बात बिल्कुल सही है कि दुनिया के दूसरे देशों में बचपन से ही टैलेंट की खोज होती है और उस टैलेंट सर्च के बाद बच्चों का ट्रॉयल होता है, जिसके बाद सरकार उनकी सारी जिम्मेदारी लेती है, उनको कोचेज देती है, उनकी ट्रेनिंग, पढ़ाई-लिखाई, खेल आदि का सारा जिम्मा लेती है, तब जाकर वे दुनिया में स्थान बना पाते हैं। यह बिल्कुल सच बात है और यह काम हमारे यहां नहीं हुआ था, जिसके कारण हमारे देश के खिलाड़ी, जो दुनिया में ऊंचा स्थान पा सकते थे, वे नहीं पा सके। मैं अपनी सरकार को धन्यवाद दूंगा कि हमारी सरकार वर्ष 2014 में आयी और प्रधान मंत्री जी द्वारा वर्ष 2017 के बाद से चाहे खेलो इंडिया प्रोग्राम की बात हो, चाहे फिट इंडिया मूवमेंट की बात हो, चाहे स्पेशल अवार्ड्स की बात हो, चाहे मेरिटोरियस स्पोर्टसमेन को पेंशन देने की बात हो, चाहे नैशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड बनाने की बात हो, चाहे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर्स हों, ये सारे फैसले लिए गए, जिसके कारण आज हमें स्पोर्ट्स में टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड भी मिला है, जिस पर पूरा भारत अपने-आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। अत: मैं कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में स्पोर्ट्स मंत्रालय ने यह परंपरा शुरू की है। आजादी के बाद वर्ष 2017 में पहली बार हमारी सरकार ने स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च पोर्टल लॉंच किया।

अगर कोई लड़का, कोई यूथ, कोई खिलाड़ी होनहार है, देश के किसी भी क्षेत्र का है, नॉर्थ-ईस्ट से लेकर साउथ, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक किसी भी गाँव में वह खिलाड़ी है, अगर उसके पास पैसे का अभाव है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि टैलेंट किसी पर्टिकुलर, खास के यहाँ होता है, वह गरीब के घर में, कुटिया, झोंपड़ी में भी टैलेंट होता है। उस टैलेंट को भी तराशने का काम करने के लिए वर्ष 2017 में हमारी सरकार ने स्पोर्ट टैलेंट सर्च पोर्टल लॉंच किया और यह कहा कि जो बेस्ट टैलेंट है, वह अपने को उस पोर्टल पर रजिस्टर करे।

हमारे यूथ, खिलाड़ी, यंगस्टर अपने को उस पोर्टल पर रजिस्टर करें और अपलोड करें। उसके बाद उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, शॉर्ट लिस्ट करने के बाद उनका ट्रॉयल होगा और ट्रॉयल के बाद जब वे

क्वालिफाइड हो जाएंगे तो उस खिलाड़ी के ऊपर आने वाले सारे खर्च को भारत सरकार और साई, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वहन करेगी। यह हमने भी शुरू कर दिया है। यकीनन, कम से कम जो चिंता हमारे सदन की है कि अगर दुनिया के दूसरे देशों में यह हो रहा है, जिन लोगों में टैलेंट है, उस टैलेंट के आधार पर उनको सरकार पैसा देती है, उन पर पैसा खर्च करती है और आप चिंता की बात करते हैं, यहाँ तो जब ओलंपिक खेल आते थे, कॉमनवेल्थ खेल आते थे, वर्ल्ड गेम्स होते थे, तो तैयारी होती थी, सारी एसोसिएशंस के द्वारा जल्दी-जल्दी टीमें तय होती थीं। लास्ट मूवमेंट तक टीम का सिलेक्शन नहीं हो पाता था, टीम भेजने की कोई तैयारी नहीं होती थी। आज हमारी सरकार, जिसने एक एम्पावर्ड स्टीरिंग कमेटी बनाई है। आखिर एम्पावर्ड स्टीरिंग कमेटी का क्या रोल है? तमाम विद्वान लोग यहाँ बैठे हुए हैं। वर्ष 2017 में हमने यह कमेटी इसलिए बनाई कि हमें केवल वर्ष 2021 के उस टोक्यो ओलंपिक की चिंता नहीं थी, हमें वर्ष 2024 में पेरिस में होने वाले ओलंपिक की भी चिंता है। वर्ष 2028 में जब लॉस एंजेल्स में ओलंपिक्स होंगे, हमें उसकी भी चिंता है। यकीन कीजिए यह एम्पावर्ड स्टीरिंग कमेटी यह देखेगी कि कैसे उन खिलाड़ियों को प्रीपेयर किया जाए, उन खिलाड़ियों को किस तरीके से तैयार किया जाए, एक टास्क फोर्स बनाकर के उनके लिए फार रीचिंग प्रिपरेशन करने की, पावरफुल पार्टिसिपेशन की कि किस तरह से हमारे इंडियन प्लेयर्स पावरफुल पार्टिसिपेशन कर सकें, मैं खेल मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि पहली बार इस तरह की एम्पावर्ड स्टीरिंग कमेटी बनी। इसका नतीजा यह हुआ कि पहली बार हमने टोक्यो ओलंपिक में इस तरह का प्रदर्शन किया। हमने पहली बार एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक हासिल किया। आपने देखा कि टोक्यो में हमारे 7 मेडल आए, जिसमें एक स्वर्ण पदक, दो रजत पदक और चार कांस्य पदक शामिल थे। उसके बाद पैरालम्पिक हुआ। जहाँ हमें ओलंपिक में 7 मेडल मिले, वहीं टोक्यो के पैरालम्पिक में इंडिया ने अपना एक उच्चतम रिकॉर्ड बनाया, हम कुल 19 मेडल लेकर आए हैं। पूरा देश गौरवान्वित है। मैं एक बार फिर अपनी सरकार को बधाई देना चाहता हूँ, अपने खेल मंत्रालय द्वारा उठाये गए कदमों के लिए। ऐसा इसलिए हुआ कि हमने बजट भी बढ़ाया है। हमने इस बात को सुनिश्चित भी किया है कि उस बजट का यूटिलाइजेशन भी हो। आप पिछले 5 सालों का देख सकते हैं। मैं केवल खेल तक सीमित रहूँगा।

[अनुवाद]

पिछले पांच साल के दौरान सरकार ने 12,788 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

[हिंदी]

12,788 करोड़ रुपया केवल इन खिलाड़ियों के लिए भारत सरकार ने फंड एलोकेट किया और इस बात का हमें संतोष है कि पहले फंड एलोकेट हो जाता था, लेकिन उन खिलाड़ियों तक पैसा दिया नहीं जाता था और वह पैसा मिलने के बावजूद भी जो उनको सही मायने में फायदा नहीं होता था। आये दिन रोज अखबारों में शिकायत आती थी कि उनकी ट्रेनिंग हो रही है, उनकी जितनी कैलोरीज़, जितना उनका फूड न्यूट्रिशंस होना चाहिए, उतना उनको मिलता भी नहीं था। आज संतोष का विषय है कि अगर 12,788 करोड़ रुपये हमारी सरकार ने एलोकेट किया तो उसमें से 11,482 करोड़ रुपये उन खिलाड़ियों पर खर्च किया, जो ओलम्पिक्स में मैडल लेकर आ रहे हैं या कॉमनवेल्थ गेम्स में लेकर आ रहे हैं।

कोचेज़ की बात आई, आप देखिए कि 615 कोचेज़ रेगुलर बेसिस पर अपाइंट किए गए। आप पहले जिलों के स्टेडियम्स में जाते थे, हम सांसद हैं, तो हमसे कहते थे कि स्वीमिंग का कोई कोच नहीं है, हॉकी का कोच नहीं हैं। हम लोग भी हॉकी और फुटबाल में इंटर यूनिवर्सिटी खेले हैं। हम लोगों को भी कोचेज़ का अभाव रहता था। किस तरह से बचपन में डंडे से शुरू करके किस तरह से खिलाड़ी बनते थे।

आज खुशी है कि अगर उस खिलाड़ी में हुनर है, हम इस बात की चिंता कर रहे हैं कि उनको तराशने का काम हमारा खेल मंत्रालय करेगा और खेल मंत्रालय उसके लिए देश और दुनिया के जो अच्छे से अच्छे कोचेज हैं, उनको वर्ष 2024 और 2028 के लिए रेगुलर बेसिस पर नियुक्त करने का काम कर रहा है। उसका नतीजा है कि 615 कोचेज़ रेगुलर बेसिस पर अपॉइंट हुए हैं और 416 कोचेज़ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हुए हैं। आज सभी स्टेडियमों में कोचेज़ दिए जा रहे हैं। आज स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का रिक्रूटमेंट का एक पर्पज है कि एथलीट्स को जिस टाइप का भी सपोर्ट हो सके, उनको सारा सपोर्ट दिया जाए। इंटरनेशनल लेवल पर जो कम्पीटिशन हो रहे हैं, चाहे वर्ष 2024 के ओलंपिक हो या वर्ष 2028 के हो, इस सदन में कभी यह चर्चा हुई कि किसी सरकार ने अभी एक ओलंपिक्स खत्म न हुआ हो और दूसरे ओलंपिक्स की तैयारी

शुरू कर दे, तो यह काम यूएसए करता था, यह काम रूस करता था और यह काम चाइना करता था। आज वह काम जो यूएसए, रूस और चाइना कर रहा है, मैं आज कह सकता हूं कि वह काम भारत सरकार भी कर रही है और हम भारत के खिलाड़ियों के लिए वर्ष 2024 और 2028 की तैयारी के लिए काम कर रहे हैं। यही नहीं, आप स्पोर्ट्स का बजट देखिये। वर्ष 2022-23 का जो बजट है, हमने उस बजट को इंक्रीज किया और इस बार 3062.60 करोड़ रुपये स्पोर्ट्स का बजट बढ़ाया है। पिछले साल 2752 करोड़ रुपये का बजट था। रोज इस बात की चिंता सदन में होती थी, चाहे सत्ता पक्ष के हों या प्रतिपक्ष के हों, इस बात की चिंता होती थी कि हम सड़क के लिए बजट दे रहे हैं, हम और विभागों के लिए बजट दे रहे हैं, लेकिन जो खिलाड़ी हैं, उन खिलाड़ियों के लिए हमारा बजट कम होता जा रहा है। आज हमारी सरकार लगातार इस बजट को बढ़ाने का काम कर रही है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आज जिस तरीके से इस ट्रेनिंग सेंटर को स्थापित करके, पिछले आठ सालों में हमारे उन खिलाड़ियों को लगातार पांच लाख रुपये पर-ईयर दिए जा रहे हैं, जिससे कि हम उनको दुनिया की उन तमाम प्रतिस्पर्धाओं में ले जा सकें। वर्ष 2014 में प्रधान मंत्री मोदी जी ने शपथ ली और सरकार बनी। उनको देश की, खेत-खलिहान, गांव के गरीबों और किसानों की चिंता थी। भारत की पार्लियामेंट की दहलीज पर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गरीबों के लिए समर्पित है, मज़लूमों के लिए समर्पित है। उन्होंने उसी समय 'खेलो इंडिया' प्रोग्राम को लॉन्च किया। यह अपने आप में एक रिवॉल्यूशन था। उन्होंने स्पोर्ट्स कल्चर को पैदा किया और खेल की संस्कृति को बदलने का काम किया तथा रिवाइव करने का काम किया। भारत के गांवों में, जिलों में तथा हरियाणा और पंजाब में स्टेडियम थे, इंटरनेशनल स्टेडियम भी थे। आज आपने स्वयं मेरठ की बात की है। इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट और यूपी में यूनिवर्सिटी बन रही है। आज उन टैलेंटेड प्लेयर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट्स की जरूरत थी, उनको ट्रेनिंग की जरूरत थी।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप कन्क्लूड कीजिए।

श्री जगदम्बिका पाल : महोदय, आपने किसी को नहीं कहा और आप हमें कह रहे हैं। मैं कन्क्लूड कर रहा हूं। मैं जल्दी-जल्दी पॉइंट्स को कह देता हूं। इसके बाद फिट इंडिया मूवमेंट आया।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपके पास ज्ञान का भंडार रहता है इसलिए थोड़ा सा कहना पड़ता है।

… (व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : फिर उसके बाद प्रधान मंत्री जी 29 अगस्त, 2019 को फिट इंडिया मूवमेंट लेकर आए। जब आप एक तरफ कहेंगे कि सरकार ने खेल के लिए क्या किया है, तो मैं सिलसिलेवार बताना चाहता हूं। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं।

माननीय सभापति : माननीय सदस्य और भी बोलने वाले हैं।

श्री जगदम्बिका पाल : 29 अगस्त, 2019 को फिट इंडिया मूवमेंट पर प्रधान मंत्री जी का मेन फोकस था। उन्होंने एक मूवमेंट के रूप में कहा कि इसके लिए एक अवेयरनैस हो। मैं योगा की बात नहीं कर रहा हूं। उसको पूरी दुनिया ने स्वीकार कर लिया है। जिस तरीके से प्रधान मंत्री जी ने फिटनैस पर ध्यान दिया, ऐसा नहीं है कि केवल खिलाड़ियों पर ध्यान दिया, हम लोग भी फिट रहे, कॉमनमैन फिट रहे, इम्यूनिटी पावर बढ़े। आज पूरी दुनिया में कोविड में अगर सबसे ज्यादा इम्यूनिटी पावर थी तो भारत के लोगों की थी। यूएसए की 24 करोड़ आबादी जिस तरह कॉलैप्स के वर्ज पर थी, आज 135 करोड़ की आबादी में हमने सबसे अच्छा काम किया है। यह इसलिए, क्योंकि हमारी जो डेली लाइफ थी या जिस तरीके से हम लोग काम करते थे, यह उसकी वजह से है। फिर स्पेशल अवार्ड्स देने की बात कही कि जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स में होंगे, उनके कोचेज़ होंगे। उन सब को हम स्पेशल अवार्ड्स देंगे। उसका नतीजा है कि ये मैडल मिल रहे हैं। आज उन बच्चों के टैलेंट्स को पहचान कर उनकी कोचिंग हो रही है। आज हम हर स्टेट में उनको हॉकी, फुटबॉल तथा अन्य स्पोर्ट्स के होस्टल में रख रहे हैं।

प्रधान मंत्री जी ने जिस तरह से नॉर्थ-ईस्ट पर, लुक ईस्ट पर फोकस दिया, हमारे मंत्रीगण बैठे हैं, उन्होंने कहा कि हर मंत्री महीने में एक बार नॉर्थ-ईस्ट जाएगा। ये कभी नॉर्थ-ईस्ट की तरफ ख्याल करते थे? यह मैं सच्चाई कह रहा हूँ, कोई राजनीतिक बात नहीं कह रहा हूँ। जिस तरीके से नॉर्थ-ईस्ट में टैलेंट है, आज नॉर्थ-ईस्ट के लोग जिस तरीके से चाहे ओलम्पिक्स हो, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हों, वे मेडल जीत कर

ला रहे हैं यह आज इस सरकार की देन है, उसका नतीजा है कि आज मेडल आ रहे हैं। इसी तरीके से अपने मैरिटोरियस स्पोर्ट्समैन को पेंशन देने की योजना शुरू हुई। हमने फंड बनाने का काम किया। मैं केवल उल्लेख कर रहा हूँ। इसी तरीके से स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर बनाने की बात हुई, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किया है। इसी तरीके से मैं कहता हूँ कि महिलाओं की शिकायतों के समाधान के लिए समिति का भी गठन हुआ। कितनी महिला खिलाड़ियां थीं, उनकी कितनी शिकायतें आती थीं। वर्ष 2017 में इंटरनेशनल वीमेन डे पर माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा, हमारे स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स मिनिस्टर बैठे हुए हैं, हमारी सरकार ने महिलाओं की शिकायतों के समाधान के लिए एक समिति बनाई।

हमने स्कीम बनाई कि टारगेट दी ओलंपिक्स पोडियम । इसका उद्देश्य वर्ष 2024 और वर्ष 2028 के लिए संभावित पदक संभावनाओं की पहचान करना और संबंधित सहयोग प्रदान करना था। इसके लिए मेन सेंटर था कि हम एथलेटिक्स में, बैडमिंटन में, बॉक्सिंग में, आर्चरी में रेसलिंग में या शूटिंग में किस तरीके से एक टारगेट कर के ओलंपिक्स पोडियम पर हमारे स्पोर्ट्स खड़े हों और जब तिरंगा लहराए, जिसको आज फहराने की बात हुई है, बाईक रैली हुई है, अगर इनको अच्छा नहीं लग रहा है तो जब इंटरनेशनल ओलंपिक्स में, टोक्यो में तिरंगा फहराता है तो इन्हें अच्छा लगे या न लगे, पूरे देश के लोग अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं, पूरे देश के लोग हर्षित होते हैं। मान्यवर, इसी तरीके से सरकार ने जो इनिशिएटिव लिया है, वर्ष 2024 और 2028 में वह भी है। इसी तरह से सरकार की अनाउंसमेंट जो वर्ष 2020 में हुई है, उन्होंने एक प्लान किया है कि हम चार सालों में 1000 नए खेलो इंडिया सेंटर बनाएंगे। आपको जान कर खुशी होगी कि 217 खेलो इंडिया सेंटर अब तक स्टैब्लिश हो चुके हैं, ओपन हो चुके हैं और आज वे उस इलाके के जो गांव के ग्रामीण खिलाड़ी हैं, उसमें खेल रहे हैं। यह खेलो इंडिया, भारत की आजादी के बाद पहली बार यह मूवमेंट आया। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी का विज़न था कि आज उसकी देन है कि हज़ारों-हज़ार खिलाड़ी उस खेलो इंडिया के माध्यम से अपने टैलेंट को निखारने का काम कर रहे हैं, तराशने का काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में मेडल हासिल करेंगे और भारत का सम्मान तथा गौरव बढ़ाएंगे।

इसी तरह से सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के लिए लागू किया। उन्होंने न केवल नॉर्थ-ईस्ट के राज्यों के लिए, जम्मू-कश्मीर के लिए भी, जहां के हमारे हसनैन मसूदी साहब बैठे हुए हैं। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्लीज़, अब कनक्लूड कीजिए।

श्री जगदम्बिका पाल : मैं एक-दो मिनट में खत्म कर रहा हूँ।

[अनुवाद]

माननीय सभापति: अब, कृपया अपनी बात समाप्त करें। आप 16-17 मिनट पहले ही ले चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल: मैं दो मिनट के भीतर अपनी बात समाप्त करूंगा। अण्डमान निकोबार आइलैण्ड्स में अभी हम लोग हसनैन मसूदी साहब के साथ गए थे। लक्षद्वीप या लद्दाख ये सब जगहें इतनी रिमोट थीं कि दिल्ली से लगता था कि हम कहां हैं और वहां के लोगों के मन में क्या फीलिंग होती थीं। आज एक-एक डिस्ट्रिक्ट में, चाहे वह लद्दाख हो, चाहे लक्षद्वीप हो, चाहे निकोबार हो, चाहे अण्डमान हो, चाहे जम्मू-कश्मीर हो, चाहे नॉर्थ-ईस्ट हो, एक-एक डिस्ट्रिक्ट में, जहां हम इधर एक-एक खेलो इंडिया सेंटर दे रहे हैं, वहीं उन सभी जगहों पर हम दो-दो खेलो इंडिया सेंटर देने जा रहे हैं। यह हमारा तरीका है।

सभापति जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया।

[अनुवाद]

कुमारी गोड्डेति माधवी (अराकु): आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, महोदय।

मुझे यह कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि भारत एक समृद्ध खेल संस्कृति वाला देश है। कबड्डी और *कुश्ती* जैसे प्राचीन खेल अभी भी क्षेत्रीय भिन्नताओं के साथ पूरे देश में लोकप्रिय हैं। यह पर्याप्त प्रमाण है जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि भारत एक समृद्ध खेल संस्कृति वाला देश है।

मैं माननीय मंत्री जी से विशेष रूप से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे देश में जनजातीय आबादी के बीच खेलों को प्रोत्साहित करने में विशेष रुचि लें। विभिन्न कारकों के कारण, उनके पास एक प्राकृतिक लाभ है। इतना ही नहीं, जागरूकता की कमी और खराब वित्तीय स्थिति के कारण, खेल करियर होना जनजातीय आबादी के बीच बेहतर आय प्राप्त करने का एक आश्वासन है।

महोदय, मैं स्वयं एक शारीरिक शिक्षा अनुदेशक हूं। मैंने जनजातीय इलाकों में पढ़ाया है। खेल किट और अन्य सामान बहुत महंगे हैं और जनजातीय समुदाय के छात्र उन्हें खरीदने में सक्षम नहीं हैं। मैं माननीय मंत्री जी से उन जनजातीय छात्रों को बढ़ावा देने के लिए खेल किट और सहायक उपकरण प्रदान करने का अनुरोध करती हूं जिनका खेलों में भविष्य है।

महोदय, मैं भारत में खेलों के विकास हेतु सुझाव देना चाहूंगी कि इसके लिए कौन से कदम उठाए जाने चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, वर्ष 2020 स्कूलों और कॉलेजों में पाठ्यक्रम के एक हिस्से के रूप में खेलों को एकीकृत करने के अवसर का प्रदान करती है। स्कूलों का एक नेटवर्क बनाने और नियमित रूप से खेलों का आयोजन करने से छात्रों में बचपन से ही खेल की संस्कृति विकसित होगी।

भारत विविधताओं का देश है। विभिन्न स्वदेशी खेल हैं जो क्षेत्रीय रूप से कुश्ती और कबड्डी जैसे बेहद लोकप्रिय हैं। 'एक राज्य, एक खेल' जैसी योजना बनाकर प्रत्येक राज्य में एक स्वदेशी या पारंपरिक खेल की पहचान की जा सकती है और उसे बढ़ावा दिया जा सकता है। यह भारत की समृद्ध संस्कृति को भी संरक्षित करेगा। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में इसकी योजना पहले ही बनाई जा चुकी है। पर्याप्त वित्त पोषण और आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार करने से देश के जनजातीय क्षेत्रों में भी खेलों को बढ़ावा मिलेगा।

महोदय, भारत में केवल एक राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय है जो भारत जैसे बड़े देश के लिए अपर्याप्त है। खेल शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में दो या तीन राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालयों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता है।

आंध्र प्रदेश खेलों की समृद्ध संस्कृति वाला राज्य है, लेकिन राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) द्वारा एक भी राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (एनसीओई) स्थापित नहीं किया गया है। मैं माननीय खेल मंत्री जी से आंध्र प्रदेश राज्य के लिए एक एनसीओई स्वीकृत करने का अनुरोध करती हूं।

महोदय, भारत में खेल क्षेत्र के लिए सीएसआर फंडिंग बहुत कम रही है। खेल पर सीएसआर व्यय भारत में कुल सीएसआर व्यय के दो प्रतिशत से कम है। देश में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों में खेल के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करने और खेल प्रतिभाओं की सहायता करने के लिए अपने सीएसआर निधि के एक बड़े हिस्से का उपयोग करने के लिए कॉरपोरेट को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है।

महोदय, मैं स्वयं एक जनजातीय क्षेत्र की खिलाड़ी हूं। सुविधाओं की कमी और जागरूकता की कमी के कारण, मैं खेलों में अपना करियर नहीं बना सकी। मैं एक नवोदय स्कूल में पढ़ती थी। उस स्कूल में, भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) की एक अकादमी है। उस अकादमी के कारण, मैं वॉलीबॉल में राज्य स्तर की एक खिलाड़ी रही। मैंने एक शारीरिक शिक्षा अनुदेशक के रूप में भी काम किया। मैं छात्रों की समस्या जानती हूं और मैं जनजातीय क्षेत्रों में काम करने वाले शिक्षकों की समस्याओं को जानती हूं। मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहती हूं कि मेरे जनजातीय क्षेत्र में जिन लोगों को राज्य स्तर पर खेलने का मौका मिलता है, वे धन की कमी और अपनी स्थिति के कारण आगे नहीं बढ़ पाते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि जनजातीय क्षेत्रों में खेलों के लिए बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए विशेष निधियाँ स्वीकृत की जाएं। यह मेरा विशेष अनुरोध है। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि मेरे अनुरोध पर विचार करें।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

[हिन्दी]

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर): सभापति महोदय, नियम-193 के तहत खेल के बारे में जो चर्चा यहां पर चल रही है, उस में भाग लेने का आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, मैं, देश के प्रधान मंत्री और सभी खेल मंत्रियों को विशेषकर धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने वर्ष 2014 के बाद खेल के स्तर को बहुत ऊँचा उठाया। हमारे देश के जो बच्चे हैं, उन सारे बच्चों को यह लगने लगा कि हमें भी खेल-कूद में भाग लेना चाहिए, हमारा भी कोई नाम होगा। इन दिनों बड़े पैमाने पर बच्चे खेल से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे ओलम्पिक्स हो या जब भी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों का आयोजन होता है तो भारत देश के बच्चे बड़े पैमाने पर मेडल्स लाते हैं। हम गौरवान्वित होते हैं कि हमारे देश को गोल्ड मिला, सिल्वर मिला, ब्राँज मिला। मैं सत्यपाल जी की बात से सहमत हूं कि भारत इतना बड़ा देश है, यह कितना बड़ा देश है, यह हमें कोरोना काल में पता चला कि 97 देशों की जितनी आबादी है, उतनी आबादी हमारे एक देश की है।

97 देशों की आबादी को जितने प्रधानमंत्री चलाते हैं, उतनी बड़ी आबादी वाले देश को हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी अकेले चलाते हैं। इसलिए, जो मेडल मिल रहा है, लोगों की संख्या की दृष्टि से वह बहुत कम है। उनकी संख्या कम है, इसलिए 'खेलो इंडिया' कन्सेप्ट के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी ने बच्चों को प्रोत्साहित करना प्रारंभ किया है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आज लोक सभा में इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जब मैं यहाँ अपने खेल मंत्री जी को प्रश्न काल में उतर देते हुए देखता हूँ तो वह हाथ में कागज-पेपर लिए वगैर जवाब देते हैं। इससे यह पता चलता है कि खेल के बारे में उनकी दिलचस्पी कितनी है और खेल के बारे में उनकी सोच कितनी गहरी है, यह उससे पता चलता है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भारतवर्ष में खेल निश्चित तौर पर बहुत आगे बढ़ेगा।

महोदय, मैं एक विषय को टच करना चाहता हूँ। भारत देश में अगर क्रिकेट को अंतर्राष्ट्रीय जगत के लोगों ने कंट्रोल नहीं किया होता तो यह क्रिकेट भी इतना बड़ा नहीं हुआ होता। क्रिकेट में पैसा बहुत है। मुझे बचपन में कभी क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद मैं पार्लियामेंट के इस हाउस में क्रिकेट को इसलिए समर्थन दूँगा, क्योंकि हमारी जो बीसीसीआई संस्था है, वह हर साल 1.5 सौ करोड़ रुपये का रेवेन्यू देश की तिजोरी में देती है। इसके बारे में मुझे पता चला है। अगर इस फीगर में कोई कमी हो तो खेल मंत्री उसको करेक्ट करेंगे।... (व्यवधान) इसमें हम शरद पवार जी से लेकर अरुण जेटली जी तक को याद करेंगे। अनुराग ठाकुर जी है, हमारे मुम्बई के आशिष शेलार जी है। ऐसे बहुत सारे लोगों ने इस संस्था

के माध्यम से काम करके क्रिकेट को जीवित रखने का काम किया है। मैं कभी-कभी थोड़ा दुखी भी होता हूँ कि जब क्रिकेट का टूर्नामेंट बड़े पैमाने पर होता है तो उसको कुछ राज्य के लोग बंदी भी डालते हैं। मैं मानता हूँ कि इस पर बंदी नहीं डालना चाहिए। क्रिकेट एक बड़ा खेल है।

क्रिकेट के माध्यम से पैसा आता है, इसलिए हमें आने वाले दिनों में क्रिकेट को और प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि क्रिकेट के माध्यम से बड़े पैमाने पर भारत सरकार की तिजोरी में पैसा आए। उसके साथ-साथ मैं यह भी माँग करूँगा कि इस सेक्टर से जो भी पैसा आए, वह सारा का सारा पैसा और उसमें उतना ही ग्रांट्स केन्द्र सरकार के माध्यम से लगाकर 'खेलो इंडिया' के माध्यम से सभी राज्यों में उसका बँटवारा करना चाहिए। इससे हम खेल को आने वाले दिनों में और बड़ा कर पाएंगे।

सभापति महोदय, अगर हम सिर्फ गरीबों की बात करेंगे तो इससे गरीबों का भला नहीं होने वाला है। जिनके पास पैसा है, उनको पैसे के माध्यम से खेलने दीजिए। उनके पैसा का लाभ लेकर हम गरीबों के लिए अन्य खेलों को प्रोत्साहित करेंगे। इससे हम आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर खेल को ऊंचा स्तर दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा।

महोदय, 'खेलो इंडिया' के माध्यम से मैं यह भी कहना चाहूँगा कि हमारा जो इंदौर है, प्रधानमंत्री जी ने 'स्वच्छ भारत' अभियान चलाया। इंदौर को पाँच बार पहला नंबर मिला है। मैं जिस मुम्बई शहर से आता हूँ। मुम्बई महानगर पालिका में मैं 15 साल कॉरपोरेटर के रूप में काम करके आया हूँ। हमारी मुम्बई महानगर पालिका इन दिनों इंदौर से कम्पीट कर रही है। मैं चाहूँगा कि अगले साल का पुरस्कार मुम्बई महानगर पालिका को मिले। उसका सबसे ज्यादा योगदान मुझे ही मिलेगा। मैं यह चाहता हूँ कि जैसे 'स्वच्छ भारत' अभियान को प्रधानमंत्री जी ने लाकर सारे शहरों को स्वच्छता के साथ जोड़ दिया है, वैसे ही खेल से भी सारे शहरों के लोगों को जोड़ना चाहिए, ताकि गुजरात महाराष्ट्र के साथ कम्पीट करे, महाराष्ट्र कर्नाटक के साथ कम्पीट करे और राज्यों के बीच कम्पीटिशन हो। इसमें शहरों का भी कम्पीटिशन हो। मैं मानता हूँ कि आने वाले दिनों में खेल बड़े पैमाने पर तेजी से आगे बढ़ेगा और लोग भी बढ़े पैमाने पर इसके साथ जुड़ेंगे। इसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। अभी सिर्फ स्पोर्ट्समैन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है और थोड़े

पोलिटिशियन लोग उनको सपोर्ट करते हैं। कुछ जगहों पर 'खेलो इंडिया' के माध्यम से काम चल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने 'संसद खेल महोत्सव' भी आयोजित करने के लिए कहा है। हमारे जैसे बहुत सारे लोग इसे करते रहते हैं। मैं मानता हूँ कि इसमें बड़े पैमान पर सेंटर व स्टेट गवर्नमेंट और शहर के कॉरपोरेशन के लोगों की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। केन्द्र की सरकार को राज्य तथा कॉरपोरेशन से हिसाब भी लेना पड़ेगा कि आपने कितने खेलों का आयोजन किया, कितने बच्चों ने उसमें भाग लिया। यदि इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा होगी तो मैं मानता हूँ कि इसमें आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर परिवर्तन देखने को मिलेगा।

सभापति महोदय, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की भी यहाँ बात हुई। मेरे मतदान क्षेत्र में 35 एकड़ की एक जगह है, जिसमें से 3 एकड़ झोपड़पट्टी हो गई और 32 एकड़ अभी बची हुई है।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : गोपाल शेट्टी जी, आप आगे कंटीन्यू कीजिएगा। अभी चर्चा आगे जारी रहेगी।

श्री गोपाल शेट्टी : सर, जो भी आपका आदेश हो।

माननीय सभापति: सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 4 अगस्त, 2022 को प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

<u>सायं 6.00 बजे</u>

तत्पश्चात लोक सभा गुरुवार, 4 अगस्त, 2022 / 13 श्रावण, 1944 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

———

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2022 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सत्रहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित